खण्ड-189, अंक-2
मंगलवार, 19 अग्रहायण, शक संवत् 1879
(10 दिसम्बर, 1957 ई0)

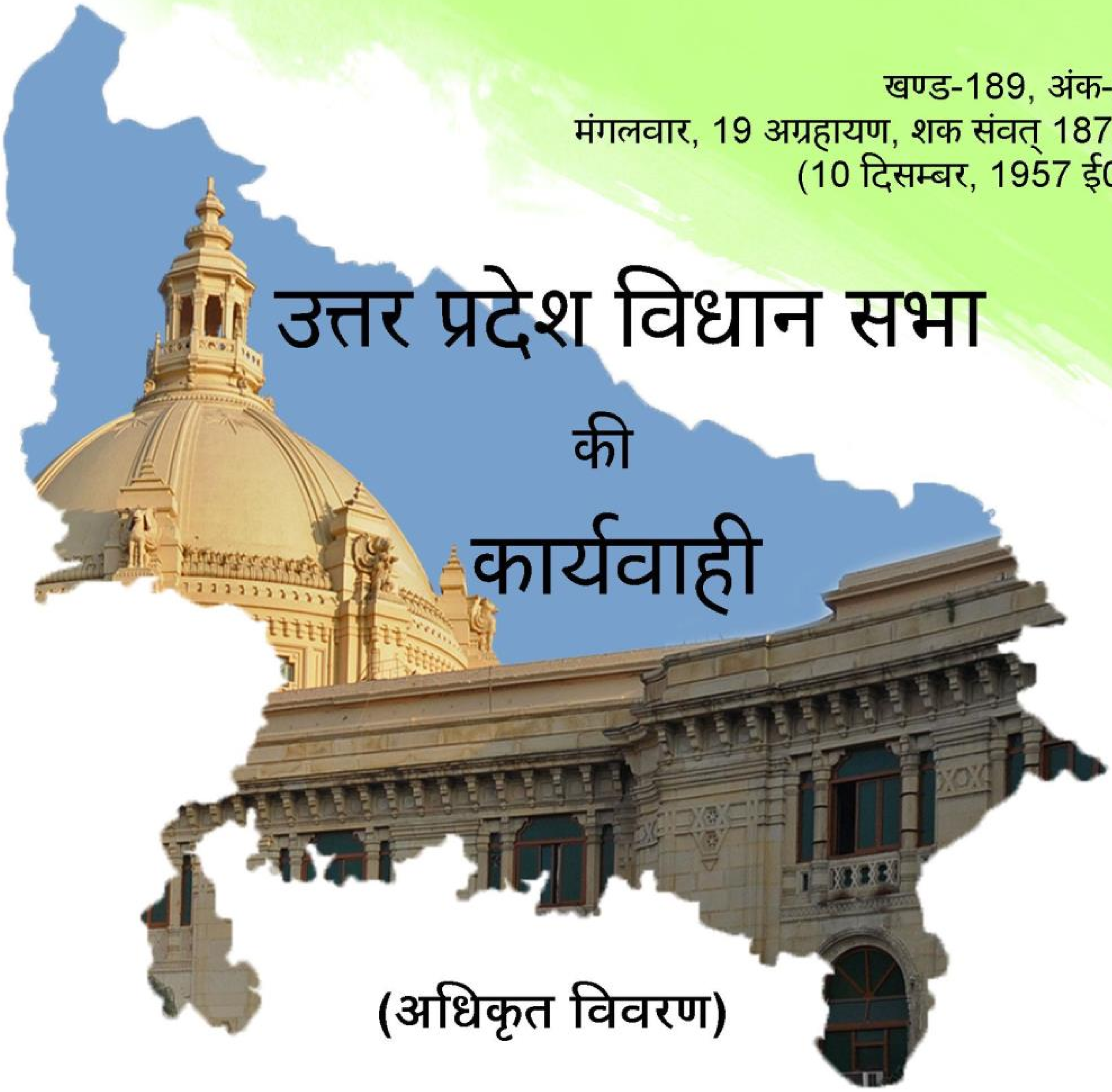

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 189 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1957

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १० दिसम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३५२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख़
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असग़र अली ख़ां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्म शाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजान सिंह, चौधरी
खमानी सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़याबख्श सिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
वत्स, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री

बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मलखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूदहुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद "हंस", श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफजाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री

रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वजरंगविहारीलाल, रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्सुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री

हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १० दिसम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

म्युनिसिपल बोर्डों के अध्यक्षों के चुनाव के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट के मुकदमे

**१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या यह बात ठीक है कि कुछ म्युनिसिपल बोर्डों के अध्यक्षों के गत चुनाव के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन बोर्डों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां । सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार वे बोर्ड निम्नलिखित हैं :—

(१) झांसी, (२) मऊरानीपुर (जिला झांसी), (३) बिन्दकी (जिला फतेहपुर), (४) हापुड़, (जिला मेरठ), (५) फैजाबाद, (६) कायमगंज (जिला फर्रुखाबाद), (७) सम्भल (जिला मुरादाबाद), (८) हरद्वार (जिला सहारनपुर), (९) जलेसर (जिला एटा), (१०) एटा, (११) खुर्जा (जिला बुलन्दशहर), (१२) काशीपुर (जिला नैनीताल), (१३) गाजियाबाद (जिला मेरठ), (१४) बड़ौत (जिला मेरठ), (१५) पिलखुआ (जिला मेरठ), (१६) शिकोहाबाद (जिला मैनपुरी), (१७) मैनपुरी, (१८) अमरोहा (जिला मुरादाबाद), (१९) हाथरस (जिला अलीगढ़), (२०) अतरौली (जिला अलीगढ़) ।

**२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या यह बात ठीक है कि उक्त हाई कोर्ट ने कुछ म्युनिसिपल बोर्डों के अध्यक्षों को स्टे आर्डर द्वारा अपने पदों का चार्ज लेने से वंचित कर दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उन बोर्डों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—नये म्युनिसिपल बोर्डों का संगठन १४-११-१९५७ को सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के होने को था पर उपरोक्त बोर्डों में से पहले चार के सम्बन्ध में हाई कोर्ट की स्टे की आज्ञा के कारण विज्ञप्ति नहीं की जा सकी । स्टे आर्डर संख्या (५) व (६) पर बतलाये बोर्डों के संबंध में भी था पर सरकार को उसकी कोई सूचना न होने के कारण ये दोनों बोर्ड १४-११-१९५७ से संगठित हो गए । हाईकोर्ट ने फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के नव-निर्वाचित प्रेसीडेन्ट के विरुद्ध फिर स्टे आर्डर दिया । हाथरस व अतरौली में स्टे आर्डर द्वारा हाई कोर्ट ने प्रेसीडेन्ट का निर्वाचन ही रोक दिया है । इनके अतिरिक्त संभल व अमरोहा में प्रेसीडेन्टों को चार्ज लेने के उपरान्त पद का कार्य करने से स्टे आडर द्वारा रोका गया ।

**३—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या उक्त अध्यक्ष अब भी अपने पदों से वंचित हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन बोर्डों के अध्यक्षों पर से स्टे आर्डर कब हटा दिये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मऊरानीपुर तथा हापुड़ के सम्बन्ध में स्टे आर्डर २७-११-१९५७ के एक दो दिन पूर्व हटा दिये गये और २७-११-१९५७ से नया बोर्ड बन गया तथा प्रेसीडेन्ट ने चार्ज ले लिया। बिन्दकी तथा झांसी के सम्बन्ध में स्टे आर्डर २७ तारीख के पश्चात् हटे और ३०-११-१९५७ से प्रेसीडेन्टों ने वहां भी चार्ज ले लिया।

फैजाबाद, कायमगंज तथा संभल से संबंधित स्टे आर्डर भी हट गये हैं। हाथरस व अतरौली के संबंध में निर्वाचन कराने के विरुद्ध स्टे आर्डर अभी नहीं हटे हैं। हाथरस के मामले की सुनवाई हो गई है, अतरौली की होने वाली है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन चार बोर्डों के अध्यक्षों के विरुद्ध स्टे आर्डर जारी किया गया है उनका आधार क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में पूरे पेटीशन की जानकारी तो श्रीमन् नहीं ह। लेकिन जितना मालूम है वह यह है कि चुनाव जो हुए थे वह विधान के अनुसार नहीं हुये थे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उनको कोई जानकारी नहीं है तो उन्हें मालूम कैसे हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने कहा कि पूरी जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी है उतनी बतला दी।

समाजवादी नेता, डाक्टर राम मनोहर लोहिया को लखनऊ जेल में कथित असुविधायें

**४—श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या डाक्टर राम मनोहर लोहिया को जो कि लखनऊ जेल में बन्द हैं उन्हें चिकित्सकों द्वारा देखने की अनुमति नहीं दी जा रही है ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—जेल के डाक्टर प्रति दिन डाक्टर लोहिया को देखते हैं। जब सिविल सर्जन आते हैं तो वह भी डाक्टर लोहिया को देखते हैं। आवश्यकतानुसार उनके लिये विशेष चिकित्सा का पूर्ण प्रबन्ध किया जाता है।

**५—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या यह सही है कि उनके साथियों को उनसे बैरक में नहीं मिलने दिया जा रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—फिलहाल उनको अन्य सोशलिस्ट सत्याग्रहियों से नहीं मिलने दिया जा रहा है।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—जेल के जो डाक्टर हैं और सिविल सर्जन साहब जो वहां जाते हैं उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई रिपोर्ट आपको किसी प्रकार की की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—तो वह क्या है? उसे बताने की कृपा करेंगे?

श्री मुजफ्फरहसन—कोई खास बात आप पूछें तो मैं बताऊं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिविल सर्जन की रिपोर्ट में अथवा जेल डाक्टर की रिपोर्ट में यह भी चीज आयी है कि डाक्टर लोहिया को हाइपरटेंशन आफ हार्ट और स्पैज्म इनहार्ट की तकलीफ है?

श्री मुजफ्फरहसन—जी नहीं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार से निवेदन किया गया था कि डाक्टर लोहिया को उनके दूसरे डाक्टर के द्वारा परीक्षा कराने की अनुमति दी जाय?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आयी। कल मैंने जवाब में बतलाया था कि श्री राजनारायण जी ने मुझसे कहा था और मैंने उसी की बुनियाद पर आई० जी० से यह कहा कि वह उनका जाकर मुआयना करें।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह पता है कि मैंने सरकार से खुद कहा कि डाक्टर शर्मा ने ३ तारीख को जांच करके यह बताया है कि उनको स्पैज्म इनहार्ट और हाईपरटेंशन आफ हार्ट की तकलीफ है, तो ऐसी हालत में डाक्टर लोहिया को जेल में चलने फिरने के लिये क्यों बाध्य किया जाता है?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे तो इसकी कोई इत्तला नहीं है कि आपने सरकार से कोई ऐसी बात कही लेकिन कल चूंकि यह जिक्र हुआ था डाक्टर शर्मा का, तो मैंने उसको मालूम करने की कोशिश की। डाक्टर शर्मा ने उनको देखने के बाद ब्लड प्रेशर को नार्मल बताया और हार्ट के बारे में यह लिखा कि इसमें कोई ऐक्यूट चीज नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय मंत्री जी ने बताया कि फिलहाल उनको बैरक में उनके साथियों से नहीं मिलने दिया जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि वह कितनी अवधि के लिये नहीं मिलने दिया जाता है और क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—अवधि का तो इसमें कोई सवाल नहीं है। जबसे वह ३० तारीख का वाक्या हुआ और वहां लोगों ने तूफान किया उस वक्त से रोक दिया गया है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि फिलहाल कब तक तूफान का असर चलेगा?

श्री मुजफ्फर हसन—यह कुछ नहीं बताया जा सकता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या समाज सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर शर्मा की कोई लिखित रिपोर्ट उनके पास है और अगर है तो वह उसे पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे?

श्री मुजफ्फरहसन---वह मेरे पास लिखित मौजूद नहीं है। उसी वक्त टेलीफोन से उनसे दरियाफ्त किया और जो उन्होंने बताया वह मैंने बता दिया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर शर्मा ने जो उनको बताया कि डाक्टर लोहिया के हार्ट में कोई ऐक्यूट बीमारी नहीं है तो कोई साधारण बीमारी है क्या ?

श्री मुजफ्फर हसन---अब माननीय सदस्य उससे नतीजा निकाल सकते हैं। वह तो एक टेकनिकल बात है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार डाक्टर लोहिया साहब किन-किन स्थायी बीमारियों से इस वक्त पीड़ित हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैं पहले ही कल बता चुका हूं कि उनको कुछ दांत में और कान में तकलीफ थी और उसके लिये उनका मेडिकल कालेज में इलाज कराया गया।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को यह पता है कि डाक्टर लोहिया से मिलने के लिए आचार्य कृपलानी जी भी गए थे, श्री पी० वी० राजू भी गए थे और जापान के श्री होशिमों साहब जो खासतौर से डाक्टर लोहिया से मिलने आये थे, उन्होंने भी आई० जी० को बाकायदा लिखा और आई० जी० का लिखित प्रमाण है कि वह गेट पर जाकर मिल सकते हैं, बैरक में जाने के लिये इजाजत नहीं मिली ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने साथियों के लिये कहा था, आप बाहर के लोगों को चीन जापान से बुलवा रहे हैं।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---मेरा तात्पर्य उन साथियों से था जो बाहर से आते हैं न कि जो जेल में थे ?

श्री अध्यक्ष---आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं था। साथियों से मतलब यही है कि जो जेल में हों।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---बैरक में नहीं मिलने दिया था, यह प्रश्न मेरा था ?

श्री अध्यक्ष---उनके साथी बाहर तो मिनिस्टर भी हो सकते हैं। वे तो जेल जा सकते हैं।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डाक्टर डी० एन० शर्मा से जब माननीय मंत्री जी ने टेलीफोन पर बातचीत की तो क्या यह बात उन्होंने स्पष्ट पूछी है कि डाक्टर लोहिया के हार्ट में किसी प्रकार की बीमारी का कोई भी टच नहीं है ?

श्री मुजफ्फरहसन---उन्होंने जो कहा वह मैं हाउस के सामने रख चुका हूं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार हम लोगों को यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेगी कि हम बाहर के डाक्टर को ले जाकर डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा करा सकें ?

श्री मुजफ्फर हसन---ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास आयेगा तो उस पर विचार कर लेंगे।

तारांकित प्रश्न

झांसी नगर को पर्याप्त जल मिलने के लिये माताटीला बांध से पानी लेने का सुझाव

*१—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी के सिमिर्धा व पारीछा बांध, जिनसे कि वहां का म्युनिसिपल बोर्ड व रेलवे पानी लेती है, उनमें पर्याप्त पानी न होने के कारण माताटीला अथवा सुकुआं-ठुकुआं बांध से झांसी शहर व रेलवे तथा छावनी में पानी सप्लाई करने की जो सम्मिलित योजना सरकार के विचाराधीन थी वह अब किस स्थिति में है ?

श्री रामस्वरूप यादव—झांसी नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। इस योजना के अनुमानित व्यय पर नगरपालिका ६४ लाख रुपये का अपना भाग नहीं दे सकती है। सरकार भी वर्तमान अर्थ संकट में नगरपालिका की उक्त योजना के लिए आर्थिक सहायता देने में असमर्थ है। अतः यह योजना आज के समय में जब कि देश भर में धन का अभाव है उपयुक्त प्रतीत नहीं होती।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना में कुल कितना रुपया व्यय होगा और उसमें रेलवे तथा छावनी को कितना-कितना रुपया व्यय करना पड़ेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस योजना में २,५३,५४,००० रुपया कुल खर्च होगा। इस सम्बन्ध में कोई अलग आंकड़े तैयार नहीं किये गये हैं कि कितना डिफेन्स डिपार्टमेंट को और कितना रेलवे को खर्च करना पड़ेगा।

कानपुर तथा घाटमपुर तहसीलों में परगना हाकिमों द्वारा मुकदमों के फैसले में देरी

*२—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर तहसील तथा घाटमपुर तहसील में गत १९५६-५७ में दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कितने मामले परगना हाकिमों की अदालत में दाखिल हुये तथा उनमें से कितने फैसल किये गये ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—हाकिम परगना कानपुर के इजलास में जनवरी, १९५६ से २३ अगस्त, १९५७ तक ऐसे कुल २०९ मुकदमे दाखिल हुए जिसमें १३५ का फैसला हो गया है। हाकिम परगना घाटमपुर की इजलास में ऐसे कुल ११० मुकदमे दाखिल हुए जिसमें ८९ का फैसला हो गया है।

*३—श्री मोतीलाल अवस्थी—उन फैसले दिये गये मामलों का निर्णय देने में औसत अवधि क्या लगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कानपुर में सन् १९५६ में औसत अवधि ८६ दिन और १९५७ में १८१ दिन रही। घाटमपुर में सन् १९५६ में औसत अवधि ४२ दिन और १९५७ में ३९ दिन की रही।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हाकिम परगना, कानपुर की अदालत द्वारा केवल ६४ मुकदमे फैसल हुए और हाकिम परगना, घाटमपुर द्वारा भी इसी प्रकार कम मुकदमे फैसल हुए तो इसका कारण क्या है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—इसका कारण दरयाफ्त किया गया है। अभी इसकी इत्तला आई नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या इन मुकदमों में देरी होने से नुकसान होता है, इस सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नीति तो स्पष्ट है कि मुकदमे जल्दी से जल्दी फैसल हों, लेकिन फिर भी बहुत से मुकदमों में देरी हो जाती है। एक कारण यह हो सकता है कि प्रेसाइडिंग जज कोर्ट में न रहे, कभी यह हो सकता है कि गवाह न आ पायें या मुल्जिम नहीं आता, तो उससे देरी हो जाती है, लेकिन जहां कहीं देर होती है तो उन कारणों को जिलाधीश स्पष्ट रूप से देखते हैं और यदि किसी भी आदमी का दोष पाया जाता है तो उसको दण्ड देने की चेष्टा की जाती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो हाकिम फैसला करने में देरी करते हैं या शीघ्रता करते हैं उनकी सर्विस बुक में कोई रिमार्क अच्छा या बुरा लिखा जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—क्या दंड दिया जाता है वह बताने की स्थिति में तो मैं नहीं हूं, लेकिन यदि किसी हाकिम की लापरवाही से या और किसी कारण से ऐसा कारण उपस्थित होता है तो उसमें जरूर कार्यवाही की जाती है ?

हरदोई जिले में अल्पाय-वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण

*४—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में Housing Loan Scheme में इस समय तक कितने व्यक्तियों को और कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

श्री सैयदअली जहीर—अब तक जिला हरदोई में १५ व्यक्तियों को अल्पाय-वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित धनराशि ऋण के रूप में दी गयी है :

नाम	धनराशि— रु०
१—श्री रामसनेही	२,०००
२—श्री आर० एस० द्विवेदी	५,०००
३—श्री राज बहादुर सिंह चन्देल	६,०००
४—श्री रामकिशोर कपूर	६,०००
५—श्री हरी बहादुर श्रीवास्तवा	८,०००
६—श्री राम प्रसाद	५,०००
७—श्री बासुदेव द्विवेदी	५,०००
८—श्री हरीश चन्द सिंह	४,२००
९—श्री कृपाशंकर अवस्थी	५,०००
१०—श्री महेशचन्द सिंह	६,०००
११—श्री अब्दुल कयूम सिद्दीकी	१,४००
१२—श्री हरीनाथ कुशवाहा	४,२००
१३—श्री भीकम सिंह	४,२००
१४—श्री बृजकिशोर पाण्डेय	४,२००
१५—श्री विजय चन्द्र पाण्डेय	१,५००
योग— ..	६७,७००

*५—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Housing Loan Scheme का रुपया नये मकान बनाने के लिये दिया गया है या पुराने मकान की मरम्मत के लिये भी दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस योजना के अन्तर्गत पुराने मकान की मरम्मत के लिये रुपये नहीं दिये जाते।

इटावा जिले में सब्जी की क्रय-विक्रय के लिए स्टोर की आवश्यकता

*६—श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार इटावा जिले में पाता के आस-पास कोई स्टोर सब्जी के खरीद-फरोख्त के लिये खोलने का इरादा रखती है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—जी नहीं।

विश्वनाथपुर-महुली सड़क, जिला बस्ती के निर्माण-कार्य में विलम्ब

*७—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वनाथपुर-महुली सड़क, जिला बस्ती पर C. C. ट्रैक का काम कब तक पूरा हो जायगा ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—इस कार्य का संशोधित आगणन विचाराधीन है। सड़क का शेष कार्य संशोधित आगणन की स्वीकृति के बाद आरम्भ किया जायगा।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विश्वनाथपुर-महुली सड़क कब से स्वीकृत है और उस पर काम कब तक पूरा होगा ?

श्री गिरधारीलाल—इसके लिए तो नोटिस की जरूरत है कि कब यह शुरू हुई।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह सड़क जो सन् १९५७-५८ में स्वीकार हो चुकी है, उस पर कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—उसके सम्बन्ध में कुछ दिक्कतें हैं, जिसकी इन्क्वायरी की जा रही है। उसका फैसला हो जाने के बाद फिर काम शुरू किया जायगा।

बस्ती जिले में निर्माण-कार्य

*८—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बस्ती जिले में कौन-कौन सा निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२१ पर)

गोंडा जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*९—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिले में कितनी मील लम्बी सड़क बनाई जायेगी और सर्वप्रथम किस सड़क पर कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी गई है।

जी नहीं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२२ पर)

*१०—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार करनैलगंज से कुकरभुकवा तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क पर कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले में डुमरियाडीह-मोतीगंज सड़क की खराब हालत

*११—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोंडा जिले में डुमरियाडीह से मोतीगंज स्टेशन तक जो सड़क जाती है उसमें दो मील कहोवा के पुल से मोतीगंज स्टेशन तक मिट्टी तथा ईंटा गिर गया है और कहोवा पुल से डुमरियाडीह २ मील छोड़ दिया है ? यदि हां, तो सरकार उस २ मील सड़क को कब तक बनाने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—सरकार ने मोतीगंज स्टेशन से सोहांस तक २ मील लम्ब सड़क को पक्का करने की स्वीकृति प्रदान की है और उस पर कार्य प्रगति में है। कहोवा से डुमरियाडीह तक सड़क का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है। द्वितीय योजना में सम्मिलित कार्यों की पूर्ति के पश्चात् ही इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कार्य शुरू हुआ है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया जायगा ? यदि हां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन-सी सड़क बनाई जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम पंचवर्षीय योजना के वह काम जो अधूरे रह गये थे वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में चालू हैं और इसके अलावा जो अन्य काम हैं उनकी लिस्ट माननीय सदस्य की मेज पर रखी गयी है।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस जिले में कौन-सी नई सड़कें इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ली जा रही हैं ?

श्री गिरधारीलाल—वह जो लिस्ट है उसमें देख लिया जाय।

श्री गंगाप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो लिस्ट है वह उनकी है जो पहली पंचवर्षीय योजना में काम शुरू हो चुके हैं। जो दूसरी योजना में चल रहे हैं ऐसे नये कामों का कोई जिक्र नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि यदि सही जवाब न मिले तो मैं प्रश्न कैसे पूछूं ?

श्री अध्यक्ष—वह तो आप को मालूम है कि नहीं हैं तो प्रश्न क्यों पूछते हैं। आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री गंगाप्रसाद—करनैलगंज से कुकुरभुकवा तक जो सड़क है उसे जनता की मांग को देखते हुये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

रुहेलखंड डिवीजन की कमिश्नरी अदालत में विचाराधीन अपीलें

*१२—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रुहेलखंड डिवीजन में कमिश्नरी अदालत में कितने Officials, non-officials and officials of local bodies की अपीलें pending हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—102 officials की अपीलें, 19 officials of local bodies की अपीलें तथा 791 non-officials अपीलें सितम्बर १७, १९५७ तक pending थीं।

श्री शिवराज बहादुर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की जहमत फरमायेंगे कि कौन सी ऐसी अपीलें हैं जो तीन साल से ज्यादा पुरानी हैं और पांच साल से ज्यादा पुरानी हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका तो मेरे पास कोई ब्योरा नहीं है ।

श्री शिवराज बहादुर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की जहमत फरमायेंगे कि इन अपीलों में से प्रत्येक जिले की कितनी-कितनी अपीलें हैं ?

श्री सैयदअली जहीर---यह तफसील तो आप दरयाफ्त करते तो मालूम की जाती, इस वक्त नहीं है ।

टेहरी सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट की अदालत में दफा १०७ के मुकदमे

*१३---श्री सूरत चन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल के टेहरी सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में सन् १९५६ व ५७ में १०७ जाब्ता फौजदारी (Cr. P. C.) के मातहत कुल कितने मुकदमे चले ?

श्री सैयद अली जहीर---सन् १९५६ में कुल ६६ तथा १९५७ में कुल ५२ मुकदमे दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के मातहत चले ।

*१४---श्री सूरतचन्द रमोला (अनुपस्थित)---इन मुकदमों में कितनों में शान्ति कायम करने व अच्छे व्यवहार रखने के लिये मुचलके व जमानतें ली गईं और कितने खारिज किये गये ?

श्री सैयदअली जहीर---सन् १९५६ में १० मुकदमों में शान्ति कायम रखने व अच्छा व्यवहार रखने के लिए मुचलके लिए गए तथा ५६ मुकदमे खारिज किए गए । सन् १९५७ में ५ मुकदमों में शान्ति कायम रखने व अच्छा व्यवहार रखने के लिये मुचलके लिये गए तथा ३० मुकदमें खारिज किये गये और १७ मुकदमें विचाराधीन हैं ।

बलिया नगरपालिका को ड्रेनेज स्कीम के लिए अनुदान

*१५---श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया नगरपालिका को ड्रेनेज स्कीम में कितना रुपया अनुदान और कर्ज में सरकार की ओर से दिया गया है ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---बलिया नगरपालिका की निर्गम प्रणाली योजना में सरकार ने १·७५ लाख रुपया अनुदान में एवं २·०० लाख ऋण के रूप में दिया है ।

*१६---श्री रामनाथ पाठक (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया नगरपालिका की ड्रेनेज स्कीम का कितना भाग अब तक बन गया और बाकी स्कीम पर सरकार और कितना रुपया अनुदान और कर्ज के रूप में देने वाली है और कब ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---बलिया नगरपालिका के निर्गम प्रणाली के लिये जितनी धनराशि सरकार ने प्रदान की है, उस धनराशि का ७० प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है । इसके अतिरिक्त शेष योजना पर अनुदान एवं ऋण देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*१७---श्री रामनाथ पाठक (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पूरी स्कीम कितने रुपये की है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस समस्त योजना का आगणन १०·४६ लाख रुपया लगाया गया है ।

झांसी की दीवानी अदालत में विचाराधीन मुकदमे

*१८--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय झांसी में दीवानी के ऐसे कितने मुकदमे हैं जो एक वर्ष या अधिक से विचाराधीन हैं तथा ऐसे कितने दावे हैं जिनमें छः महीने हो जाने पर भी अभी कोई तारीख नहीं पड़ी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--झांसी में दीवानी के १,४२९ मुकदमे एक वर्ष या अधिक समय से विचाराधीन हैं तथा ६९३ दावों में छः महीने हो जाने पर भी कोई तारीख नहीं पड़ सकी है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने मुकदमे एक वर्ष से अधिक से विचाराधीन हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--१,४२९ मुकदमे एक वर्ष से अधिक के विचाराधीन हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मन्त्री जी को याद है कि गत वर्ष लगभग इतने ही मुकदमे विचाराधीन थे ?

श्री सैयद अली जहीर--याद तो नहीं है, मगर मुमकिन है हों ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मुकदमे छः महीने से अधिक विचाराधीन न रह सकें ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, इसकी कोशिश बराबर होती रहती है लेकिन बावजूद कोशिश के बाज-बाज जगह पर कामयाबी नहीं हो पाती ।

फर्रुखाबाद जिले में बहबलपुर-अतिराजपुर सड़क पर मिट्टी डालने में व्यय

*१९--श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या यह सच है कि फर्रुखाबाद जिले की तहसील छिबरामऊ में बहबलपुर से अतिराजपुर तक बनने वाली सड़क पर जिला बोर्ड के गैंग ने मिट्टी डलवायी और उसी मिट्टी डलवाने के एवज जिला प्लानिंग से रुपया लिया गया ? अगर यह सही है, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी कि जिला प्लानिंग बोर्ड से जो रुपया लिया गया वह ठीक था ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिला बोर्ड, फर्रुखाबाद में बहबलपुर-अतिराजपुर सड़क पर मिट्टी तो अवश्य डलवायी थी, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि इस काम के एवज में उसने जिला नियोजन समिति से कोई रुपया लिया । तथ्य इस प्रकार है :

> जुलाई, अगस्त व सितम्बर, १९५६ में क्रमशः ७,८००, १२,६२३ व १८,०४५ घन फीट मिट्टी जिला बोर्ड, फर्रुखाबाद ने अपने गैंग द्वारा सम्बन्धित सड़क पर डलवायी । इस मिट्टी का मूल्य ४७९ रु० ८७ नये पैसे आंका गया । किन्तु इस कार्य के एवज में जिला नियोजन समिति ने कोई भी अनुदान जिला बोर्ड को नहीं दिया । हां, इसी सड़क निर्माण का काम गांव सभा, अतिराजपुर ने भी कराया था । और उसी कार्य के लिए जिला नियोजन समिति ने ग्राम सभा को अनुदान दिया था । सड़क बनाने में व्यय का कुल २२,८२४ रु० का अनुमान था । इसमें से जिला नियोजन समिति ने ११,७१८ रु० अनुदान स्वरूप देना स्वीकार किया है । किन्तु अब तक इस सड़क पर २३,१२३ रु० ५० नये पैसे का व्यय हो चुका है ।

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क पर मिट्टी डलवाने और कंकड़ कुटवाने के लिए अलग-अलग कितना रुपया जिला नियोजन समिति से गांव समाज को मिला है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो ११,७०८ रुपये सारे व्यय के लिए जिला नियोजन समिति ने दिया होगा।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांव समाज, अतिराजपुर ने कितने मील लम्बी सड़क बनवाने के लिए अनुदान मांगा था ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया गांव सभा को काम कराने के लिए जिला नियोजन समिति से दिया गया है उतना काम गांव सभा ने कराया भी है या नहीं इसकी कोई सरकारी तौर पर जांच करायी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैं ने तो अभी निवेदन किया कि २३,१२३ रु० ५० नये पैसे का काम कराया गया है।

फैजाबाद तथा सुल्तानपुर जिलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के कार्य क्षेत्र में लेने का सुझाव

*२०---श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन विशेष कारणों से फैजाबाद और सुल्तानपुर को हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से निकाल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यक्षेत्र में कर दिया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर---सन् १९४८ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैजाबाद तथा सुल्तानपुर के जिलों को लखनऊ बेंच के क्षेत्राधिकार से निकाल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में लाने का निर्देश यू० पी० हाई कोर्ट (एमल्गमेशन) आर्डर, १९४८ [U. P. High Court (Amalgamation) Order, 1948] के खंड १४ के अधीन अपने निहित विवेक (discretion) का प्रयोग करके दिया था।

*२१---श्री सरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)---इन जिलों को पुनः लखनऊ बेंच के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयदअली जहीर---यह विषय चीफ जस्टिस के विवेक (discretion) में है।

जौनपुर जिले की कुछ सड़कों को पक्की करने की आवश्यकता

*२२---श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जौनपुर के अन्तर्गत अथवा बधवा से केशवपुर जाने वाली सड़क पक्की करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी नहीं।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

*२३---श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जमालपुर के पास बसुहि नदी पर सरकार पुल बनाने जा रही है ? क्या जौनपुर की नियोजन कमेटी ने भी पुल के लिए किसी प्रकार का सुझाव दिया था ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी नहीं।

द्वितीय भाग---जी नहीं।

*२४---श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर के अन्तर्गत मछलीशहर से मड़ियाहू, तरती जाने वाली सड़क सरकार पक्की करवा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।]

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केशवपुर-बघवा रोड २६ मील जौनपुर जिले में है और १०-१२ मील बनारस जिले में है ?

श्री गिरधारी लाल--इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि बहुत-सी बातों की जानकारी तो स्वयं माननीय सदस्य को अधिक होगी।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि बनारस जिले की सड़क केशवपुर तक पक्की होने जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल--इसके लिए भी इस वक्त नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मछलीशहर-मड़ियाहूं-केराकत रोड पहले पी० डब्लू० डी० ने लिया था और कुछ काम करने के बाद उसको छोड़ दिया है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, पहले फेज में कुछ सड़कें ली गयी थीं परन्तु बाद में धनाभाव के कारण उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दिया गया था।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मछलीशहर-केराकत-मड़ियाहूं की सड़क ली जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं।

गोरखपुर जिले में रोहिन नदी के पुल निर्माण में ली गयी भूमि का मुआवजा

*२५--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गोरखपुर--जिले में रोहिन नदी के पुल का निर्माण-कार्य सम्पन्न हो गया ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--कार्य प्रगति में है परन्तु यह कहना कठिन है कि कार्य कब तक समाप्त हो जायगा।

*२६--श्री केशव पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस पुल के निर्माण हेतु कुछ काश्तकारों की जमीन ली गई है और उसका मुआवजा जिसमें हरी फसल भी काटी गयी थी अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गिरधारी लाल--पुल के ठेकेदारों ने जमीन के मालिकों की सहमति से अपने औजार रखने के लिये कुछ जमीन काश्तकारों से ली है। मुआवजे के कागजात रेवेन्यू आफिसर की राय से तैयार किये जा रहे हैं। जिनके पूर्ण होने पर मुआवजा तुरन्त बंटवा दिया जायगा।

*२७--श्री केशव पांडेय--क्या सरकार इस नये पुल बन जाने के बाद पुरानी सड़क की जमीन को उन काश्तकारों को दे देगी जिनकी जमीन नई सड़क और नये पुल में ले ली जायेगी या ले ली गयी है ?

श्री गिरधारीलाल--नये पुल के बन जाने के बाद पुरानी सड़क की जमीन जिलाधीश को दे दी जायगी। इस सम्बन्ध में काश्तकार जिलाधीश से लिखा-पढ़ी कर सकते हैं।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल का निर्माण कितने रुपये से हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---इसके निर्माण में सब मिला कर ८,७४,००० रुपया लगेगा।

श्री केशव पांडेय--जिस समय किसी ठेकेदार को इसके बनाने की स्वीकृति मिली उसके साथ ही उसके निर्माण के लिये कोई अवधि भी क्या निश्चित हुई थी ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां, इसकी अवधि निश्चित थी, लेकिन उसके बाद में केन्द्रीय सरकार से जो बातें हुईं उसमें पहले यह डिलोडिंग का पुल था लेकिन अब और मजबूत पुल बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिये हैं, इसलिये उसके अन्दर कुछ परिवर्तन किया जा रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन काश्तकारों को मुआवजा देने के लिये कागज बन रहे हैं उनको वह मुआवजा किस रेट से दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---जो मुआवजा देने का कानून है मुआवजा उसके मुताबिक ही दिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल का कार्य कब प्रारम्भ हुआ था ?

श्री गिरधारीलाल---यह पिछले वर्ष से शुरू हुआ है।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन के साथ कुछ जमीन औजार रखने के लिये जो ठेकेदारों ने ली है उसका मुआवजा देने की व्यवस्था हो रही है या उसमें जो फसल काटी गयी थी उसका मुआवजा देने की व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल---जितनी भी जमीन आई है वह सब इसमें है। उसमें खेती भी है, फसल भी है, खलिहान भी है।

उन्नाव जिले में चकलौसी-संडीला सड़क पर सई नदी के पुल की निर्माण योजना

*२८---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में स्थित चकलौसी-संडीला रोड पर सई नदी पर पुल बनाने की योजना में कितना रुपया सरकार ने मंजूर किया है और योजना को कार्यान्वित करने में क्यों बिलंब हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---चकलौसी-औरस-संडीला सड़क के निर्माण के आगणन में सई नदी पर पुल के निर्माण के लिये २,४०,००० रुपये का आयोजन किया गया था किन्तु सर्वे करने के बाद पुल का जो विस्तृत आगणन तैयार किया गया वह लगभग ४,१३,००० रुपये का है, इस आगणन को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है और जैसे ही आगणन अन्तिम रूप से तैयार हो जायगा वैसे ही पुल का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्री भीखालाल---क्या निर्माण मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि आयोजना अन्तिम रूप से कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल---मैं समझता हूं कि जल्दी ही तैयार हो जायगी। शायद इसी वर्ष तैयार हो जाय।

श्री भीखालाल---क्या निर्माण मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि क्या इस बात की आशा की जाय कि यह पुल द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बन कर तयार हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---इस बात की उम्मीद रखना चाहिये कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरा हो जायगा।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके सर्वे में कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री गिरधारीलाल---इसका तो मुझे इस वक्त अंदाजा नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

बिसवां, जिला सीतापुर के गोदाम में सीमेंट

*२९---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि लगभग ३० हजार बोरा सीमेंट सार्वजनिक निर्माण-कार्य के लिये बिसवां, जिला सीतापुर के गोदाम में करीब एक साल से पड़ा है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

*३०---श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार इस सीमेंट को जनता के प्रयोग के लिये छोड़ने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल---प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अगर ३०,००० बोरा सीमेंट नहीं तो पिछली वर्षा में कितनी सीमेंट वहां स्टाक थी ?

श्री गिरधारीलाल---जिस समय यह प्रश्न किया गया उस समय वहां ६,९९३ बोरा सीमेंट थी।

श्री गनेशी लाल चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें से कितनी चोरी गई ?

श्री गिरधारी लाल---इसमें से कुछ भी चोरी नहीं गई।

बरेली जिले के लिए सीमेंट का कोटा

*३१---श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले के लिये पिछले साल में कितना सीमेंट का कोटा एलाट किया गया था और कितना मिला ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

	टन
एलाटमेंट	३,३८८
प्राप्ति	३,२८५

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---क्या सरकार के पास बरेली की जनता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा ऐसी मांग आई है कि वहां एक बड़ी कालोनी बनाने की वजह से इस कोटे को बढ़ाया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके सम्बन्ध में मुझे सूचना नहीं है, लेकिन शायद आयी हो।

जिला बोर्डों को दिये गये ऋण की वापसी

*३२---श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिला बोर्डों को सन् १९४७-४८ से अब तक कितना-कितना ऋण सरकार से किन-किन कामों के लिये दिया गया है ?

*३३---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन से बोर्ड अपने ऋण की किस्तों को नियमित रूप से दते जा रहे हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--वांछित सूचना एक तालिका के रूप में माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२३-२२७ पर)

*३४--श्री रामलक्षण तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार इन ऋणों की अदायगी बोर्डों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये माफ करने की कृपा करेगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--ऋण तो वापस करने के लिये ही दिया जाता है। बोर्डों को इसका प्रबन्ध करना चाहिये। सरकार जितनी सहूलियतें हो सकती हैं, बराबर देती आ रही है। सरकार की अपनी माली हालत ऐसी नहीं है कि ऋण की अदायगी से जिला बोर्डों को मुक्ति दी जावे।

जौनपुर-केराकत-चन्दबक सड़क के पुनर्निर्माण की योजना

*३५--श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--क्या निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर-केराकत-चन्दबक सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आधुनीकरण अथवा पुनः निर्माण के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जौनपुर से लेने का सरकार निश्चय कर चुकी है? यदि हां, तो द्वितीय योजना के किस वर्ष में इस सड़क पर कार्य प्रारम्भ करने का इरादा है?

श्री गिरधारीलाल--कथित सड़क पुनर्निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है तथा उस पर कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

श्री लालबहादुर सिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस सड़क के अभाव ग्रस्त क्षेत्र में होने के कारण इसी वर्ष इस पर काम शुरू कराने के ऊपर विचार करेंगे?

श्री गिरधारीलाल--यह जो वर्ष शुरू होने वाला है उसमें इस सड़क के ऊपर विचार किया जायगा तभी माननीय सदस्य इसको मंजूर करेंगे।

बनारस-आजमगढ़ सड़क में गोमती पर चन्दबक के पुल की निर्माण योजना

*३६--श्री लालबहादुर सिंह--क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बनारस-आजमगढ़ रोड में चन्दबक में गोमती नदी पर पक्का पुल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनवाना तय हो चुका है? यदि हां, तो यह काम कब प्रारम्भ होगा और कितने दिन में पूर्ण होगा?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग- इस वर्ष इस पुल का विस्तृत आगणन स्वीकृत होने पर पुल का निर्माण-कार्य आरम्भ होगा। कार्य के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा इसका सही अनुमान देना सम्भव नहीं है।

श्री लालबहादुर सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पुल दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा हो जायगा?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, शायद पूरा हो जाय।

सीतापुर जिले में सिधौली-मिश्रिख सड़क को पक्की करने का सुझाव

*३७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला सीतापुर के अन्तर्गत तहसील सिधौली तथा तहसील मिश्रिख को जो सड़क आपस में मिलाती है, उसे पुख्ता करा देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मिसरिख से लगा हुआ नेमिषारण्य एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है तो ऐसे स्थान के लिये सड़क बनाने की किसी योजना पर माननीय मन्त्री जी विचार करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---फिलहाल तो यह नहीं किया जायगा ।

फीरोजाबाद में मैनपुरी गेट से गुजरने वाली सड़क की मरम्मत के लिए प्रार्थना-पत्र

*३८---श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद के कस्बे में सदर सड़क के मुहल्ला मैनपुरी गेट से डाक बंगले के सामने होकर गुजरने वाले तथा आगे बढ़कर बाई-पास में मिल जाने वाले तक के भाग की मरम्मत के लिये वहां की पब्लिक की ओर से तथा सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से १९४७ से १९५७ तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस विषय में सम्बन्धित विभागों ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल---६ प्रार्थना-पत्र आये हैं। जिलाधीश को इस सड़क की मरम्मत का उचित प्रबन्ध नगरपालिका और/या जिला बोर्ड के द्वारा कराने के लिये कहा गया है।

*३९---श्री जगन्नाथ लहरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सदर सड़क का यह टुकड़ा सार्वजनिक निर्माण विभाग का है या फीरोजाबाद नगरपालिका का ?

श्री गिरधारीलाल---यह टुकड़ा सार्वजनिक निर्माण विभाग का नहीं है। अभी यह निश्चय नहीं हो पाया है कि यह नगरपालिका का है या जिला बोर्ड का।

*४०---श्री जगन्नाथ लहरी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क के उक्त भाग की मरम्मत कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल---इस सड़क की मरम्मत जल्दी ही कराई जायगी।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या सरकार को पता है कि यह सड़क का टुकड़ा, जिसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है, नेशनल हाईवे का है, जिसके ऊपर नगरपालिका या जिला बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है तो फिर यह किस प्रकार से उसकी मरम्मत कर सकते हैं ?

श्री गिरधारीलाल---मेरे पास जो इत्तला है उस इत्तला के अनुसार यह नेशनल हाईवे का टुकड़ा नहीं है। जिला बोर्ड या नगरपालिका का ही यह टुकड़ा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह टुकड़ा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है या नगरपालिका का है यह कब से विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल---इसमें विचाराधीन का प्रश्न नहीं उठता। यह पूछा गया कि किसकी जिम्मेदारी है। तो मैंने बतलाया कि वह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड की है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कब पूछा गया जिला बोर्ड और नगरपालिका से कि यह सड़क किसकी है और उसका जवाब आया या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल---इसी वर्ष यह पूछा गया है।

श्री जगन्नाथ लहरी---कलकत्ता से दिल्ली के लिये जो मार्ग सरकार द्वारा निर्मित किया गया है यह टुकड़ा उसी सड़क का भाग है जिसका कुछ भाग फीरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा के अन्तर्गत है लेकिन जिस टुकड़े के सम्बन्ध में पूछा गया है वह नगरपालिका की सीमा के बाहर है जिसके कारण उसकी कोई मरम्मत नहीं हो रही है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी मरम्मत नगरपालिका नहीं कर रही है तो सरकार इसकी मालिक है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---मालूम होता है इसमें कुछ गलतफहमी है।

हमीरपुर जिले में अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजनान्तर्गत ऋण

*४१---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष भवन निर्माण ऋण के हेतु हमीरपुर जिले में किन-किन हाउसिंग सोसाइटीज से कितनी अर्जियां आईं ? उनमें से कितनों को कितना-कितना धन दिया गया और कितनों को धन नहीं दिया गया ? जिन्हें नहीं दिया गया वह क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---पिछले वित्तीय वर्ष में हमीरपुर जिले से अल्प आय वर्ग भवन निर्माण योजना के अधीन केवल महोबा सहकारी गृह निर्माण समिति के ४७ सदस्यों से ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। इनमें से १४ सदस्यों को ७५,००० रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ जो निर्माण-कार्य में प्रगति के अनुसार किस्तों में दिया गया। अब तक दी गई धनराशि का योग ५३,३०० रुपये है। शेष सदस्यों में से ३३ सदस्यों के प्रार्थना-पत्रों में १,५७,००० रुपये के ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन व्यक्तियों के मकान के नक्शों की जांच की जा रही है। स्वीकृत हो जाने पर उन लोगों को रुपया दिया जा सकेगा।

*४२---श्री रामगोपाल गुप्त (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष में इस मद का कितना धन व्यय हुआ और कितना लैप्स हो गया ? जो रुपया लैप्स हुआ वह क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---पिछले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से १४५ लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। सम्पूर्ण धनराशि प्रयोग की गयी और उसका कोई भी अंश डूबने (lapse) नहीं दिया गया।

आगरा जिले की फीरोजाबाद-कोटला सड़क की मरम्मत

*४३---श्री भगवती सिंह विशारद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजपुर-कोटला रोड, जिला आगरा की मरम्मत में गत ४ वर्षों में कितना रुपया व्यय हुआ है और इस सड़क की वर्तमान दशा क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---फीरोजपुर-कोटला नामक कोई सड़क आगरा जिले में नहीं है। यदि माननीय सदस्य का आशय फीरोजाबाद-कोटला सड़क से है तो इस सड़क की मरम्मत पर जिला बोर्ड आगरा गत ४ वर्षों में २०,२१९ रुपया व्यय कर चुका है। सड़क की दशा के सम्बन्ध में गत ३ सितम्बर को सदन में पहिले ही सूचना दी जा चुकी है।

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या माननीय स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजपुर-कोटला सड़क, जिस पर गत ४ वर्षों से २०,२१९ रुपया खर्च किया गया है, कितनी लम्बी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि फीरोजाबाद-कोटला सड़क है जो लगभग १० मील लम्बी है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---इस सड़क की हालत अब भी बहुत खराब है और जिला बोर्ड उसे सुधरवाने में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, तो सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सही है कि सड़क अच्छी नहीं है लेकिन आम तौर से जिला बोर्ड के पास धन इतना नहीं है कि ज्यादा खर्च कर सकें, इसलिये कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---क्या यह इन्क्वायरी की गई कि यह २० हजार रुपया सदुपयोग में खर्च हुआ है या दुरुपयोग में ?

श्री रामस्वरूप यादव---दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं है, लिहाजा सदुपयोग ही हुआ है ।

नलकूपों के लगाने पर व्यय

*४४---श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ व १९५६-५७ में अलग-अलग कितनी धन-राशि नलकूप विभाग द्वारा प्रदेश के कस्बों व ग्रामों के मनुष्यों व पशुओं के लिये पानी पीने हेतु व्यय की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वित्तीय वर्ष १९५५-५६ व १९५६-५७ में क्रमशः १,१२,४८,००८ रुपये तथा ४६,३६,३५० रुपये ।

*४५---श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)---केवल उक्त कार्य हेतु उस समय में कितने नये Baby tube-wells प्रदेश में बनाये गये और इस प्रकार छोटे और बड़े नलकूपों द्वारा पानी पीने की व्यवस्था के लिये कितने ग्रामों में कितनी टोटियां लगाई गईं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उक्त समय में २५ बेबी ट्यूब वेल बनाए गए तथा १,५०४ ग्रामों में ७,९६४ टोटियां लगाई गईं ।

सीतापुर जिले में पंचायत राज विभाग द्वारा कार्य

*४६---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत गत दो वर्षों में पंचायत राज विभाग द्वारा कितने ग्रामों में खड़ंजे लगवाये गये, कितने गांवों में नालियां बनवाई गईं, कितने पंचायत घर और स्कूल बनवाये गये तथा कितने रुपयों का कार्य श्रमदान द्वारा किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला सीतापुर में पंचायत राज विभाग द्वारा गत दो वर्षों में ९ गांवों में खड़ंजा लगाया गया, १० गांवों में नालियां बनाई गईं, १६ पंचायतघर और स्कूल बनाये गये तथा ८,३४१ रुपये का कार्य श्रमदान द्वारा किया गया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रमदान द्वारा हुये कार्य में महमूदाबाद पैतीपुर सड़क का कार्य शामिल है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस की जरूरत है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या दो वर्षों के इस कार्य से सरकार संतुष्ट है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यदि वे असंतुष्ट होते तो आपको पहले ही बतला देते ।

बदायूं जिले में महावा नदी पर पुल टूटने से कष्ट

*४७—श्री जमुना सिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बदायूं जिले की गिन्नौर तहसील में बनारी–भराउटी सड़क के मध्य महावा नदी पर पुल टूट गया और परिणामस्वरूप तहसील की जनता को भारी कष्ट है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—महावा नदी का पुल टूट गया है किन्तु तीन मील दूर पर ही सरकार पुल बनवा रही है अतः जनता को विशेष कष्ट नहीं प्रतीत होता।

*४८—श्री जमुनासिंह (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इस पुल के पुनर्निर्माण के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस पुल से तीन मील दूर महावा नदी ही पर सरकार एक नया पुल बनवा रही है। अतः सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि जिला बोर्ड के इस पुल का अपने धन से पुनर्निर्माण करे।

इटावा जिले में जमुना नदी के इटावा, कचौरा तथा शेरगढ़ घाटों का नीलाम

*४९—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के जमुना नदी के तीन घाट (१) इटावा, (२) कचौरा, (३) शेरगढ़ को सितम्बर, सन् १९४७ से जून, सन् १९५७ तक कितनी बार नीलाम किया गया और कितनी धनराशि में ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर एक तालिका के रूप में रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २२८ पर)

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमुना नदी के इटावा घाट को सन् ४७ से अब तक ४ बार नीलाम किया गया और कचौराघाट और शेरगढ़ घाट को सालबसाल नीलाम किया गया तो क्या सरकार इसको भी सालबसाल नीलाम कराने का विचार करती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—घाट का नीलाम जिला बोर्डों से संबंधित है, उन्हें अधिकार है कि चाहे जितने वर्ष के लिये नीलाम करें, चाहे ४ वर्ष के लिये या ३ या २ वर्ष के लिये करें।

इटावा जिलान्तर्गत पार पट्टी क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की योजना

*५०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ और कहां से कहां तक हुआ ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम पंचवर्षीय योजना में इटावा जिले में पारपट्टी क्षेत्र में किसी सड़क का निर्माण नहीं हुआ।

*५१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र (पारपट्टी) में कितनी नई सड़कों का निर्माण करने जा रही है और कहां से कहां तक ?

श्री गिरधारीलाल---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पारपट्टी क्षेत्र के निम्नलिखित सड़क निर्माण कार्यों का आयोजन है:

१---लखना-संडीस मार्ग का लखना-चकरनगर भाग	८ मील
२---ब्राह ऊंदी मार्ग	११ मील ५ फर्लांग

*५२---श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस क्षेत्र में सन् १९४७ के पूर्व कितनी पक्की (कंकड़ व सीमेंट) की सड़कें थीं?

श्री गिरधारीलाल---कुल १३ मील ५ फर्लांग लम्बी पक्की कंकड़ की सड़कें थीं।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नयी सड़क कंकड़ की बनवाई जा रही हैं या सीमेंट की?

श्री गिरधारीलाल---ये पक्की सड़कें हैं, सीमेंट की नहीं हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---चकरनगर व लखना सड़क का निर्माण कब से शुरू किया गया है?

श्री गिरधारीलाल---नोटिस की जरूरत है।

आजमगढ़ जिला पंचायत कार्यालय के खलील नामक कर्मचारी को पाकिस्तान जाने पर वेतन देना

*५३---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या स्वशासन मंत्री आजमगढ़ जिला पंचायत कार्यालय द्वारा श्री खलील नामक कर्मचारी के वेतन की अदायगी के संबंध में २३-७-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त व्यक्ति को किस मास का और कितना वेतन दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव---श्री खलील को निम्नलिखित वेतन दिया गया:---

नाम मास	वेतन तथा महंगाई भत्ता जो दिया गया
जनवरी, १९५६	१०४ रु० ७ आना
फरवरी, १९५६ ..	१०५ रु०
मार्च १, १९५६ से मार्च २७, १९५६ तक	८७ रु० १४ आना

*५४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उसी मास का वेतन दिया गया है जब कि वे पाकिस्तान में थे?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। उस समय वह अवकाश पर पाकिस्तान में थे।

आजमगढ़ जिले में ग्राम सभा मिसिरपुर के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

*५५---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ की ग्राम सभा मिसिरपुर के प्रधान के विरुद्ध १४-३-५५, २१-३-५५, १२-७-५६, २६-७-५६, १६-११-५६ तथा २०-३-५७, को क्रमशः जिलाधीश एवं परगनाधीश के यहां आवेदन-पत्र दिये गये हैं पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है?

श्री रामस्वरूप यादव---इस संबंध में केवल दिनांक २० मार्च, १९५७ का आवेदन-पत्र ही जिले में प्राप्त हुआ है। उस पर कार्यवाही हो चुकी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या कार्यवाही हुई है और कब हुई है?

श्री रामस्वरूप यादव---वार्निंग दे दी गई है कि भविष्य में सतर्क रहें।

सीतापुर जिले में सड़कों का निर्माण

*५६---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५४ से ३१ मार्च, १९५७ तक जिला सीतापुर में कितने मील नई कंकड़ की सड़कें, कितने मील कोलतार की सड़कें और कितने मील सीमेंट की सड़कें बनीं और कहां कहां?

श्री गिरधारीलाल---यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी हुई है

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २२९ पर)

श्रीताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सूचना मुझे मिली है उसमें तीसरे नम्बर पर सिधौली-बिसवां सड़क लिखा है और बिसवां-बाली लिखा है, तो क्या ये दो सड़कें अलग-अलग हैं?

श्री गिरधारीलाल---हां, अलग-अलग हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---बिसवां-बाली सिधौली सड़क पर जो सीमेंट की कांक्रीट बनाई गई क्या वह बिगड़ चुकी है और यह कब बनाई गई थी?

श्री गिरधारीलाल---सूचना की आवश्यकता है?

रायबरेली जिले में गौरा-डलमऊ-सलोन सड़क पर आम और महुवा के पेड़ों का काटा जाना

*५७---श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली तहसील डलमऊ के अन्तर्गत ग्राम गौरा से जो सड़क डलमऊ-सलोन सड़क से मिलती है उसके दोनों ओर जो आम और महुआ के दरख्त हैं वे कटाये जा रहे हैं? यदि हां, तो उन्हें कौन कटवा रहा है?

*५८---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन दरख्तों के कटने की इत्तला ५-७-५७ को जिलाधीश महोदय रायबरेली को दी गई? यदि हां, तो उन्होंने आज तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

*५९---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त दरख्त जो कटाये जा रहे हैं, वह किन-किन ग्राम समाजों की सम्पत्ति हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---इस संबंध में वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी?

श्री रामस्वरूप यादव---१ महीने से अधिक तो लग ही जायगा।

अलीगढ़ जिले में वनरोपण योजना

*६०---श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वनरोपण योजना अलीगढ़ जिले के कौन-कौन से भाग में चल रही है?

श्री सैयद अली जहीर--वन रोपण योजना अलीगढ़ जिले के हाथरस तहसील में सुसायत ब्लाक, कोअल तहसील में सिकन्दरपुर छेरत तथा सिकन्दराराव तहसील में कचोरा में चल रही है।

*६१--श्री हरदयाल सिंह पिपल (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि यह योजना हाथरस तहसील में कितनी एकड़ बंजर भूमि में कितनी लागत से चलाई जा रही है? इस पर कितना व्यय हो चुका है और कितना व्यय होना शेष है?

श्री सैयद अली जहीर--यह योजना हाथरस तहसील में सुसायत ब्लाक में ११० एकड़ भूमि में कार्यरूप में परिणत हो चुकी है। इस पर अभी तक लगभग १०,००० रु० व्यय हो चुका है तथा पौधों को सुचारू रूप से रखने में लगभग ३-४ वर्ष तक १,५०० रु० प्रति वर्ष व्यय होने का अनुमान है।

गोंडा जिले में किसानों को जंगलों से सुविधा देने की प्रार्थना

*६२--श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार गोंडा जिले में जो जमींदारों के वन अब राज्य सरकार में निहित हो गये हैं उनमें काश्तकारों को जलाने की लकड़ी तथा जानवरों को चराने के संबंध में वही सुविधायें देने की कृपा करेगी जो उन्हें भूतपूर्व जमींदारों द्वारा दी जाती थी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जमींदारों के वन राज्य सरकार में निहित हो जाने के पश्चात भी गोंडा जिले में काश्तकरों को वही सुविधायें उपलब्ध हैं जो इन को बनों के निहित हो जाने के पहिले भूतपूर्व जमींदारों द्वारा दी जाती थीं।

जालौन जिले में मदारीपुर-कालपी सड़क के नालों पर पुलों की आवश्यकता

*६३--श्री गरीब दास (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला जालौन में मदारीपुर-कालपी सड़क पर किसी भी नाले पर कोई भी पुल नहीं है जिसके कारण आवागमन में बड़ी असुविधा है? क्या सरकार इन नालों पर पुल निर्माण करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा?

श्री सैयद अली जहीर--इस संबंध में वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ नगरपालिका में क्लर्कों के स्थान पर हरिजनों को न लेना

*६४--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड में कितने क्लर्कों की नियुक्ति जनवरी, १९५७ से अब तक की गई?

श्री रामस्वरूप यादव--लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड में १ जनवरी, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५७ तक १७ क्लर्कों की नियुक्ति हुई।

*६५--श्री गनेशीलाल चौधरी--इन स्थानों के लिये कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये?

श्री रामस्वरूप यादव--इन स्थानों के लिये ३ प्रार्थना-पत्र हरिजनों के प्राप्त हुये।

*६६--श्री गनेशी लाल चौधरी--इन स्थानों पर कितने हरिजन लिये गये?

श्री रामस्वरूप यादव--इन स्थानों पर किसी हरिजन की नियुक्ति नहीं हुई, क्योंकि वे लिपिक के पद के लिये योग्य नहीं पाये गये। इनमें से फिर भी दो अभ्यर्थियों को बिल सरवर के पद पर नियुक्त किया गया क्योंकि वे इस पद के लिये योग्य थे।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन ३ हरिजनों के प्रार्थना-पत्रों में उनकी योग्यता क्या थी?

श्री रामस्वरूप यादव—योग्यता के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गनेशीलाल चौधरी—आपने जो क्लर्क लिये उनमें किन किन योग्यता के लिये ?

श्री अध्यक्ष—आप, आप कह रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं क्लर्क तो लिये नहीं हैं। आप जरा प्रश्न ठीक से करें।

श्री गनेशीलाल चौधरी—म्युनिसिपल बोर्ड ने जिन क्लर्कों को लिया उनकी योग्यता क्या थी, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—योग्यता तो मिनिमम हुआ करती है और बहुधा हाई स्कूल ही है लेकिन नियुक्ति के समय कम्परेटिव योग्यता देखी जाती है कि कौन मनुष्य अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है।

आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के विरुद्ध उत्तर विजयनगर कालोनी के निवासियों का शिकायती पत्र

*६७—**श्री लक्ष्मीनारायण बंसल** (जिला आगरा)—क्या सरकार के पास आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के विरुद्ध उत्तर विजयनगर कालोनी के निवासियों का इस आशय का कोई शिकायती पत्र आया है कि उनको ट्रस्ट द्वारा वह कुल सुविधायें नहीं दी जा रही हैं जिनका उनसे वायदा किया गया था ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। परन्तु उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो सुविधायें आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने देने का वायदा किया था, वह नहीं दी जा रही हैं।

*६८—**श्री लक्ष्मीनारायण बंसल**—क्या सरकार का विचार आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में किसी गैर सरकारी सलाहकार समिति की नियुक्ति करने का है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार बतायेगी कि अगर यह शिकायत नहीं थी तो क्या शिकायत थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनकी शिकायत इस प्रकार की थी कि वहां पर मार्केट हो, अस्पताल हो, डाकखाना हो, पुलिस चौकी हो और जो कीमत लड की ली गयी थी वह पहले अनुमानित कम थी लेकिन जब अदालत में मुकदमा गया तो अनुमानित ज्यादा समझी गयी, इसलिये ज्यादा रुपये की मांग की गयी थी, उन्होंने यही एतराज किये।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार यह बतायेगी कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने तमाम माडर्न फैसिलिटीज जैसे स्कूल, अस्पताल और बिजली आदि का वायदा किया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जहां तक स्कूल का संबंध है उसमें उन्होंने लैंड रक्खी है। मार्केट के लिये उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी क्योंकि एक मार्केट पास ही है तथा उसी एरिया के पास अस्पताल भी है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार बतायेगी कि इस कालोनी में मार्केट के लिये जमीन रिजर्व की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—दूकानें बनाने के लिये सुविधा कर दी गयी है लेकिन मार्केट के लिये अलाहिदा स्थान नहीं रक्खा गया।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार बतायेगी कि अभी तक किसी दूकान का निर्माण हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तक नहीं हुआ है ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह दूकानों के निर्माण का काम कब तक हो जायगा ?

श्री रामस्वरुप यादव—यह बताना अभी संभव नहीं है यह तो धन के प्राप्त होने के ऊपर है । अगर धन की व्यवस्था जल्दी हो जायगी तो यह काम भी जल्दी हो जायगा वरना देर लगेगी

सहकारी विभाग से संबंधित बैंकों, संघों, सीड स्टोरों और प्राइमरी सोसाईटीज में गबन

*६९—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में राज्य के सहकारी विभाग में बैंकों, संघों, सीड-स्टोरों और प्राइमरी सोसाईटीज का कितना रुपया गबन हुआ तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार कृपया ऐसे मामले की एक सूची सदन के सामने रखेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—कुल १८,२५,८७५ रुपये का गबन हुआ । गबनों के मामलों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संबद्ध †सूची में दिया हुआ है ।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, मैंने आज इन प्रश्नों को स्थगित करने की प्रार्थना की थी ।

श्री अध्यक्ष—आप तो यहां मौजूद हैं । इसलिये मैंने आपका नाम पुकार लिया ।

श्री मदन पांडेय—लेकिन यह इतनी लंबी लिस्ट है और वह मुझे १५ मिनट पहले ही मिली थी, इसलिये मैं उस पर कोई सप्लीमेंटरी नहीं कर पाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—आपने यह प्रश्न पूछा है, आप उस पर सप्लीमेंटरी कर सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी इतने लंबे गबन के होते हुए, इस संबंध में सरकारी जांच करने की किसी योजना के बारे में सोच रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—मेरा पूरा प्रयत्न यह रहता है कि इस तरह के गबनों को रोका जाय । लेकिन यह विभाग इतना लंबा चौड़ा है, इतने सरकारी, नीम सरकारी, और जनता के लोग इसमें सम्मिलित हैं कि इसका रोक जाना समाज के स्तर के ऊंचा होने पर ही निर्भर करता है ।

श्री अब्दुल रऊफ जाफरी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह १८,२५,८७५ रुपये का जो गबन हुआ है वह कितने दिनों के बाद सरकार को पता लगा और जिन अधिकारियों की देख-रेख में गबन हुआ है उन अधिकारियों को क्या सजा दी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह इतनी लम्बी चौड़ी जो लिस्ट है, न एक दिन में कोई गबन हुआ, न एक दिन में पता लगा, न एक दिन में कार्यवाही हुई । जैसे जैसे पता लगता गया, कार्यवाही होती गयी, बहुतों को सजा मिल चुकी है, बहुतों की इन्क्वायरी हो रही है और बहुत से अदालत से बरी हो गये हैं बावजूद मुकदमा चलाये जाने के । यह सारी कार्यवाही इतनी लम्बी चौड़ी है, कोई माननीय सदस्य अगर मेरे कमरे में आकर इसके बारे में कुछ सजेशंस देना चाहें तो मैं उनका स्वागत करूंगा ।

---

†सूची छापी नहीं गई ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी जनता की दिक्कत होने के साथ-साथ जिन कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, उनकी खुली जांच करवाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह जितनी भी जांच है, उसमें बहुत से आदमी हैं, कई सरकारी व नीम सरकारी हैं, उन पर मुकदमा चलाया गया, उनमें कई को सजा भी मिली है, मेरा इरादा किसी के साथ रू रियायत करने का नहीं है ।

सहकारी विभाग द्वारा सीड सब्सिडी में दिये गये रुपये का व्यय

*७०—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारी विभाग को सन १९५० से अब तक सीड सब्सिडी के रूप में कितनी रकम दी गई तथा सहकारी विभाग ने इस रुपये को किस प्रकार खर्च किया ? क्या सरकार कृपया उपर्युक्त सब्सिडी के खर्च के पूरे ववरण को सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न का अर्थ स्पष्ट नहीं है माननीय सदस्य सम्भवतः वह धनराशि जानना चाहते हैं जो सरकार ने सहकारी बीज भंडारों की सहायता के लिये दी। कुल २९,१५,००० रुपये इस प्रकार सरकार द्वारा दिये गये। खर्च का †विवरण संलग्न है ।

खरीफ की फसल नष्ट हो जाने से जौनपुर जिले को सहायता

*७१—**श्री लालबहादुर सिंह**—क्या न्यायमंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जौनपुर जिले में कुल सस्ते गल्ले की कितनी दुकानें हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जौनपुर जिले में अब कुल २०७ दुकानें हैं ।

*७२—**श्री लालबहादुर सिंह**—क्या न्याय मन्त्री को सूचना मिली है कि जिले के अधिकांश भागों में आरम्भ में वर्षा न होने के तथा बाद में लगातार अधिक वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल बरबाद हो गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—फसल को अधिक वर्षा और बाद में वर्षा के जल्दी खत्म हो जाने से हानि पहुंची है ।

*७३—**श्री लालबहादुर सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में उपर्युक्त परिस्थिति से जो संकट उत्पन्न हो गया है उसमें सहायता पहुंचाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समस्या को निवारण करने के हेतु सरकार ने जौनपुर जिले में दूकानों की संख्या १४६ से बढ़ाकर २०७ कर दी है। सस्ते गल्ले के बेचने का मुनासिब प्रबन्ध कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जौनपुर जिले में २,२०,००० रुपया तकावी के रूप में दिया तथा साथ ही साथ १,७०,००० रु० की फीस में छूट दी, १०,००० रु० निराश्रितों को मुफ्त राशन बांटने के लिये, ५,००० रु० मुफ्त आर्थिक सहायता (Gratuitous relief) के लिये और १०,००० रु० भूसा तथा अन्य आवश्यक सामग्री के हेतु अर्थात् कुल ४,१५,००० रू० प्रदान किया ।

---

† विवरण तालिका छापी नहीं गयी ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ७१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी के पास यह रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि फीस की छूट का रुपया काफी नहीं है ?

श्री सैयदअली जहीर—मेरे पास तो ऐसी कोई इत्तिला नहीं है कि वह काफी नहीं है।

बुलन्दशहर जिले में पंचायत विभाग के कर्मचारियों को वेतन न मिलना

*७४—श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के पंचायत दफ्तर के कुछ कर्मचारियों को व पंचायत सेक्रेटरियों को १ जनवरी, १९५२ से ३० सितम्बर, १९५४ तक का वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला बुलन्दशहर के पंचायत दफ्तर के कुछ कर्मचारियों को व पंचायत सेक्रेटरियों को १ जनवरी, १९५२ से ३० सितम्बर, १९५४ की अवधि में भिन्न-भिन्न अवधियों का वेतन निम्नलिखित कारणों से नहीं दिया जा सका है:—

१—एक पंचायत इन्सपेक्टर, ३ पंचायत लिपिकों तथा १ पंचायत मंत्री के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाहियां चल रही थीं। इसके कारण इनकी वेतन वृद्धियों का धन समय पर नहीं दिया जा सका था।

२—दो पंचायत लिपिकों को स्थानापन्न रूप से संचालक, पंचायत राज की स्वीकृति की प्रत्याशा में नियुक्त किया गया था। स्वीकृति की प्रत्याशा में इनके वेतनों का भुगतान समय पर नहीं किया जा सका था।

३—पंचायत मंत्रियों के जुलाई, १९५२ से पूर्व के वेतन का भार सम्बन्धित ग्राम सभाओं पर था। इनके लेखों में धन उपलब्ध न होने के कारण ७ पंचायत मंत्रियों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है।

मुरादाबाद की कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटियां

*७५—डाक्टर खमानीसिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९४८ से १९५६ तक मुरादाबाद शहर में कितनी कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनीं और उनमें कितनी सरकार से रजिस्टर हुईं ?

श्री मोहनलाल गौतम—सात, सबकी रजिस्ट्री की गई।

*७६—डाक्टर खमानीसिंह—उन कोआपरेटिव सोसाइटीज में कितनी पूंजी सरकार की और कितनी पब्लिक की लगी हुई थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—सरकार की कोई भी पूंजी नहीं लगी हुई है। १,५३,१३९ रुपया जनता द्वारा ३० जून, १९५६ तक लगा हुआ था।

*७७—डाक्टर खमानीसिंह—उपर्युक्त सोसाइटीज में से इस समय कितनी काम कर रही हैं और कितनी फेल हो गईं ? जो फेल हो गईं उनसे सरकारी पैसा वसूल हुआ या नहीं ? अगर हुआ, तो कितना और नहीं, तो क्या सरकार उक्त धन वसूल करने पर विचार कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—तीन अब तक कार्य कर रही हैं और चार फेल हो गयी हैं। चूंकि सरकार का पैसा इन में नहीं लगा था इसलिये सरकार द्वारा वसूली का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

गोंडा जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*७८--श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में अन्नाभाव के कारण सरकार ने कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें किन-किन स्थानों पर खुलवाई हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर--गोंडा जिले में विभिन्न स्थानों पर खोली गई सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २३०-२३१ पर)

*७९--श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना बूढ़ापार तथा सादुल्लानगर में अन्न की कमी तथा गल्ले की दुकानें खुलवाने की कोई सूचना प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सैयद अहीजहीर--परगना बूढ़ापार में सस्ते गल्ले की दूकान खुली हुई है जो हथियागढ़ में चल रही है । इसके अतिरिक्त उक्त परगने के समीप ही परगना बमनी पायर में छपया में एक दुकान खुली है । परगना सादुल्लानगर में भी ग्राम रेहराबाजार तथा सादुल्लानगर में एक एक दुकान खुली है ।

खीरी जिले में पचपेड़ी-घाट बेलरावा सड़क के निर्माण पर व्यय

*८०--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में पचपेड़ी घाट से बेलरावा जाने वाली सड़क पर अब तक कितना खर्च हो चुका है और कितना और होने वाला है ?

श्री गिरधारीलाल--जुलाई, १९५७ के अन्त तक ९.३ लाख रुपया व्यय हो चुका है और लगभग १२.७० लाख रुपया अभी कार्य समाप्त होने तक और व्यय होगा ।

खीरी जिले में सरयू नदी के पुल पर व्यय

*८१--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में सरजू नदी पर जो पुल बनवाया गया है उस पर कितना खर्च हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--इस पर ६५,००० रुपया खर्च हुआ है ।

खीरी जिले में जौहरा नदी पर अस्थायी पुल

*८२--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में जौहरा नदी और निघासन के उत्तर बहाव पर जामुन की लकड़ी गाड़ कर क्यों पुल बनवाया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल--पिछली बरसात के पहले इस स्थान पर यातायात के सुभीते के लिये पास के पेड़ों से लकड़ी काटकर एक अस्थायी पुल बनाया गया था ।

इटावा जिले में भरथना से बाई--पास रोड बनाने की प्रार्थना

*८३--श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कस्बा भरथना (जिला इटावा) पार करने में यातायात में बड़ी दिक्कत होती है ?

श्री गिरधारीलाल--यातायात की इतनी अधिकता नहीं है जिससे विशेष कठिनाई होती हो ।

*८४—श्री मिहरबान सिंह—क्या सरकार इस दिक्कत को दूर करने को आवटन रोड बनाने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—बाई पास रोड के निर्माण की आवश्यकता अभी प्रतीत नहीं होती है क्योंकि बकेवर से भर्थना होकर बाहर जानेवाला यातायात बहुत कम है ।

झांसी में पानी के नल लगाने के लिये म्युनिसिपल बोर्ड को अनुदान तथा ऋण

*८५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर में स्वशासन विभाग द्वारा पानी के नल लगाने का कार्य कब आरम्भ हुआ था, कितने भाग में नल लग चुके हैं तथा कितने में बाकी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—झांसी शहर में पानी के नल लगाने का कार्य इस विभाग द्वारा दिसम्बर सन् १९५५ में आरम्भ हुआ था । शहर में कुल १६ मील की नलों की लम्बाई के लगाने का कार्य केवल ३,००० फुट की लम्बाई के अतिरिक्त कभी का समाप्त हो चुका है, इस ३००० फुट नल का कार्य इस लिए नहीं हो सका है कि यह नल समय पर कम्पनी द्वारा सप्लाई नहीं हो सके इस १६ मील नलों के लगाने के कार्य के अतिरिक्त ६ मील की लम्बाई में नल "राइजिंग मेन" भिन्न-भिन्न गोलाई के भी लगाए जा चुके हैं । ३,००० फुट बाकी नलों के लगाने के लिए टेन्डर मांगे जा रहे हैं ।

*८६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस भाग में नल लग चुके हैं उसमें क्या उनसे पानी सप्लाई होना आरम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो कब से होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जल कल अधीक्षक द्वारा मालूम हुआ है कि जिस भाग में नल लग चुके हैं, उनमें से निम्न भागों में पानी सप्लाई होना आरम्भ हो गया है:—

क—सिविल लाइन व शहर

१—इलाहाबाद बैंक से रेलवे स्टेशन वाली सड़क पर
२—इलाहाबाद बैंक से जेल वाली सड़क पर
३—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डाक बंगले से कचहरी व जोखन बाग वाली सड़क पर
४—इलाइट सिनेमा से जोखन बाग तक
५—जोखन बाग से ओरछा दरवाजे के अन्दर तक
६—जुगियाना व छनिया पुरा मोहल्लों में
७—मुहल्ला तलैइया
८—मुहल्ला मानिक चौक
९—राई का ताजिया से उन्नाव गेट तक
१०—पचकुइयां
११—नई बस्ती

बाकी भाग के नलों में पानी सप्लाई सितम्बर १९५७ तक हो जायगी ।

*८७—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में सरकार ने वहां के म्युनिसिपल बोर्ड को कितना रुपया कर्ज और अनुदान देना मंजूर किया है और उसमें से कितना दे चुकी है तथा उस पर बोर्ड को कितना ब्याज देना पड़ रहा है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सरकार ने झांसी म्युनिसिपल बोर्ड को निम्न कर्ज व अनुदान देना मंजूर किया था जो कि कुल नगरपालिका को दिया जा चुका है :---

अ---अनुदान	२,००,०००, रु०
ब---कर्ज	२२,२०,००० रु०

नगर पालिका को उक्त कर्ज के लिए ७,५८,००० रु० पर ४-१/२ रु० प्रतिशत प्रतिवर्ष और बाकी १४,६२,००० रु० पर ५ रु० प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से व्याज देना पड़ रहा है ।

इस तरह से कुल व्याज

९४,५२९ रु० ११ आ०
१४,३१७ रु० २ आ०

१,०८,८४६ रु० १३ आ० अर्थात् १,०८,८४६· ८१ रु० सरकार को दिया जा चुका है ।

नागपुर फारमूला (ग्रीड स्टोर) के अनुसार सड़कों का निर्माण

*८८---श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नागपूर फारमूला (ग्रीड स्टोर) के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने मील कच्ची और कितने मील पक्की सड़कें बननी चाहिये और कितने मील सड़कें इन जिलों में प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व थीं, कितने मील प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनीं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाली हैं ?

श्री गिरधारीलाल---आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी तालिका 'अ' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २३२-२३४ पर)

गोरखपुर कमिश्नरी में कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण

*८९---श्री रामसूरत प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व कितने मील कच्ची व कितने मील पक्की सड़कें थीं और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने मील और कौन कौन सी सड़कें बनीं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनें मील और कौन-कौन सी बनने वाली हैं ?

श्री गिरधारीलाल---वांछित सूचना सदस्य महोदय की भेज पर रखी तालिका 'ब' में दी हुई हैं ?

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २३५-२४१ पर)

*९०---श्री रामसूरत प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में घाघरा नदी पर दोहरी, बड़हलगंज घाट और राप्ती नदी पर वर्ड घाट पर बनने वाले पुलों के सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही कर रही है और ये पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---घाघरा नदी और बर्डघाट में राप्ती नदी के पुल के आगणन केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिये गए हैं जिसकी प्राप्ति के बाद निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा ।

अभी यह बताना सम्भव नहीं कि यह दोनों पुल कब तक बन कर तैयार हो जाएंगें ।

गोरखपुर जिले में सड़कों का निर्माण-कार्य

*९१--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की निचलौटन-ठूटीवारी, निचलौटन-चौक, नौतनवा-ठूटीवारी सड़कों का निर्माण कब तक समाप्त होगा ?

श्री गिरधारीलाल--निचलौटन-ठूटीवारी तथा नौतनवा-ठूटीवारी सड़कें कच्चे मार्गों के रूप में निर्माण हो रही हैं। यह १९५८ के मानसून के पहले तैयार हो जायगी। निचलौटन-चौक सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं हैं।

*९२--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार के विचाराधीन ठूटीवारी से बैठबलिया तक भारत-नैपाल सीमा के समानान्तर सड़क निर्माण की योजना है।

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

गोरखपुर जिले में बीजापार तथा खेखड़ा नाले के पुलों की निर्माण योजना

*९३--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की सिसवा बाजार से हेवती रोड पर बीजापार में तथा सवया से बागापार रोड पर चनकौरनी ग्राम में खेखड़ा नाले पर पुलों का निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--सिसवा बाजार हेवती रोड के आगणन में खेखड़ा नाले पर ८० फुट स्पैन का लकड़ी का पुल सम्मिलित है। कार्य का पुनर्निर्मित आगणन स्वीकृत होने पर सड़क तथा पुल पर कार्य आरम्भ किया जायगा। इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि कथित पुल का निर्माण कब तक हो जायगा। सवया-बागापार मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

गोंडा जिले में ढकिया नाले के पुल की मरम्मत की आवश्यकता

१--श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा जिले में तहसील तरबगंज में ढकिया नाला का पुल गिर गया है ? क्या सरकार उसे बनवाने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार ढकिया नाले का पुल केवल नवम्बर से जून तक प्रयोग करने योग्य है। बरसात में पुल के बजाय नावों का प्रयोग होता है। यह पुल १९५३ से जिला बोर्ड का है उस की मरम्मत की व्यवस्था बोर्ड की जिम्मेदारी है यह गलत है कि यह पुल टूट गया है।

आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अधिकृत की गयी भूमि

२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने १९४९ से अब तक आगरा नगरपालिका के विभिन्न भागों में जो जमीनें एक्वायर कीं उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल तथा अवार्ड के अनुसार दी गई फी वर्ग-गज की कीमत क्या है तथा वही जमीन ट्रस्ट द्वारा कितने फी वर्ग गज में बेची गयी या पट्टे पर उठाई गयी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आगरा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा जो जमीन विभिन्न स्कीमों में अधिकृत की गई उनका क्षेत्रफल तथा अवार्ड के अनुसार दी गयी प्रतिवर्ग गज की क्षति पूर्ति तथा वह दर जिस पर यह पट्टे पर उठाई गयी, निम्नांकित है :—

क्रम संख्या	स्कीम का नाम		क्षेत्रफल वर्गगज में	एवार्ड द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की प्रति वर्ग गज दर (नये पैसें)	ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर उठाये जाने की प्रतिवर्ग गज की दर
१	रकाबगंज विकास योजना	..	१३,९१८	०.६५	८ रु०
२	राजामंडी सड़क योजना	..	९,१८१	२.४४	११ रु०
३	पश्चिमी ईदगाह विकास योजना	..	८४,७२०	०.६०	५.२५ रु० वर्ग गज औसतन
४	नाई की मंडी सड़क योजना	..	७,५९९	०.४६	१२.१६ रु० औसतन
५	खंदारी सड़क विकास योजना	..	८२,६८०	०.४६ (अ)	४ रु०
				(ब)	३.१२रु०
६	फटी धरती सड़क विकास योजना	..	९९,१९७	०.०८	४ रु०
७	सिविल लाइन्स विकास योजना	..	७५,२६२	०.७२	४ रु०
८	उत्तरी विजय नगर विकास योजना		२,८२,५५९	०.१५	६ रु०

क्षति-पूर्ति की निधि का अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

यह निधि अनुमानित व्यय पर निर्धारित है, जो कि २५ प्रतिशत तक बढ़ या घट सकती है।

३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महात्मा गांधी रोड आगरा, पर स्थित सुभाष पार्क के पीछे नाई की मन्डी स्ट्रीट स्कीम में लैन्ड एक्वीजिशन अफसर का अवार्ड पचास रुपया फी बीघा या एक पैसा फी वर्ग गज से भी कम था जब कि वही जमीनें पट्टे पर ९ रुपये से लेकर १५ रुपये फी वर्ग गज पर उठाई गयी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आगरा में नाई की मंडी स्ट्रीट स्कीम में जो भूमि प्राप्त की गयी है, उसकी दर अवार्ड के अनुसार ४६ नये पैसे प्रति वर्ग गज है। इस भूमि पर काफी धन खर्च कर के इसका सुधार किया गया है। इस पर १२ भूमि खंडों का निर्माण करा कर, नीलाम द्वारा बितरित करने पर अधिकतम मूल्य १३ रु० २ आ० प्रति वर्ग गज प्राप्त हुआ है।

आगरा कोआपरेटिव हाउसिंग स्कीमों में २२ बीघे जमीन का अवार्ड

४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगरा कोआपरेटिव हाउसिंग स्कीमों में बाईस बीघे से कुछ अधिक रकबे के लिये ढाई लाख से कुछ कम का अवार्ड दिया गया था और इस अवार्ड को यू० पी० लैन्ड रिकार्डस कमिशनर ने स्वीकार कर लिया था लेकिन सरकार के आदेश से इस पर लैन्ड एक्वीजीशन अफसर ने उस अवार्ड को घटा कर इक्तीस हजार से कुछ कम कर दिया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां ।

५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[हटा दिया गया ।]

६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को मालूम है कि उपर्युक्त उदाहरण सहित बहुत से मामलों को सात वर्ष से भी कुछ ज्यादा हो चुके हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—उत्तर विजय नगर डेवलेपमेन्ट स्कीम १९५२ में स्वीकृत हुई थी । आगरा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का भूमि अधिकरण संबन्धी मामला सात वर्ष से अधिक से चल रहा है ।

७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को मालूम है कि सात वर्ष पहले ऐसी अवार्ड की अपीलों के लिये ट्रिब्यूनल मौजूद है लेकिन अभी तक उसके पास एक भी अपील नहीं पहुंची जब कि इस बीच में ट्रिब्यूनल में कई-कई सदस्य बदल चुके हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—केवल इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट द्वारा भूमि अधिकरण के मामलों की अपीलें निर्धारित ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होती हैं । यह शासन का दोष नहीं है कि प्रतिवादियों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने मामले नहीं रक्खे ।

१३ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न ८ व ९ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन

श्री अध्यक्ष—अब माननीय न्याय मंत्री अपना उत्तर जो पहले दे चुके हैं, उसका संशोधन उपस्थित करना चाहेंगे ।

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमती चन्द्रावती द्वारा १३ अगस्त, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८ व ९ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देते समय श्री झारखंडे राय को यह बताया गया था कि निर्वाचक सूची जब बन जाती है तो उसको कैन्डीडेट खरीदते हैं और उसकी कीमत अदा हो जाती है तथा श्री राम सुन्दर पांडेय को बताया गया था कि इस साल मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को शायद एक-एक सूची मुफ्त दी गयी है । इन उत्तरों में कुछ संशोधन की आवश्यकता है ।

श्री झारखंडे राय द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है—"निर्वाचक सूची के बन जाने पर उम्मीदवार उनको खरीदते हैं तथा इस प्रकार इन सूचियों पर किय गय व्यय का कुछ अंश मिल जाता ह । क्योंकि निर्वाचक सूचियां प्रतिवर्ष बनायी जाती हैं तथा आम निर्वाचन होने या न होने से इनके बनन में कोई अन्तर नहीं पड़ता इसलिए यह व्यय इसमें नहीं शामिल है ।"

श्री राम सुन्दर पांडेय द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है :

"जी हां, दो-दो सूचियां प्रत्येक पार्टी को निःशुल्क दी गई हैं ।"

कार्य-सूची में एक सदस्य के ३ से अधिक प्रश्न होने पर आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान नियम २५ की ओर आकर्षित करता हूं कि एक सदस्य को ३ प्रश्न से अधिक प्रश्न करने का अधिकार नहीं है जबतक कि ३ के अतिरिक्त और प्रश्न अनस्टार्ड न हों लेकिन कल की कार्यवाही में यह हुआ है कि किसी किसी के ४–४ उत्तर दिये गये हैं । श्री भुवनेश भूषण जी के नाम के ही ४ उत्तर कल दिये गये हैं, इस का नतीजा यह होता है कि जिन के और नियमानुकूल प्रश्न होते हैं वह रह जाते हैं .....।

श्री अध्यक्ष—यह तो ठीक है कि हर एक सदस्य के लिये ३ सवाल दिये जाते हैं लेकिन अगर वह एक बार मुल्तवी हो जांय तो वे दूसरी बार भी आयेंगे और उस हालत में उन की संख्या

दोनों समयों को मिला कर ६ भी हो सकती है क्योंकि दूसरे ३ और उसी बीच में मंजूर हो गये, इस तरह से वह बढ़ जाते हैं, इसलिये आप देख लें कि अगर ऐसा हुआ है तो वह स्थगित प्रश्न होंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—वह सब स्थगित प्रश्न हैं उनमें नये आये हुये नहीं जोड़े गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे दफतर में इस बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं ।

मुख्य मंत्री द्वारा गलत सूचना दिये जाने के विषय में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक विशेषाधिकार का प्रश्न श्री मोतीलाल अवस्थी ने भेजा है । लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न उठता नहीं, क्योंकि उन्होंने यह प्रश्न गलतफहमी की बिना पर पेश किया है । उसमें उन्होंनें लिखा है कि तारीख ९-१२-१९५७ को सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने जानते हुये भी सदन को गलत सूचना दी और सत्य को छिपाया कि डाक्टर राममनोहर लोहिया की स्वास्थ्य-परीक्षा डाक्टर डी० एन० शर्मा, अतिरिक्त सिविल सर्जन, बलरामपुर अस्पताल द्वारा नहीं की गई और न उनकी कोई रिपोर्ट सरकार के पास है और यह भी छिपाया गया कि डाक्टर लोहिया को हाइपर ब्लड टेंशन और स्पैज्म इन हार्ट है ।

यह आप ने आरोप किया है । कल श्री राज नारायण ने माननीय मुख्य मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था कि "माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय सदन में विद्यमान हैं, यह बतायेंगे कि उन्होंने ३ तारीख को डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा करने को भेजा था और डाक्टर डी० एन० शर्मा ने इस बात की रिपोर्ट की ?"

इस पर उन्होंने जवाब दिया कि "मैं सवाल समझा नहीं ।" इस पर उन्होंने फिर सवाल किया कि "क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ३ नवम्बर को उन के आदेश पर या उनके निर्देश पर डाक्टर डी० एन० शर्मा डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा करने जेल में गये थे ? '

इस पर डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने जवाब दिया कि "न मैं जेल के मामले में डायरेक्टली कोई निर्देश करता हूं न कोई आदेश करता हूं । अगर डाक्टर शर्मा गये होंग तो समाज सुरक्षा मंत्री के आदेश या निर्देश पर गये होंगे । उन्ही की इजाजत लेकर गये होंगे ।"

यह प्रश्न वैसे समाज सुरक्षा मंत्री का था, लेकिन बीच में माननीय राज नारायण जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ लिया था और उन्होंने उस का जवाब दे दिया था कि "डायरेक्टली मैं कुछ आदेश या निर्देश नहीं करता हूं, अगर डाक्टर शर्मा गये होंगे तो वह समाज सुरक्षा मंत्री की इजाजत से गये होंगे उन की इजाजत लेकर गये होंगे, " यह उनका जवाब हुआ । इसलिए कहीं भी उनके गलत बयानी का प्रश्न नहीं उठता । मैं समझता हूं कि यह प्रश्न गलतफहमी पर ही उठाया गया है । इस लिये मैं इस की इजाजत नहीं देता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, एक मिनट मुझे मौका दिया जाय । मैं अपनी बात.....

श्री अध्यक्ष—मैंने अब वह सब कार्यवाही मंगाकर देख ली है । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इस की इजाजत दे सकूं, आप इस को वापिस कर सकते हैं ।

श्री मोती लाल अवस्थी—मैंने अभी अपना स्पष्टीकरण नहीं पेश किया है ।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आ जांय, मैं यहां पर इजाजत नहीं दूंगा ।

लखनऊ जेल में बंदियों पर किये गये लाठी चार्ज से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर उठाई गयी वैधानिक आपत्ति

श्री अध्यक्ष---कल जो कामरोको प्रस्ताव राजनारायण जी का था और जिसके लिये इजाजत मिल चुकी थी, शामको यह मालूम हुआ कि यह प्रश्न अदालत के सुपुर्द है, सब-जुडिस है । जो दरख्वास्त श्री राजनारायण जी ने दी थी, मुख्य मंत्री जी ने पढ़ कर सुना दी थी । उसकी मैंने नकल मंगवा ली और मैंने यह तय किया था कि आज मैं उसके ऊपर फैसला दूंगा । अगर इस विषय में किसी ने कोई कानूनी राय ली हो, राजनारायण जी ने या मुख्य मंत्री जी ने तो वह मुझे बता दें ।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---जो कल दरख्वास्त पढ़ी गयी थी उसका हिन्दी में अनुवाद किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---वह तो हाई कोर्ट की जो भाषा है उसके हिसाब से वह पढ़ कर सुना दी गयी । अनुवाद करने में सदन के समय का अपव्यय होगा ।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा---बहुत से माननीय सदस्य हैं जो अंग्रेजी से अनभिज्ञ हैं ।

श्री अध्यक्ष---थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा बाद में हिन्दी में । अभी मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कोई कानूनी राय इस विषय में ली है ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मैंने कल यह निवेदन किया था कि जो दरख्वास्त माननीय राजनारायण जी ने हाई कोर्ट में दी थी और उस दरख्वास्त के द्वारा जो मामला कल इस सदन में उठाया गया था और जिस पर कल श्रीमान् ने कामरोको प्रस्ताव की इजाजत दी थी वह अदालत में जेरे गौर नहीं है ।

मैं उसकी पुष्टि में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूल्स के चैप्टर २२ का एक हिस्सा पढ़े देता हूं---

"The application shall set out concisely in numbered paragraphs the facts upon which the applicant relies and the grounds upon which the Court is asked to issue a direction, order or writ, and shall conclude with a prayer stating clearly, so far as circumstances permit, the exact nature of the relief sought. The application shall be accompanied by an affidavit or affidavits in proof of the facts referred to in the application."

श्री अध्यक्ष---यह एप्लीकेशन क्या है ?

श्री त्रिलोकी सिंह---रिट की एप्लीकेशन ।

"An application for a direction or order or writ under Article 226 of the Constitution other than a writ in the nature of *habeas corpus* shall be made to the Division Bench .. .."

This is number 1.

सब-रूल (१) यह है और (२) वह है जो मैंने अभी पढ़ा । इसी रूल का सब रूल (४) है वह भी श्रीमन् की इजाजत से मैं पढ़े देता हूं ।

"Where the Government or an officer or department of the Government or court or a tribunal, board, commission or other body appointed by the Government is an opposite party named in the application the applicant shall before presenting the application serve notice of motion upon the Government Advocate in criminal matters and upon standing counsel if he is authorized to receive notice on behalf of such opposite party in other matters along with

a copy of the application affidavit and other papers accompanying it naming therein the day for the making of the motion."

इस केस में, सुपरिन्टेंडेंट जेल जो गरदाने गये हैं, यदि सरकार का कोई आदमी पार्टी है तो उसको भी नोटिस देना जरूरी है। इस केस में मैं निश्चित तौर पर यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐफीडेविट तो थी नहीं। कल राजनारायण जी ने स्वयं कह दिया और कोई भी नोटिस किसी सरकारी अधिकारी को नहीं दी गयी जो हाई कोर्ट क रूल्स की बमूजिब लाजिमी था कि आर्टिकिल २२६ की एप्लीकेशन में वह सरकार को अगर पार्टी बनाते हैं तो नोटिस दें। यह भी जरूरी है कि नोटिस चौदह दिन पहले देना चाहिए।

"There shall be at least fourteen clear days between service of notice of motion and the day named therein

इसमें नोटिस ही नहीं दिया, १४ दिन का क्या सवाल है? देयर इज वन मोर प्वाइंट, सर। इसी हाई कोर्ट के रूल्स में, रूल नम्बर (६) में यह लिखा है:—

"6. No application under this chapter shall be maintainable if adequate relief is obtainable by the applicant by any other process of law."

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं, जो प्रोसीजर का सवाल आपने उठाया, तो कोर्ट तो हम लोग हैं नहीं। हाई कोर्ट अगर इस प्रोसीजर को न बर्ते तो उसका क्या असर होगा यह भी उसके साथ-साथ आप खयाल करें।

श्री त्रिलोकी सिंह—जी हां, मुझे आप अगर गुजारिश करने दें तो मैं उसी पर आ रहा हूं। यह एप्लीकेशन अगर रिट की होती तो आर्टिकिल २२६ में नियमों की पाबन्दी की गयी होती। यह सही है कि राजनारायण जी ने, वह मुझे माफ करेंगे, कानून की नावाकफियत में यह लिख दिया कि एप्लीकेशन अन्डर आर्टिकिल २२६ है। आर्टिकिल २२६ के जो हाई कोर्ट के स्वयं अपने बनाये हुए रूल्स हैं, जिनकी कमप्लायेंस लाजिमी है, नहीं हुई। हाई कोर्ट ने स्वयं यह इसरार नहीं किया कि आप इन रूल्स की पाबन्दी करें। जो उनका हुक्म है जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने पढ़ कर कल सुनाया था, वह एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है, कोई जुडिशियल आर्डर नहीं है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने हाई कोर्ट से उसकी प्रति मंगाई, राजनारायण जी ने मेरी इस मामले में बड़ी मदद की, यह सर्टिफाइड कापी है हाई कोर्ट के आर्डर की जो इस प्रकार है:—

"I have already passed orders on the 1st December, 1957. No further orders are necessary on this application"

यह एप्लीकेशन वही है जिसे कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने पेश किया था। पहले, जज साहब ने एक हुक्म दिया जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पढ़ा था। उसके बाद एक सब्सीक्वेंट आर्डर भी आया। मेरा कहना है कि यह दरख्वास्त हाई कोर्ट के सामने यों ही पड़ गयी जिस पर हाई कोर्ट में गौर किया गया, तो समझा कि न तो प्रोसीजर फालो किया गया है और न एप्लीकेशन लाई करती है। खुद हाई कोर्ट के एक जज ने यह आर्डर दे दिया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि yesterday the application was not pending and even now it is not pending before any Court of Law. अगर, मान्यवर, आपकी इजाजत हो तो इस आर्डर को माननीय नेता सदन को भी दिखला दिया जाय क्योंकि आपत्ति उन्होंने उठायी थी।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, कल का एडजर्नमेंट मोशन जिसके बारे में आपने अनुमति दे दी थी और बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था या जो कुछ भी किया उन्होंने कहा कि यह सब-जूडिस है, उस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि किसी भी माने में यह सब-जुडिस नहीं है। यदि, श्रीमन्, पहले वह एप्लीकेशन पढ़ी जाय तो उसमें हमने कभी किसी के खिलाफ कोई मुकदमा चलाने की बात नहीं की है। हमारी प्रेयर देखी जाय, आप अगर इजाजत दें तो मैं अपनी प्रेयर में से पढ़ दूं, हमारी प्रेयर है, पहली—"The court may be pleased to order the immediate production of the Satyagrahis including Dr. Lohia, Mr. Krishna Pal Singh, Mr. Ram Sagar Misra, Krishna Nath Sharma before the Court."

हमने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं पेश किया। हमने यह कहा कि कोर्ट उन लोगों को अपने सामने प्रोड्यूस करके देखे कि लाठी चार्ज है या नहीं, चोट लगी है या नहीं।

फिर हमने निवेदन किया है कि—"The Court may further be pleased to permit interviews with the Satyagrahis in the presence of an officer of the court."

हमने दूसरा निवेदन किया कि आप कोर्ट के आफिसर के मातहत हमारा इंटरव्यू कराइए क्योंकि इंटरव्यू बन्द है और हमें पता नहीं चल पा रहा है कि उन पर क्या बीत रही है—

"and may also be pleased to order for medical examination of the Satyagrahis by independent medical practitioners in presence of an officer of the court."

और हमने आगे निवेदन किया कि कोर्ट के एक आफिसर की संरक्षता में, देखरेख में उनके स्वास्थ्य की परीक्षा की जाय और आखीर में हमने कहा कि—

"The Court may be pleased to order for an immediate and on the spot enquiry by an officer subordinate to the High Court."

आन दी स्पाट इन्क्वायरी आप कीजिए। हमने तो, श्रीमन्, कल ही निवेदन कर दिया था, जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने अभी कहा कि २२६ में क्या बातें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। इसकी जानकारी न होने के कारण इस तरह की एप्लीकेशन दी गयी। यह सही है कि कानून की क्या बारीकी है यह उस समय मुझे मालूम नहीं था। यह भी सही है कि जब कि डाक्टर लोहिया के ऊपर लाठी चार्ज और उनके घसीटे जाने की बात हमने सुनी तो हम लोगों के दिमाग में यह बात आयी कि आखिर इस तरह की बात क्यों हो रही है, क्या हम लोग शैतान के कारागार के कैदी हैं या इन्सान के कारागार के? इसलिए हम हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने उसी समय कह दिया था कि आपकी एप्लीकेशन किसी नियम के मुताबिक नहीं है और हैबियस कार्पस की तरह आप उसे प्रेजेंट करेंगे तो हम उसे आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। यह दूसरी बात है कि आप इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक वेग आर्डर कर दिया कि—"let the application for interview be made again today" हमसे यह कहा गया कि जाकर के फिर आप एप्लीकेशन दीजिए और मिलिए, क्यों नहीं मुलाकात करायेंगे।

दूसरी बात उन्होंने यह कह दी कि सिविल सर्जन और ऐडिशनल सिविल सर्जन जाकर के इन्क्वायर करें। तो इस तरह से आप देख लें कि किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए कोई केस हमारा पेंडिंग नहीं है, यह बिलकुल साफ बात है और न हमारी कोई हैबियस कार्पस की एप्लीकेशन ही है और न तो कोर्ट उसको मानती ही है। ६ तारीख को जब बहस कान्क्लूड हुयी तो यह पूछा गया कि राजानारायण सिंह की एप्लीकेशन पर क्या होगा, तो कोर्ट ने अपना आर्डर दिया जो कि हमने आपके पास भेजा है,। अभी जैसा माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा, हमने अपने साथियों को कल भेजा कि जाकर के पता लगाकर आओ कोर्ट ने क्या कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था कोर्ट ने कहा कि एप्लीकेशन की वजूद क्या है।" I have already passed orders. No further orders are necessary." किसी और आर्डर की जरूरत नहीं है। तो अब आप बताइए कि किस माने में हमारा कौन सा केस पेंडिंग है जिसका फैसला होना बाकी है जिसकी वजह से इसको सब-जुडिस माना जाता है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह किसी भी माने में सब-जुडिस नहीं है और इस पर हमने जितने वकीलों की सम्मति ली सब लोग इस राय के हैं कि यह सब-जुडिस हो ही नहीं सकता। अगर इस तरह से सब-जुडिस होने लगे तब तो किसी भी चीज पर यहां विचार हो ही नहीं सकता। हर मामले में सरकार की ओर से ही कोई न कोई एप्लीकेशन दे दी जायगी इन्डाइरेक्टली और फिर हर बात के ऊपर विचार करने का जो हमारा अधिकार है वह अधिकार ही छिन जायगा.....'

श्री अध्यक्ष—आप तो सब-जुडिस है या नहीं इसी पर कहें, उसका नतीजा क्या होगा, उस पर न जायं।

श्री राजनारायण—तो यह सब-जुडिस नहीं है। कोई केस पेंडिंग नहीं है और जिन जिन लोगों का हमने इसमें नाम लिखा है उनका भी कोई केस पेंडिंग नहीं है। अगर उनके सामने किसी का केस पेंडिंग है तो वह डाक्टर लोहिया का है और डाक्टर लोहिया का अपना एफिडेविट है। रांगफुल डिटेंशन का मामला है। वह भी उसमें नहीं पेश है जो कि डाक्टर लोहिया के ऊपर लाठी चली या उनको घसीटा गया। इसलिये मैं आपसे निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यह जो सब-जूडिस वाला प्वाइंट उठाया गया है यह इस इंटेंशन से उठाया गया है कि किसी तरह से जो अनुमति मिल गई है वह न मिलने पाये। यह प्वाइंट बेसलेस है, निराधार है।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी तो ला के ग्रेजुएट हैं। मैंने तो किसी ला कालेज की सूरत भी नहीं देखी। इसलिये मैं कानूनी पहलू नहीं जानता। इसलिये अपनी कोई राय दे नहीं सकता। लेकिन जो कल तक सूरत थी उसके ऊपर जो हाइयेस्ट लीगल एडवाइस ले सकते थे वह हमने ली एडवोकेट जनरल की और एडवोकेट जनरल की राय मेरे पास मौजूद है। अगर कोई मौका होगा तो मैं उसको पढ़ कर सदन को सुना दूंगा। उनकी यह निश्चित राय है कि यह मामला सब-जुडिस है।

अब इस वक्त हमारे सामने हाई कोर्ट के एक फैसले की नकल पेश है। अगर वह इस विषय पर अन्तिम फैसला हो तो जरूर उसके मुताबिक, जहां तक मैं ऐज ए ले मेन समझ सका हूं, वह मामला सब-जूडिस नहीं रह जाता। लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर थोड़े से वेरीफिकेशन की जरूरत होगी। यह नहीं कि कागज गलत है या कागज जाली है, कागज जरूर सही होगा, लेकिन उसके इम्पलिकेशंस क्या हैं उन पर गौर करना होगा। एप्लिकेशन हाई कोर्ट के प्रोसीजर के मुताबिक थी या नहीं थी इस पर मैं राय नहीं देता, लेकिन एप्लिकेशन जैसी भी थी अब जो हाई कोर्ट के सामने पेश की गई जिसमें कि दो तीन बातों की दरख्वास्त की गई थी उस पर हाई कोर्ट ने आर्डर्स भी दिये, मसलन् इंटरव्यूज की बाबत। दो तीन रिक्वेस्ट्स और की गई थीं उनमें एक दरख्वास्त यह मंजूर की गयी कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाय। इसके अलावा डाक्टर लोहिया साहब की बाबत कई चीजें थीं जैसे आदलत के सामने पेश किये जायं। जो और दरख्वास्तें हैं उनका कोई जिक्र नहीं है तो उनको क्या खारिज कर दिया गया? मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाय। कैसे कराया जाय? तो हाई कोर्ट का जो आर्डर है, कुछ अस्पष्ट-सा है। मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ-साथ और बहुत सी चीजें बंधी हैं, उनको कराया जाय या न कराया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

लिहाजा इस मामले को लीगल पहलू से गौर कर लिया जाय। आखिरी आर्डर है तो और किसी मामले में फरदर गौर नहीं करेंगे। इसलिये निवेदन है कि इस का फैसला नहीं हो सकता जब तक कि लीगल इम्पलिकेशंस पर गौर न कर लिया जाय, वर्ना लीगल दिक्कतों में हम अपने को डाल लेंगे।

श्री राजनारायण---एक दरख्वास्त यह है कि माननीय मुख्य मंत्री अगर सुन लें तो शायद मान जायं।

श्री अध्यक्ष---ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी बात समझ गया हूं। कल जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने रिट की दरख्वास्त पढ़ी थी उसमें मैं माननीय विरोधी दल के नेता से सहमत नहीं हूं। जो प्रोसीजर उन्होंने बताया अगर उस प्रोसीजर के अनुसार कार्य नहीं हुआ है तो केस सब-जूडिस नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर हाई कोर्ट अपने दफ्तर के प्रबन्ध में या इन्तजाम के बारे में देते हैं लेकिन कोई पब्लिक कम्पलेन्ट या शिकायत संविधान के विरुद्ध कार्य करने की उनके पास पहुंच जाय, किसी जनता के सदस्य की तरफ से, तो उसके ऊपर जो कुछ ऐक्शन या आर्डर हो उसमें एक ही केपेसिटी रहती है हाई कोर्ट की कि एक जुडिशियल माइंड उनको इस्तेमाल करना पड़ता है और उनका हुक्म जुडीशियल ही होगा। उसके बाद अगर वह आखरी फैसला यह कर दें कि उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे तो बात दूसरी है, लेकिन जो भी कार्यवाही करें वह जुडिशियल ही होगी चाहे जो नियम उन्होंने खुद बनाये हैं उनको चाहे वे बरतें या न बरतें उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट या और कोई देखेगा कि हाईकोर्ट ने कोई गलती की या नहीं। हम में और इस सदन में यह शक्ति नहीं है कि उसे चैलेंज करें कि फलां कार्यवाही ठीक हुई या नहीं हुई। तो जो कार्यवाही हुई वह जुडिशियल माइंड को उपयोग में ला करके और जुडिशियल आर्डर की हैसियत में हाईकोर्ट कर सकता है और उसने किया, इसलिए मैं तो समझता हूं कि वह प्रश्न सब-जुडिस हो ही जाता है। जबकि उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि उनकी एक प्रेयर तो मंजूर कर ली कि डाक्टर जायं और रिपोर्ट सबमिट करें। किसके सामने सबमिट करें? हाईकोर्ट के पास सबमिट करें। जिनके पास एप्लीकेशन है उनके लिए सबमिट करें और अगर उनके लिए सबमिट करते हैं तो उसके ऊपर वह दिमाग लड़ायेंगे कि वह जो चोटें लगी हैं वह किस चीज से लगी हैं---लाठी से या डंडे से या भाले से या बंदूक से लगीं। तो यह सब चीजें वह जज करके कोई दूसरा आर्डर निकालें यह उनको अधिकार है। आर्टिकिल २२६ में इस तरह के वाक्य दिये हुए हैं :---

"Notwithstanding anything in Article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, prohibition, *quo warranto* and *certiovari*, or any of them, for the enforcement of any of the *rights* conferred by Part III and for any other purpose."

तो इतना विस्तृत जुरिस्डिक्शन है। उस रिट पर हाई कोर्ट गवर्नमेन्ट को कह सकती थी कि तुम इस घटना की जुडीशियल इन्क्वायरी करो। चोटों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देखने के बाद यह गवर्नमेन्ट को आर्डर दे सकते थे---कई चीजें हो सकती हैं। अब प्रोसीजर को हाईकोर्ट ने नियमानुसार बरता है या नहीं वह अलग चीज है, लेकिन वह सब-जुडिस मामला हो जाता है।

अब प्रश्न यह आया कि आज राजनारायण जी ने यह बताया कि उनके खिलाफ उस पर अन्तिम हुक्म हो गया कि इस दरख्वास्त के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। मैं अब भी यह अन्तिम रूप से नहीं कह सकता हूं कि यह अन्तिम है या नहीं है, क्योंकि अगर उसके ऊपर यह हुक्म हो गया था कि इसकी इन्क्वायरी करो और रिपोर्ट सबमिट करो तो

दूसरे हुक्म में कहीं भी जिक्र नहीं है कि हमारे पास डाक्टर कि रिपोर्ट आ गयी है। या तो उनके दफतर के बाबू ने फिर से फाइल को जज साहब के सामने रख दिया होगा तो उन्होंने कहा होगा कि मैं तो १ तारीख को आर्डर पास कर चुका, उस आर्डर को कैरी आउट करो। इस आर्डर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो कार्यवाही होगी वही कार्यवाही होगी, यह हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस स्टेज पर यह आर्डर दिया गया यह इससे स्पष्ट नहीं है। तो उक्त निर्णय का स्पष्टीकरण कराने की इस बात में जरूरत है जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि थोड़ी बहुत जानकारी इस विषय में हमें होनी चाहिये। मैं इसलिये अन्तिम फैसला नहीं देता हूं। मैं इस विषय में थोड़ी सी और जानकारी चाहता हूं।

श्री राजनारायण---मैं स्पष्ट कर दूं इस सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष---मैं आपके कहने से थोड़े ही मान लूंगा, मैं तो हाई कोर्ट से ही पूछूंगा।

श्री राजनारायण---लेकिन, श्रीमन् "Justice delayed is justice denied."

श्री अध्यक्ष---लेकिन मैं आपके स्टेटमेन्ट को यह नहीं मानूंगा कि वह हाईकोर्ट की कही हुई चीज है। तो जब तक वहां से स्पष्टीकरण न आ जाय मैं यह तो माने लेता हूं कि यह जो आपने हाईकोर्ट का आर्डर दिखलाया वह जेनुइन है, (सच्चा) है। हाईकोर्ट से इसके बारे में स्पष्टीकरण हासिल करने की बात है। जानकारी हासिल कर लेने के बाद ही मैं समझता हूं कि निश्चित फैसला मैं करूंगा कि यह सब-जूडिस है या नहीं। अगर कोई भी मामला इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट से फैसला करना बाकी रह जाता है तो मैं सब-जूडिस समझूंगा, इसके लिये पहले मैं जानकारी हासिल कर लूंगा। इसलिये मैं स्थगित करता हूं अपने फैसले को, श्री राजनारायण जी ने जो आर्डर दिखाया है उसको देखने के बाद।

*श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी जानकारी करना चाहता हूं और आप को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि एडजर्नमेंट मोशन्स अर्जेन्सी के लिये ही आते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें दो रोज से डिले की जा रही है। हमारे साथियों ने इसको साढ़े ग्यारह, पौने बारह बजे दिया है। गवर्नमेंट ने तो इसके लिये कोई कोशिश नहीं की थी गो कल हमने बतला दिया था :

"What is the nature of Raj Narain's application ? No further order is necessary on this application. I have already passed the order."

सब चीज खत्म हो जाती है। क्या उन लोगों ने कोई एप्लीकेशन दी है ? लोहिया जी का सवाल छोड़ दें, दूसरे लोगों ने एप्लीकेशन उनको दी है ?

श्री अध्यक्ष---आपने दी है, आप दे सकते हैं।

श्री राजनारायण---कोई एप्लीकेशन नहीं थी। क्या कोई इंक्वायरी हुई ? दोनों डाक्टरों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसको मैंने खुद जा कर के इंस्पेक्शन किया है।

श्री अध्यक्ष---आप तो बहस करने लगते हैं।

श्री राजनारायण---आप यह भी कह रहे हैं कि कल फैसला होगा।

श्री अध्यक्ष---इंक्वायरी तो मैं कराऊंगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है।

श्री राजनारायण---श्रीमन, इसका मतलब यह है कि कल फाइनल हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---जिस समय यह चीज स्पष्ट हो जायगी उस समय फाइनल होगा। दूसरे मोशन आज लिये जा सकते हैं क्योंकि इसको पेंडिंग रखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

वर्षा के असमय समाप्त होने से खरीफ की पैदावार नष्ट होने तथा रबी की बुवाई न होने के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक काम-रोको प्रस्ताव श्री गौरीशंकर राय जी का है। वह इस प्रकार है कि :—

"इस वर्ष वर्षा के असमय समाप्त होने के कारण इस प्रदेश की विशेषकर पूर्वी अंचल में खरीफ की पैदावार के नष्ट होने और उसी कारण रबी की ठीक प्रकार बुवाई न हो सकने तथा इस संकट से मुकाबला करने के लिये सरकार की सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सकने में असमर्थता से जो भयंकर स्थिति उपन्न हुई है उस सार्वजनिक महत्व के निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न पर विचारार्थ सदन आज की बैठक स्थगित करता है।"

इस पर ५/६ काम रोको प्रस्ताव हैं जिनको मैं पढ़ता नहीं हूं। पहला प्रस्ताव महत्व का है उसको मैंने सुना दिया है। ये प्रस्ताव माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट, उग्रसेन, मदन पांडेय तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी के हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—कामरोको प्रस्ताव हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में पहला प्रस्ताव गौरीशंकर राय जी का है वह मैंने पढ़ कर सुना दिया है।

श्री राजनारायण—आज के लिये कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री राजनारायण—आज का ही हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष—मैं एक विषय को ले रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—हमारा कामरोको प्रस्ताव भुखमरी से संबंधित है, वह कम से कम पढ़ तो दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसमें दोनों चीजें हैं। पहले जो प्रस्ताव आया उसको मैं ले रहा हूं। इस सम्बन्ध में ५/६ प्रस्ताव हैं जिनमें थोड़ा बहुत फर्क है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं आप की इजाजत से अर्ज करना.....

श्री अध्यक्ष—मैंने बतलाया कि उनमें और भी चीजें मिला दी गयी हैं लेकिन यह विषय उनमें जरूर है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—विषय तो जरूर है लेकिन पहाड़ी जिलों का भी जिक्र किया गया है।

श्री अध्यक्ष—हर एक का जिक्र नहीं कर रहा हूं। गौरीशंकर जी का प्रस्ताव मैं ले रहा हूं। अगर वह नामंजूर होता है तो फिर दूसरे का प्रश्न उठता है कि उनका कामरोको प्रस्ताव वैध है या नहीं। इसके विषय में मैं माल मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उनको कोई आपत्ति है इस विषय पर विवाद करने में?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आपने पढ़ कर सुनाया है यह रीसेन्ट आकरेन्स से वास्ता नहीं रखता है। सूखे की परिस्थिति

पिछले तीन महीने से चल रही है। १५ सितम्बर के आस-पास वर्षा न होने से यह परिस्थिति पैदा हुई। जो रूल है उसमें लफ्ज यें हैं, मेरे पास अंग्रेजी की कापी है :—

"The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence."

मान लीजिये कल कोई साइक्लोन हमारे सूबे में आ जाता है और उससे फसल का नुकसान हो जाता है या दो-चार दिन के अन्दर कहीं ओले पड़ जाते तो बेशक वह वाकया एक रीसेन्ट आकरेन्स का होता, लेकिन जो स्थिति तीन महीने से बराबर चल रही है उसको कम से कम रीसेन्ट आकरेन्स नहीं कहा जा सकता। यह दूसरी बात है कि उसकी इम्पार्टेंस कितनी है, मैं उससे इन्कार नहीं करता। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ऐडजर्नमेंट मोशन का विषय वह हर्गिज नहीं हो सकता।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि आप रूल ७६ (६) देखें, उसमें लिखा है :—

"The motion shall not anticipate a matter which has been previously fixed for consideration."

सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स पर भी विचार करना है। उसमें फ़ेमिन रिलीफ और तकावी वगैरह के लिये एक आइटम है। उसके अन्तर्गत यह सब बहस होगी। इसलिये माननीय गौरीशंकर राय जी का यह प्रस्ताव और दूसरे मित्रों के प्रस्ताव, उस डिस्कशन को जो कि होने वाला है, ऐंटीसिपेट करते हैं। यह मेरी दूसरी दलील है जिसकी बिना पर मैं आप से अर्ज करूंगा कि आप इसकी इजाजत न दें।

श्री अध्यक्ष—दो एतराजात माननीय माल मंत्री जी ने इस पर प्रस्तुत किये जो कि कामरोको प्रस्ताव के लिये वे बाधक समझते हैं। एक तो यह कि रीसेन्ट आकरेन्स का प्रश्न नहीं है, यानी थोड़े ही समय पहले कोई ऐसी घटना हो गयी हो, जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो और उसके ऊपर चर्चा करना हो। उनका यह कहना कि तीन महीने से सूखा पड़ रहा है, लेकिन समझ लीजिये कि १५ रोज पहले पानी बरस जाता तो सूखा खत्म हो जाता, क्योंकि रबी की बोवाई शुरू हो जाती। तो तीन महीने से पानी न बरसना और १५ रोज पहले बरस जाना और उससे जो फायदा होता वह नहीं हुआ। लोग तो रास्ता देखते रहे आखिर तक पानी बरसने का, एक बात। दूसरी बात यह है कि पानी न बरसने के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई उसके बाद यह सदन अभी बैठा है और पहले ही रोज उन्होंने इसको पेश करदिया। तो सूखा यह रीसेन्ट आकरेन्स इस तुलना में तो हो ही गया।

दूसरी रही ऐंटीसिपेशन की बात। एक दफ़ा मैं फ़ैसला इस विषय पर कर चुका हूं। सालाना बजट होता तो यह कहा जा सकता है कि उसमें इसके ऊपर पूरी तौर से गौर हो जाता। लेकिन सप्लीमेंटरी बजट में कई विषय होंगे। उस सम्बन्ध में ऐडजर्नमेंट मोशन के बारे में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस भी मैंने एक दफा सुना दी थी कि अगर पूरी तरह से विवाद का मौका उस विषय के साथ बजट में दिया जा सके तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव अनावश्यक हो जाता है और सालाना बजट में यह हो सकता है, क्योंकि उसमें आम बहस भी दो, चार रोज चलती है और भी जो अनुदान आते हैं उनके ऊपर काफी समय तक विचार होता है। लेकिन सप्लीमेंटरी बजट में तो एक दो रोज में ही सब बहस खत्म हो जाती है। तो उसमें इस विषय की चर्चा पर सदस्य पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर सकेंगे। इतने महत्व का विषय है और महत्व का विषय माननीय माल मंत्री जी भी मानते हैं तो ऐसी हालत में यह दोनों एतराजात जो हैं वे बाधक नहीं हैं इसको वैध करार देने में। मैं इसको वैध करार देता हूं और माननीय गौरी शंकर जी अब सदन से अनुमति के लिये प्रार्थना कर सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से इस सदन की अनुमति चाहता हूं ताकि इस कामरोको प्रस्ताव को उपस्थित कर सकूं।

श्री अध्यक्ष—किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(किसी के न खड़े होने पर)

[श्री अध्यक्ष]

मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं है और सदन में अनुमति के लिये सर्वसम्मति है।

इसके बाद मैं एक दो प्रश्न और निपटा दूं तो फिर समय बतलाऊंगा कि किस समय इस पर बहस होगी। बाकी जितने कामरोको प्रस्ताव हैं वे आज नहीं लिये जायंगे। उनके लिये फिर से नोटिस दिया जाना चाहिये, यदि सदस्य चाहते हैं कि उन पर विचार किया जाय। मामूली तौर पर जब सदन उठता है उसके १ घंटा पहले इस पर बहस होती है नियम ७२ के अनुसार, लेकिन आज मालूम नहीं कि किस समय सदन उठेगा, इसलिये मुझे अधिकार है कि मैं अन्य समय भी निश्चित कर सकता हूं, इसलिये मैं बाद में बतलाऊंगा, आज का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कि इसके लिये कौन-सा समय होगा।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी ने एक अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है और चूंकि मैं उसको वैध करार देता हूं इसलिये उसको पढ़ कर सुनाये देता हूं। नियम १४६ में दिया हुआ है कि यदि अध्यक्ष इस राय के हों कि कोई अविश्वास का प्रस्ताव वैध है तो उस प्रस्ताव को वह सदन के सामने पढ़ कर सुना देंगे और फिर उसके बाद वह पूछेंगे सदन से, कि सदस्यों में उसके लिये अनुमति देने के पक्ष में कितने हैं और यदि कुल सदस्यों की संख्या का पांचवां हिस्सा अनुमति देने के लिये तैयार हो तो अनुमति मिल गयी ऐसा समझा जायगा और उसके बाद कम से कम १० रोज बाद और अधिक से अधिक १५ रोज के अन्दर उसके ऊपर बहस होगी। लेकिन १० रोज के पहले नहीं होगी, अगर अनुमति मिल गयी तो, यह नियम इस सम्बन्ध में है। वह प्रस्ताव इस प्रकार है :---

> "यह सदन उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा जनता के मौलिक अधिकारों का अपहरण करने, खासकर सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने वालों को कुचलने की जो गैर-जनतांत्रिक नीति अख्तियार की गयी है उस कारण मंत्रिमंडल पर अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

इस पर दस्तखत हैं श्री राजनारायण जी के, श्री त्रिलोकी सिंह जी के, श्री पालीवाल के, श्री झारखंडे राय के और श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे के।

अब जो लोग इसके पक्ष में हों कि अनुमति दी जाय वह कृपा कर अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(११९ सदस्य खड़े हुए)

अनुमति देने के पक्ष में सदस्य संख्या ११९ है। पंचमांश ८६ होनी चाहिये तो उससे अधिक होने के कारण इसके विषय में सदन की अनुमति है। अब इस पर बहस के लिये जो तारीख होगी वह मैं कल निश्चय करके बता दूंगा कि किस तारीख को इसके ऊपर बहस होगी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, आप ने जो बाद के नाम पढ़े हैं उनसे यह जाहिर होता है कि यह पांचों पार्टीज की तरफ से दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उसमें इसका सुधार कर लिया जाय और इसी प्रकार से कार्यवाही में दर्ज किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैंने सब के नाम सुना दिये, लेकिन मुख्यतः उसको माननीय राजनारायण जी ने दिया है। इसलिये मैंने उनका नाम पहले लिया। बाकी लोगों ने तो उसमें सहयोग दिया है। अगर वह पांचों पार्टियों की तरफ से आता तो जो माननीय नेता विरोधी दल के हैं उनका नाम पहले रखता। वह प्रस्ताव माननीय राजनारायण ने दिया है और उस पर इन लोगों ने हस्ताक्षर कर दिये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५७ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब यहां कल का जो विषय था उसके विषय में माननीय पालीवाल जी ने प्रस्ताव पेश किया था कि विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५७, पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुई है, विचार किया जाय, उसके ऊपर श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी ने एक संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित किया था। मैंने उपाध्यक्ष जी से पूछा कि क्या कार्यवाही हुई थी, तो उन्होने यह बात स्वीकार की कि पहले श्री राजनारायण जी ने इसका सुझाव दिया था। उसके बाद कई लोगों ने इस तरफ के सुझाव की परिपुष्टि की। श्री दीपनारायण मणि जब यहां पर भाषण देने लगे और उस सुझाव का समर्थन करने लगे तब उपाध्यक्ष ने उनको टोका और उन्होंने यह कहा कि आप समर्थन किसका कर रहे हैं जब सुझाव प्रस्ताव के रूप में सदन के सामने ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं संशोधन के रूप में प्रस्ताव पेश कर देता हूं तब उनसे यह कहा गया कि आप लिखित संशोधन एक भेज दें। उन्होंने वह लिखित संशोधन भेज दिया। उपाध्यक्ष जी का कहना यह है कि यह संशोधन पेश किया जा चुका है और बाकायदा इस आदरणीय सदन के सामने मौजूद है। माननीय पालीवाल जी ने उसका उत्तर दे दिया। अब केवल राय का प्रश्न रह जाता है कि मैं इस संशोधन पर राय ले लूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---मैं इस सम्बन्ध में आप से केवल एक बात कहना चाहता हूं और इसमें यह है कि "दिनांक ९-१२-५७ तक के आये हुए संशोधनों के साथ प्रवर समिति के सुपुर्द कर दी जाय" चूंकि उन्होंने यह पेश किया था यदि आप उचित समझें तो बजाय ९ के १० तारीख कर दी जाय यानी आज तक की तारीख के भी उसमें आ जायं।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---जब यह सेलेक्ट कमेटी को जा रही है तो यह ९ तारीख वाली बात निकाल दी जाय। उस को पूरा अधिकार होना चाहिये कि जिस संशोधन को वह उचित समझे उस पर विचार कर ले। सेलेक्ट कमेटी को स्वयं ही यह अधिकार होगा कि वह जो संशोधन करना चाहे कर ले।

श्री अध्यक्ष---यह संशोधन तो इसी प्रकार से और उन्हीं शब्दों में था। मैं पूछना चाहता हूं कि दीपनारायण मणि त्रिपाठी जी को इसमें कोई एतराज तो नहीं है। इसमें आपने जो "दिनांक ९ तक आये" शब्द रक्खे हैं उनके बजाय अगर यह कर दिया जाय कि "जो पुनः विचार विनिमय के बाद अपनी रिपोर्ट उपस्थित करें" तो इसमें आप को कोई एतराज तो नहीं होगा?

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जो पुनः प्रवर समिति को भेजने का संशोधन उपस्थित किया गया है उसमें रिपोर्ट दिये जाने के लिये कोई डेट अवश्य होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये भी मुझे पूछना पड़ेगा। जब तक कोई बात सर्वसम्मति से नहीं होगी, मैं मंजूर नहीं करूंगा।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---पता नहीं सरकारी पक्ष के लोग इस संबंध में क्यों रुकावट पैदा कर रहे हैं। हमने पालीवाल जी से इस सम्बन्ध में निवेदन किया था। रूल्स के बारे में प्रणाली यह थी, जैसा कि आप ने भी अपने भाव व्यक्त किये कि हाउस के प्रोसीज्योर के सिलसिले में ऐसा होना चाहिये कि सब सर्वसम्मति से हो, ताकि ऐसा न हो कि सरकारी पक्ष के लोग जो रूल चाहें बनवा लें। इसी नुक्तेनजर को रखते हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

जो प्रवर समिति बनी उसने अपनी रिपोर्ट सर्वसम्मति से दी। उस रिपोर्ट को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकारी पक्ष की ओर से ही ऐसे संशोधन उसमें आये जो मूल ही को खत्म कर देते थे। हमने और इंक्वायरी की तो मालूम हुआ कि कुछ बातें जरूरी हैं। तो हमने सरकार से यह निवेदन किया था कि क्या ऐसी हालत में यह संभव नहीं होगा कि यह पुनः सेलेक्ट कमेटी को भेज दी जाय। इस सम्बन्ध में पालीवाल जी से भी बातचीत हुई थी। पालीवाल जी की जो राय थी, उससे मैं भी सहमत हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जाने से केवल सरकार का मतलब यही है कि इसमें विलम्ब हो और वहां पर जो फैसले हों वे मेजारिटी से हों, तब तो इस सदन में ही उन संशोधनों को क्यों न कर लिया जाय। आप को या पालीवाल जी को यह विश्वास हो कि सेलेक्ट कमेटी में पहले की तरह सर्वसम्मति की भावना ही रहेगी तब तो ठीक होगा, लेकिन मेजारिटी वाली बात ठीक न होगी। मैं पालीवाल जी से जानना चाहूंगा कि वे क्यों चाहते हैं कि यह सेलेक्ट कमेटी में फिर से भेजी जाय।

श्री अध्यक्ष---अभी मैंने इस पर कोई राय नहीं ली है, अभी तो केवल संशोधन में संशोधन करने की इजाजत मांगी है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि वह अपनी राय जाहिर कर दें।

श्री अध्यक्ष---अब मैं आगे कोई विवाद के लिए रास्ता नहीं करूंगा। आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया और लोगों ने उसको सुन लिया।

अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली (जैसी कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित की गयी है) पुनः उसी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दी जाय जो शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट, विचार विनिमय के बाद, सदन के सम्मुख उपस्थित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---चूंकि यह मुख्य प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत हो गया है, इसलिये आपका (श्री राज नारायण का) ऐतराज समाप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७ के लेने पर आपत्ति

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं यह प्रस्ताव पेश करूं, मैं यह जानना चाहता था कि एडजर्नमेंट मोशन जिसकी आपने आज इजाजत दी, वह कब पेश होगा, क्यों कि उसकी तैयारी के लिये भी समय पहले से मालूम होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---अगर इस पर विचार करने के लिये सदन राजी है, क्योंकि किसी ने इस पर एतराज तो किया नहीं है, तो जैसा कि कायदा है ऐडजर्नमेंट मोशन पर ४ बजे से ६ बजे तक विचार होगा।

श्री चरण सिंह---मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह जो मोशन इस वक्त माननीय माल मंत्री कर रहे हैं, वह कल ही पुरःस्थापित हुआ, जब कि हमको कम से कम ३ दिन का समय मिलना चाहिये अपना संशोधन वगैरह देने के लिये और उसको पढ़ने के लिये। लेकिन आज १२ घंटे के अन्दर ही इसको यहां लाया जा रहा है, कल के एजेंडे पर भी यह नहीं था। कार्यक्रम यह था कि ११ तारीख तक विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली चले। तो एकदम से एकाएक इसका लिया जाना ठीक नहीं है। ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि कम से कम आज इस कार्यवाही को मुल्तवी किया जाय और ऐडजर्नमेंट मोशन को ले लिया जाय।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि विधान सभा प्रक्रिया नियामावली के बारे में उम्मीद यह थी कि ३ दिन तक उस पर विचार रहेगा, उसके बाद यह

आइटम था । अब वह तो प्रवर समिति के सुपुर्द कर दी गयी, इसलिये यह एकदम से आ गया है । इसमें गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है, न ओमिशन या कमीशन है । अब देखना यह है कि यह बाढ़-पीड़ित क्षेत्र (अस्थायी अधिकार) विधेयक, क्या इतना बड़ा विधेयक है जिस पर हमलोग आज विचार नहीं कर सकते ? मैं तो यह समझता हूं कि जितने नेतागण मेरे सामने बैठे हुए हैं, वे सब के सब सार्वजनिक मामलों में इतने प्रवीण हैं कि उनको कोई ज्यादा पढ़ने-लिखने की जरूरत नहीं है और उन्होंने कल से पढ़ ही लिया होगा । यह तो बिल्कुल एक छोटा-सा विधेयक है उस सिलसिले में केवल ३, ४ दफायें हैं । ऐसे ही मामलों के लिये स्पीकर को अधिकार है कि वे रूल्स को सस्पेंड कर दें और किसी विषय पर विचार करने की इजाजत दें । मैं यह समझता हूं कि इससे बेहतर कोई और स्थिति नहीं हो सकती । क्योंकि यह इतना छोटा सा विधेयक है कि इस पर कोई ज्यादा विवाद होगा ही नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है । इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष--जो वाजिब संशोधन होंगे उनको आप स्वीकार भी कर लेंगे ?

श्री चरण सिंह--हां, बशर्ते वह माकूलियत के साथ हों ।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल--यह समझौता स्वीकार है ।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जहां तक माननीय माल मंत्री जी यह कहते हैं कि यह विधेयक बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र से सम्बन्धित लोगों के लिये है, इसमें कतई किसी को कोई एतराज नहीं होगा, यदि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के पीड़ित लोगों के जीवन को उठाने के लिये और उनको दुर्दशा से बरी करने के लिये कोई भी विधेयक हो, उसे जल्द से जल्द पास होना चाहिये और उसको हम पास करने के लिये तैयार हैं, हम चाहते हैं कि वह बहुत जल्दी पास हो ।

यह एक बड़ा अहम प्रश्न है और हमारा कटु अनुभव यह है कि जब से बाढ़ निरोधक समिति सरकार ने बनायी तब से बाढ़ से ज्यादा लोग ग्रस्त होने लगे, अधिक लोग पीड़ित होने लगे । इसलिये कहीं ऐसा न हो कि यह विधेयक जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के लोगों की सहूलियत के लिये है, उनको बजाय सहूलियत के और ज्यादा दिक्कत हो । मैं, श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को देखने का अवसर भी हमको नहीं प्राप्त हुआ, यह कल ही पेश हुआ और कल भी निश्चित नहीं था कि इसके ऊपर सदन में आज विचार होगा । तो हम आज चाहते हैं कि कम से कम इसको अध्ययन करने और देखने का मौका तो हमको मिलना ही चाहिये । इसकी जो धारायें हैं वे बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिये हैं और उनकी मुसीबतों और दिक्कतों को दूर करने के लिये हैं । तो इसके अध्ययन करने और इस पर विचार करने का मौका न देना आप के साथ अन्याय है, सदन के साथ अन्याय है और उन लोगों के साथ अन्याय है जो सही माने में बाढ़ से ग्रस्त हैं । इसलिये मैं आप से निवेदन करता हूं कि माननीय माल मंत्री जी का जो यह कहना है कि इसमें सरकार की क्या गलती है, अभी यह कहा जा चुका है कि रूल्स पर विवाद करने के लिये ३ दिन आप ने ही निश्चित किये । विरोधी पक्ष के लोग नहीं बल्कि सरकार ही चाहती थी कि इस समय रूल्स पर विवाद स्थगित कर दिया जाय । सरकार की तरफ से लोग सबेरे से ही परेशान होकर आ रहे थे और बराबर कहते थे कि इसको स्थगित कराओ, स्थगित कराओ पालीवाल जी से बातचीत हो रही थी, श्री त्रिलोकी सिंह से बातचीत हो रही थी, हम से बातचीत हो रही थी और वह स्वयं चाहते थे कि किसी तरह से नियमावली पर विचार स्थगित हो जाय । मैं अपने को किसी से कम योग्य नहीं समझता, मैं प्रस्ताव लिखने का ढंग भी जानता हूं । अगर मुझे प्रस्ताव लिखना होता तो मैं माननीय अध्यक्ष को दे सकता था, चलने फिरने की शक्ति भी मुझमें थी । इस सरकार की नालायकी को साबित करने की जरूरत हमें है और जो यह सरकार की बेहूदगी ...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---आप विवाद को बहुगुणा क्यों बढ़ाते हैं ?

श्री राज नारायण ---माननीय मालमंत्री जी ने जो बार-बार यह कहा कि इसमें सरकार की क्या गलती है, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा कह कर और करके वह हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, सदन के साथ अन्याय कर रहे हैं, और बाढ़ग्रस्त लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारी भी इच्छा थी कि एक सुन्दर प्रक्रिया नियमावली यहां के लिए शीघ्र बने और उसमें किसी के जनतांत्रिक अधिकारों का लोप न हो, परन्तु उसमें देर की जाती है और फिर यह कहना कि इसमें सरकार की गलती नहीं है और सरकार की ओर से कोई कोशिश नहीं है कि प्रक्रिया नियमावली पर विचार स्थगित रहे, ठीक नहीं है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आप अपने अधिकारों को इस तरह से प्रयोग करें जिससे हमें भी सोचने समझने का मौका मिल जाय यदि वह मौका हमें नहीं दिया जाता तो वह सदन के साथ, हमारे साथ और बाढ़ग्रस्त लोगों के साथ न्याय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि इस पर विचार कर लिया जाय और वह इसलिये कि सदन के पास इस वक्त कोई काम नहीं रह जाता है ऐसी दशा में हम, इसके जो सेवक हैं उनका कर्तव्य हो जाता कि यदि यहां काम न हो तो काम निकालें। इस तरफ के बैठने वाले लोग कभी इस हक में नहीं हो सकते कि काम के अभाव के कारण सदन स्थगित कर दिया जाय। इसलिये मैं सरकार से और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह ३ दिन की पूर्व सूचना की आपत्ति पर आग्रह न करें और श्रीमान् आज्ञा दें कि इस बिल पर अभी विचार कर लिया जाय।

श्री राज नारायण---दूसरा सुझाव यह है कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि सदन का समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिये। इसकी जिम्मेदारी विरोधी दल की नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे कितने ही नान-आफिशियल प्रस्ताव पड़े हैं, आप कृपा करके २ दिन नान-आफिशियल कर दें और इस तरह से सदन का समय भी व्यर्थ न जायगा और हम लोग उस विधेयक पर भी इस बीच विचार कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई उत्तर देने का सवाल नहीं था, मैं तो अपनी राय कायम करने के पहले सदन की आम राय जानना चाहता था। सदन को मालूम है कि कल भी कम से कम घंटा डेढ़ घंटा पहले कार्यवाही समाप्त हो गयी थी और आज भी १-२ घंटा काम करके हम उठ जाते हैं तो जनता के सामने कोई अच्छा उदाहरण उपस्थित नहीं करते। जो कुछ फैसला किया है वह तो पूरे सदन ने किया है, इसमें किसी को दोष देना फिजूल बात है, अगर सदन का कोई फैसला हो जाता है तो हमें उसे सब का फैसला मानना चाहिये, जनतांत्रिक पद्धति यही है। सदन ने फैसला किया कि प्रक्रिया नियमावली पर अब बहस नहीं होगी और वह पुनः प्रवर समिति के पास विचार के लिये जायगी, इस कारण से आज भी काम नहीं रहा। तो ऐसी दशा में आज भी सदन को स्थगित करना कोई अच्छा उदाहरण नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अब राजनारायण जी भी इसमें सहमत हो जायं और आने के कार्यक्रम यानी विधेयक पर बहस चलने दें, मैं इसकी इजाजत दे दूंगा कि जो सदस्य अपने संशोधन पेश करना चाहें वह आज ४ बजे तक दे दें। मैं समझता हूं विधेयक पर आम बहस आज चलती रहेगी और संशोधनों या खंडों पर जो विचार होगा वह तो कल ही चल पायेगा।

श्री चरण सिंह---मैं यह अर्ज करना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष---किसी ने संशोधन भेजे नहीं।

श्री चरण सिंह---आप देखेंगे कि संशोधन का काम ही नहीं है। उसमें कुल एक तो क्लाज है।

श्री अध्यक्ष---यह बात तो सही है लेकिन मैं ऐंटीसीपेट तो नहीं कर सकता हूं।

श्री चरण सिंह—मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं जिससे आपको फैसला करने में आसानी हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—फैसला तो मैंने दे दिया ।

श्री चरण सिंह—यह फैसला करना है कि आज यह पास होना चाहिये या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—यह मैं फैसला करने वाला नहीं हूं ।

श्री चरण सिंह—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह गजट में और पेपर में पब्लिश हुआ .....

श्री अध्यक्ष—उसके लिये तो मैंने इजाजत दे दी ।

श्री चरण सिंह—लेकिन आप केवल पेश करने और डिस्कशन करने की इजाजत दे रहे हैं । फिर आपने यह फरमाया कि कल .....

श्री अध्यक्ष—मेरा अन्दाज है । अगर आप पहले खत्म कर दें तो मुझे इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है ।

अगर यह जल्द खत्म हो जाता है तो उसके बाद कामरोको प्रस्ताव पर विचार होगा और दो घंटे उसके ऊपर बहस होगी । अगर, समझ लीजिये यह विधेयक तीन बजे खत्म हो गया तो तीन बजे से कामरोको प्रस्ताव के ऊपर बहस शुरू हो जायगी और पांच बजे तक चलेगी ।

श्री सैयद अली जहीर—एक बिल और है ।

श्री अध्यक्ष—इतना ज्यादा काम आप नहीं कर सकेंगे । अब तो समय खत्म हो रहा है । सवा दो बजे बैठेंगे । जब सवा दो बजे बैठेंगे तो अगला विधेयक चार बजे तक खत्म हो गया तो ठीक है और चार बजे खत्म नहीं हुआ तो विधेयक पर विचार रुक जायगा और चार बजे से कामरोको प्रस्ताव पर बहस शुरू हो जायगी । लेकिन अगर चार बजे के पहले खत्म हो गया तो जिस वक्त खत्म होगा उस वक्त से बहस शुरू हो जायगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । संशोधनों के बारे में अभी स्पष्ट नहीं हो पाया । अन्तिम रूप से पारित करने का प्रश्न अगर आ जाय तो हो सकता है कि संशोधन स्वीकृत न किये जायं । मैं चाहता हूं कि संशोधन ले लिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—संशोधन लेते जायंगे । आप देते जायं ।

†उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देहाती इलाके में तो जो लोग रहते हैं वह अपने-अपने मकानों के पूरे मालिक हो गये हैं और उनको अधिकार है कि अपने कच्चे मकान को पक्का बनायें, मकान गिर जाय तो उसको अजसरेनौ तामीर करें । दीवार गिर जाय तो उसकी मरम्मत कर लें; लेकिन शहरी इलाके में ऐसा नहीं है । अधिकतर गरीब लोग जिन मकानों में रहते हैं वह आराजी जेर तहती है, हाउस साइट के अपने मालिक नहीं हैं या तो ऐसा हुआ है कि उस आराजी के मालिक ने ही मकान बनाया और लम्बे अरसे के लिये उस गरीब आदमी को किराये पर दे दिया और तरह तरह की उसमें शर्तें लगायीं या बिल्डिंग लीज दे दी यानी जमींदार या मालिक ने किसी आदमी को यह अधिकार दे दिया कि वह उस पर मकान निर्माण कर ले ।

---

†९ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री चरण सिंह]

उसमें तरह-तरह की शर्तें उन्होंने आयद कर दीं । मसलन दस साल की मुद्दत होगी, १० साल के बाद फिर यह पट्टा रिन्यू किया जायगा और उस वक्त लगान में २५ या ५० या १०० फीसदी, जैसी भी सूरत हो इजाफा हो जायगा या यह कि पक्का मकान कभी मालिक की इजाजत के बिना नहीं बन सकता या यह कि मकान गिर गया तो फिर बन ही नहीं सकता । इस तरह की बहुत सी बरडनसम कंडीशन्स इस तरह के बिल्डिंग लीजेज के सिलसिले में जमींदारों ने उन गरीब आदमियों से मनवायीं ।

सन् १९५४ की बात है कि जब शहरी इलाके में हमारे सूबे के कुछ मकानात गिरे और गरीब आदमी उसकी तामीर करना चाहते थे तो लैंड लार्ड ने उनको रोका । जब यह शिकायत गवर्नमेंट के पास आयी तो हमारे जो १६ शहर हैं, वह कस्बे जिनकी आबादी १ लाख से अधिक है, उनके कलेक्टरों के जरिये गवर्नमेंट ने यह जानना चाहा कि प्रायः किस-किस किस्म की लीजेज हैं और क्या-क्या शरायत हैं इरादा यह था कि कोई बिल लाया जाता और लोगों को सहूलियत पहुंचाई जाती, लोगों को अपनी हाउस साइट्स का मालिक बना दिया जाता और उस पर विचार हो रहा था लेकिन बहुत सी कानूनी कठिनाइयां थीं, जो कानूनी सलाहकारों ने हमारे सामने रखी थीं ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप अपना भाषण बाद में जारी रखें ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि शहरों के अन्दर जो गरीब लोगों के मकान होते हैं, आम तौर पर उसकी जमीन के मालिक वह नहीं होते । जमीन का मालिक और, और मकान का मालिक और । अब जब मकान अधिक वर्षा या बाढ़ से गिर जाते हैं तो कुछ पट्टों में ऐसी शर्तें हैं कि वह बिना जमींदार की रजामन्दी के उन मकानों का पुर्ननिर्माण नहीं कर सकते, यहां तक कि मरम्मत भी नहीं कर सकते और इस आशंका से कि मकान फिर कहीं न गिर जाय अगर वह गरीब आदमी कच्चे के बजाय पक्का मकान बनाना चाहे तो वह नहीं बना सकता । इस तरह की कुछ शिकायतें गवर्नमेंट के नोटिस में आयीं लिहाजा एक आर्डिनेंस इस आशय का कि अगर वर्षा में या बाढ़ में मकान गिर गया है या खराब हो गया है तो उसकी मरम्मत करने से या उसकी अजसरे नौ तामीर करने से लैंड लार्ड नहीं रोक सकता, एक महीना हुआ जारी कर दिया गया । अब उसी आर्डिनेंस को विधेयक की शक्ल में इस माननीय सदन के सामने मैंने पेश किया गया है । उसके मातहत जो नियम बने हैं वह भी गजट में प्रकाशित हो चुके हैं । उनमें कोई विशेष बात नहीं है, आर्डिनेंस में जो शब्द थे करीब-करीब वही दुहरा दिये गये हैं । बस एक बात और उसमें की गई है कि जब कोई आदमी इस तरह से मकान बनायेगा, अजसरेनौ तामीर करेगा तो कम से कम दस वर्ष तक वह उससे बेदखल नहीं हो सकेगा बिला लिहाज इस बात के कि उसी गरीब आदमी का या लेसी का, किरायेदार का और जमींदार का मुआहिदा आपस में क्या था ।

मैं यह समझता हूं कि यह एक ऐसा विधेयक है कि जिसके संबंध में दो रायें नहीं हो सकतीं । कोई शाब्दिक संशोधन कोई और ऐसा सुझाव हो जिससे कि जो मंशा है हम सब का वह ज्यादा खूबसूरती के साथ पूरा हो सकता हो तो मैं ऐसे संशोधनों का स्वागत करूंगा । इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव फिर माननीय सदस्यों के विचार के लिए पेश करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय गेंदा सिंह ?

श्री राजनारायण—मैं एक संशोधन इस पर पेश कर रहा हूं, प्रवर समिति के लिये लिखकर दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—वह उनका पहुंच गया है। आपका अभी आया नहीं है।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय और वह एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जिस उद्देश्य से इस विधेयक को रक्खा है उसके लिये उनकी सराहना ही की जा सकती है, परन्तु मालूम नहीं उन्होंने इसमें केवल शहरों का ही क्यों जिक्र किया है। इस विधेयक को देखने के बाद ऐसा मालूम होता था कि सरकार ने अब यह फैसला कर लिया है कि जो बाढ़ से मकान गिर गये हैं और वे ऐसी अवस्था में हैं कि लोग उन्हें बना नहीं सकते उसके लिये सरकार उनकी कुछ सहायता करना चाहती है और उनको गृहविहीन रहने देना नहीं चाहती। यह मैंने सोचा था लेकिन मुझे कुछ निराशा हुई। फिर उसमें भी कहीं अगर कोई कठिनाई उनको मालूम होती हो, जमीन का कोई झगड़ा खड़ा हो वहां, राजस्व मंत्री जी ने यह बंधन रक्खा है कि जहां कहीं सरकारी जमीन में ऐसी बात हो वहां, इस अधिनियम का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस विधेयक के खंड ३ के उपखंड ४ में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि किन-किन जगहों पर यह अधिनियम लागू होगा।

"इस अधिनियम में कोई भी बात उन गृह-स्थलों पर लागू न होगी जो केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हों।"

तो यह तो मैं मान सकता हूं कि सरकार की मंशा के मुताबिक सरकार के जो स्थल होंगे सरकार की जो जमीन होगी, वहां जो कुछ भी कानून सरकार बनायेगी उसके मुताबिक काम हो जायगा, लेकिन जो स्थानीय संस्थाएं इससे बरी कर दी गयी हैं इसको मैं समझ नहीं पाया कि किसलिये उनको बरी कर दिया गया। उनसे भी झगड़ा हो सकता है। उसके लिये इस विधेयक में कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है।

दूसरी बात इसमें यह भी है, असल में इस विधेयक का मंशा तो यह है कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में जो कठिनाई उत्पन्न हो, उस कठिनाई को मकान बनाने में दूर किया जाय। लेकिन बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जिसको कहा जायगा, उसकी एक अजीब ढंग से परिभाषा की गयी है। यह जब अधिनियम हो जायगा तो आजतक प्रदेश में जहां कहीं भी बाढ़ आ चुकी है उसको बाढ़-पीड़ित क्षेत्र नहीं माना जायगा। बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की परिभाषा में खंड २ का जो दूसरा उपखंड है उसमें दिया गया है:—

"बाढ़-पीड़ित क्षेत्र का अर्थ है ऐसा क्षेत्र जिसे राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस संबंध में निर्दिष्ट करे"

तो यह तो कुछ समझ में नहीं आया कि इस डेफिनीशन का क्या अर्थ है। अगर इसका यह मंशा नहीं है कि जिन क्षेत्रों में पहले बाढ़ आ चुकी है वे बाढ़-पीड़ित क्षेत्र नहीं हैं तो और क्या मंशा है? यह सीधे-सीधे कहना चाहिये कि ऐसे क्षेत्र बाढ़-पीड़ित क्षेत्र हैं जहां बाढ़ आ चुकी है और जो आजतक रहे हैं। हां, यह हो सकता है कि आगे भी विज्ञप्ति प्रकाशित करके अन्य क्षेत्रों को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिये तो इस विधेयक में प्रावीजन करना चाहिये। फिर भगवान न करे और ज्यादा क्षेत्रों में बाढ़ आ जाय, तो उसके लिये बहुत जरूरी है कि सरकार को यह अधिकार हो कि वह विज्ञप्ति प्रकाशित करके उसको भी बाढ़-पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दे। तो इसका अर्थ तो राजस्व-मंत्री जी ही स्पष्ट करेंगे।

एक बात और मैं आप से निवेदन कर दूं। इसमें यह भी है एक जगह, खंड ३ के उपखंड (२) में कि:—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

"प्रतिबन्ध यह है कि घर एक वर्ष की अवधि, अथवा ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, पुनः निर्मित या पुनः प्रतिरूपित कर लिया जायगा या उसकी मरम्मत कर ली जायगी"

यानी इसके जरिये बजाय इसके कि हम राहत पहुंचायें, मेरी समझ में इसके जरिये उसके ऊपर कठिनाई भी हम लाद रहे हैं कि अगर एक आदमी का मकान गिर गया और गिर जाने के बाद उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह एक वर्ष, डेढ़ वर्ष या दो वर्ष के भीतर अपना मकान बना सके तो उसको जो अख्तियार आप दे रहे हैं, वे बेकार हो जायंगे।

श्री चरण सिंह—जी नहीं, अगर वह ऐक्ट न होता तो वे कल बेदखल हो जाते। इसके होने से साल भर का उनको मौका है।

श्री गेंदा सिंह—मैं समझता हूं कि जब उस जमीन पर उसका मकान था, गिरने से पहले, तो वह जमीन उसकी थी और बाद में भी उसी की रहती है और उसे जब जी चाहे अपना मकान बनाने का अधिकार होना चाहिये।

श्री चरण सिंह—उसकी मिल्कियत होती तो कानून बनाने की क्यों जरूरत होती?

श्री गेंदा सिंह—जब उस पर उसका मकान रहा तो उस पर मैं उसकी मिल्कियत मानता हूं। मकान उसका है और मिल्कियत जमीन की दूसरे की मानी जाय? अगर उसका मकान गिर गया तो मैं नहीं समझता हूं कि उसकी मिल्कियत दूसरे की हो गयी। जब तक उसका मकान रहा तबतक उसकी मिल्कियत थी, उस मकान को कोई हटा नहीं सकता। अब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आये जिससे वह गिर गया। मकान गिर जाने के बाद, हम यह कह रहे हैं कि मकान गिर गया तो केवल एक वर्ष के भीतर मकान बनवा लें। इसके बाद सरकार मियाद मुकर्रर करेगी कि इतने दिनों में मकान बनवा लो तब तो तुम्हारा मकान रहेगा वरना नहीं रहेगा। यह बड़े झगड़े की बात है और मैं समझता हूं कि इसको इस तरह से नहीं सोचना चाहिये बल्कि इसको दूसरी दृष्टि से सोचा जाय। इसको बड़े धैर्य के साथ सोचें और कानूनी झंझट में न पड़ जायं, इसको सोचने की जरूरत है। मैंने अमेंडमेंट रखा है, उस समय मैं समझता हूं कि विचार करने का अवसर मिलेगा। इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांग ली जाय तो ठीक रहेगा। मेरा तो अनुभव यह है कि यहां पर जो सीधा सादा अमेंडमेंट भी किया जाता है तो उसको स्वीकार करने के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इसलिये मैं सोचता हूं कि प्रवर समिति में वह विधेयक चला जाय और वहां से वह आये तो नजदीक से हम बात कर सकेंगे और नजदीक में बात करने से हम एक दूसरे को ज्यादा समझ पाते हैं। यहां बात समझने में दिक्कत होती है। लेकिन नजदीक में बात करने से कुछ रास्ता निकला आता है और मामला तय हो जाता है।

दो तीन बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और इन बातों पर मैं समझता हूं कि दो रायें नहीं होनी चाहिये। जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा और अगर मंशा यह है कि जिनके मकान गिर गये हैं उनकी मरम्मत के लिये, उनकी मिल्कियत बनवा देने के लिये यह विधेयक है और शाब्दिक हेर-फेर से कोई सुधार होता हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और अगर आपत्ति नहीं है तो मेरी समझ में आता है कि हाउस का ज्यादा समय बरबाद न करके इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। दो तीन संशोधन जो आयें उनको उस रूप के साथ भेज दें तो बहुत सा वक्त बच जायगा और वह अन्य उपयोगी कामों में लग जायगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इस पर रोशनी नहीं डाली गयी कि आर्डिनेंस क्यों निकाला गया। आर्डिनेंस निकालने की ऐसे कामों में जरूरत पड़ती है जब कोई काम बिलकुल

रुक गया हो। अगर इस बाढ़ से संबंधित पिछली बाढ़ में कठिनाई हुई तब तो आर्डिनेंस निकालना उचित था और निकाल देना चाहिये था। लेकिन राजस्व मंत्री जी ने अपने भाषण के शुरू में कहा था कि एक, दो नहीं बल्कि १६-१८ शहरों में दिक्कत आई। अगर इतने शहरों में दिक्कत आई तो कितने दिन पहले से ?

श्री चरण सिंह--मैंने यह बात नहीं कही।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी को बाद में समय मिलेगा। बार-बार टोकने से माननीय सदस्य को दिक्कत पड़ती है।

श्री गेंदा सिंह--मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वह बीच में टोकते हैं, मेरी गलतियों को सुधार देते हैं और मेरी भूली-भाली बातों को याद करा देते हैं। यह आर्डिनेंस निकालने की तब जरूरत है जब गैर मामूली जरूरत दरपेश हो और यह केवल राजस्व विभाग ही समझ सकता है, दूसरा समझने की अक्ल नहीं रखता है, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। क्या किया सरकार ने ? कितने मकान बनवाये उन्होंने जिनमें दिक्कत आई ? कौन सी स्कीम थी और अगर १६ शहरों में ऐसी दिक्कत आई थी तो किस समय दिक्कत आई और उस बाढ़ से कितने मकान गिरे, ये सब चीजें हमारे सामने आनी चाहिये थीं। हम नहीं कहते कि अकेले हमको यह हक है, लेकिन इस सदन को यह हक है कि वह आपसे यह पूछ सके कि जब से यह असेम्बली उठी और आज बैठी इस बीच में आपको इतनी बड़ी आवश्यकता हुई। तो मैं समझता हूं कि १६ शहरों की बात बिलकुल गलत मालूम होती है। अगर यह आवश्यकता पहले से थी और पहले मकान बनाने की जरूरत थी तो यह बात पहले सदन के सामने क्यों नहीं लायी गयी ? मैं नहीं समझता कि कोई प्लानिंग बोर्ड हो, इस सूबे का, उसके सामने कोई इस तरह की बात आयी। बदकिस्मती से मैं इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर नहीं हूं लेकिन मैं यह जानने की इच्छा रखता हूं कि जो माननीय माल मंत्री जी की सलाहकार समिति है उसके सामने भी यह बात आयी या नहीं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की कोई बात आवे तो अपनी सलाहकार समिति को माननीय राजस्व मंत्री जी को कांफ़ीडेंस में लेना चाहिये और अगर ले सकें तो इस हाउस को भी और दूसरे लोगों को भी कांफ़ीडेंस में लें। अगर हम लोग भी इस बात की जानकारी रख सकें कि कहां हमारे भाइयों के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गयी है, तो सम्भव है कि हम भी थोड़ी खिदमत कर सकें। मैं इस खयाल से यह नहीं कह रहा हूं कि अब तक जो गलती सरकार ने की उसको हम दोहराते चले जायं और लोगों को तकलीफ होती रहे, लेकिन अगर हमारी शिकायत उचित है तो मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात को कबूल करेंगे कि इस विधान सभा से भी उनको इस तरह की बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिये।

अन्त में मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ऐसे कानून हमारी इस विधान सभा ने कई बार पास करके माननीय मंत्रियों की सेवा में दिये हैं लेकिन आज तक किसी बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में कहीं किसी के लिये मकान बन सका या मदद हो सकी ? राजस्व मंत्री जी के ही विभाग से यह काम होता है, जरा वे मेहरबानी करके बतायें कि कहां काम हुआ। एक कानून बना कर हम लोगों ने दिया था कि अगर किसी बाढ़-पीड़ित को बसाने के लिये जमीन की जरूरत हो तो वह एक्वायर की जा सकती है। लेकिन वे मेहरबानी करके जरा बतायें कि उस कानून के मुताबिक कितन लोगों को बसाने का उन्होंने प्रबन्ध किया। मेरी जहां तक जानकारी है उसकी बिना पर अगर मैं यह कहूं कि कहीं नहीं हुआ तो गलत नहीं होगा। फिर यह जो विधेयक सामने है--यह बात ठीक है कि यह एक आंसू पोछने का तरीका है और इस मामले में राजस्व मंत्री जी बहुत सिद्धहस्त हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जब इस तरह से एडजर्नमेंट मोशन्स आ रहे हैं, सूखा है, बाढ़ है, सूबे के बहुत बड़े हिस्से में तबाही है तो फिर अगर ऐसे विधेयक को भी वे ले आयें.....

[श्री गेंदा सिंह]

(माननीय माल मंत्री के श्री परमात्मानन्द सिंह से बात करने पर) मैं नाराज होने के लिये थोड़े ही कह रहा हूं। आप गौर से सुनिये और सुन कर अगर हमको भी नाराज करने वाली बात आप कह सकें तो कहिये।

श्री चरण सिंह--मैं किसी से बात भी न करूं।

श्री गेंदा सिंह--मैं बात करने को नहीं रोक रहा हूं। मैं तो अपनी बात सुनाना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह--आपकी बात मैं सुन रहा हूं। अगर कोई खास आकर्षण उधर हो तो मैं टकटकी लगा कर आपके चेहरे को ही देखता रहूं।

श्री गेंदा सिंह--मैं तो खूबसूरत हूं ही नहीं, लेकिन अगर आप की आंख सिर्फ खूबसूरती की तरफ ही जाती हैं तो मैं मना नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--इसीलिये मैं रोक रहा था कि बीच-बीच में इस तरह से बातचीत न हो।

श्री गेंदा सिंह--मैं उनको इस काम के लिये जरूर रोकूंगा कि सिर्फ खूबसूरती की तरफ़ न देखा करें।

श्री चरण सिंह--मैं आपकी इजाजत से एक बात कह देना चाहता हूं और वह यह कि माननीय परमात्मानन्द सिंह जी ने मुझ से एक बात कही कि बलिया में दो जगह जमीन ऐक्वायर हुई। तो उस पर आप कह रहे हैं कि क्यों नाराज हो रहे हैं यानी मेरे लिये किसी सूरत से चैन नहीं है। मैंने यह कहा था कि हां, अगर कोई ऐसा आकर्षण उधर हो तो मैं फिर टकटकी लगाये देखा ही करूं।

श्री गेंदा सिंह--अब इस उमर में तो हम ऐसा कर नहीं सकते। अब राजस्व मंत्री जी को कहीं दूसरी तरफ निगाह डालनी पड़ेगी, हमारी तरफ निगाह न डालें। तो मैं तो केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं तो अपने को भाग्यवान मानूंगा, अभी तक तो ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया।

मैं केवल यह कह रहा था कि हम से जब कभी कोई कानून बनाने को कहा जाय तो ऐसे अंधेरे में हमको टटोलने को न छोड़ दिया जाय। हम को सरकार अपनी जरूरतों को बता दे। हम इस मामले में बड़े लोभी हैं। अगर हम यह सुन लेते कि सचमुच कोई मदद होने वाली है तो अवश्य आगे बढ़ते इस काम में मदद देने के लिये। हमारे सूबे में कुछ लाख मकान गिरे हैं, उनकी तादाद हजार की नहीं वरन् लाखों की है। तो मंशा क्या है? कुछ लोगों के मकान बनवाने का इरादा रखती है सरकार क्या? अगर अपना यह इरादा वह बतलाती तो मुझे इतना निवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपना इरादा बतलायें और उसमें अगर कुछ सुधार हो सका, जैसा कि मैंने कहा, इसके अलावा और भी सुधार हो सकते हैं कि जिनके जरिये से सरकार इस काम को सुचारु रूप से कर सके, तो इसके लिये मैंने यह प्रवर समिति में भेजने का संशोधन रखा है और मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री जी इस को स्वीकार कर लेंगे। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं मालूम होती। कोई फसल के अंदाजे की बात नहीं है कि हम में और उनमें एक राय न हो पाये। दूसरे माननीय सदस्यों को जो सुझाव देने हैं वह दें, लेकिन प्रवर समिति की बात मान ली जाय तो उससे ज्यादा वक्त बच सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी का दूसरा प्रस्ताव है परिधि बढ़ाने का। (श्री राजनारायण से) तो इसको आप पेश कर दीजिये।

श्री राजनारायण--मैं समझता हूं कि मेरा जो यह संशोधन होगा वह माननीय गेंदा सिंह जी को मान्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष--पहले आप पेश तो कर दीजिये ।

*श्री राजनारायण--मेरा यह संशोधन है कि यह बिल प्रवर समिति में भेज दिया जाय और प्रवर समिति को यह भी अधिकार हो कि उसकी परिधि को बढ़ा दे और रपट १४ तारीख तक अवश्य पेश हो जाय ।

श्री चरण सिंह—रपट ? रपट ?

श्री राजनारायण—आपको शायद रिपोर्ट कहने में ज्यादा मजा मिलता है । अंग्रेजों ने जो आदतें डाली हैं उनको कांग्रेस की सरकार ही कायम रख रही है ।

केवल माननीय गेन्दा सिंह जी ने एक सप्ताह कहा है और मैंने उसको १४ तारीख तक कर दिया है । मैं यह संशोधन क्यों पेश कर रहा हूं ? इसकी बहुत सी बातें तो माननीय गेंदा सिंह जी ने पेश कर दी है और उनसे मैं सहमत हूं । यदि देखा जाय, श्रीमन्, तो इस बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र का प्रश्न इतना अहम और व्यापक हो गया है कि इस सदन में बार-बार इसका चर्चा होता है और कई साल से लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जनता परेशान है, राजनीतिक पार्टियां परेशान हैं और सरकार भी अपने को कहती हैं कि वह परेशान हैं । सरकार को क्या परेशानी है, उसको माननीय माल मंत्री जी ज्यादा अच्छी तरह से बतलायेंगे । मैं आपके द्वारा माननीय सदन को अवगत कर दूं कि माननीय माल मंत्री जी को मैंने जेल से चिट्ठी लिखी थी और उस पत्र की प्रतिलिप मेरे पास है । उसमें मैंने उनसे यह भी निवेदन किया था कि जेल के बहुत से कायदे कानून ऐसे हैं कि ज्यादा पत्र में लिख पा नहीं सकता, कागज की भी कमी है, इसलिये इस खत को आप अपने मंत्रिमंडल को, उसके सब सदस्यों को दिखा दीजियेगा । मुझे मालूम नहीं कि वह खत उनको मिला या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—यह बाढ़ के ही बारे में था ?

श्री राजनारायण—जी हां, जब पश्चिमी जिलों में बाढ़ आयी थी और सदन की बैठक नहीं हो रही थी, उसी समय मैंने लिखा था । उसी क साथ-साथ आजकल बहुत से लोग 'पूर्वी जिलों' शब्द कहने से चिढ़ते हैं । माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी आदत सी बना ली है कि जब वह 'पूर्वी जिलों' शब्द प्रयोग करते हैं तो उससे बुद्धि विभ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं । यह कहते हैं कि पूर्वी पश्चिमी जिलों का भेद पैदा करने की क्यों कोशिश की जाती है । यह निर्विवाद है कि जब 'पूर्वी जिलों' के शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह इसी लिये कि समझने में असानी हो । उसका यह आशय नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग करके किसी प्रकार से लड़ाई की बात पैदा की जाय या परस्पर विरोध पैदा हो । जो इस प्रकार से बुद्धि भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अब आगे से वह अपनी इस आदत से बाज आयें ।

श्रीमन्, आपको जानकारी होगी और सदन को भी होगी कि १० मई से उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी ने जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया था उसकी एकमात्र मांग यही थी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मकान बनाये जायं । उसमें लिखा था कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में सरकार स्वयं मकान बनवाये । यह मांग हमारे देश में हमने एक बार रखी थी, १८ अक्तूबर सन् १९५७ ई० को । अब जब वह तिथि याद आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं । उसी १८ अक्तूबर की तैयारी में इस सदन के सदस्य माननीय अवधशरण वर्मा की हत्या हुई थी । जब एक निश्चित मत लेकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मकानों के बनवाने की बात लेकर सरकार से हम बराबर दो साल से लड़ते चले आ रहे हैं और दूसरे सदस्यों की भी यह राय है कि उसमें रहने की समस्या का समाधान हो तो कम से कम सरकार को रहने लायक मकानों को बनवाने के लिये अग्रसर होना चाहिये । मैं निवेदन करूं कि हमारी इस मांग को माननीय मुख्य मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनारायण]

जी ने विकृत करने की कोशिश की । उन्होंने कहा कि जब, 'विद मिनिमम फैसिलिटी' की बात राजनारायण कहते हैं तो उसमें बिजली भी होगी, फ्लश सिस्टम भी होगा और उसका पक्का फर्श भी होगा । मैं उनसे निवेदन करूं कि आज कितने मकानों में शहर में इस प्रकार की व्यवस्था है ? तो फिर जब सरकार अपनी ओर से मकान बनायेगी और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बनायेगी तो ऐसा कौन-सा दिमाग है जो यह सोच सकता है कि उनमें बिजली भी होगी, फ्लश सिस्टम भी होगा । जब सरकार को कुछ करना नहीं होता है तो वह शब्द-जाल रचने की कोशिश करती है । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सिद्धान्त से जो संघर्ष पैदा होता है वह शिष्ट व्यवहार से टाला नहीं जा सकता है । चाहे हम कितने ही विनम्र हों और चाहे कितने ही शिष्ट हों और चाहे कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हों मगर जब-जब हम यह कहते हैं कि सरकार बाढ़ग्रस्त लोगों के लिये भवन बनाये तो सरकार अपनी हठवादिता का परिचय देती है और यह कहती है कि इतने गांवों की दशा सुधार दी गयी है ।

मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय माल मन्त्री जी ने इस प्रकार का विवाद खड़ा किया । अखबारों में उनकी बात सदन में कही गयी सुनकर, उसी समय मैंने जबाव दिया था । मैं उनको याद दिलाऊं कि माननीय माल मन्त्री जी ने इस सदन में कहा था उसकी रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित हुई थी ।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । माननीय राजनारायण जी ने जो व्याख्यान शुरू किया है, १८ मई, फिर अक्तूबर, १९५५ और फिर कनफ्यूशियस की बाबत और फिर जेल पर आ गये, तो अगर इतनी सरपट दौड़ लगायी गयी तो नहीं मालूम वह कहां से कहां पहुंचेंगे । इस विधेयक में केवल इतना है कि बिल्डिंग लीजेज में जो शर्त है कि अगर मकान गिर जाय तो उसे बना न सकें, उस शर्त को केवल हटाने के लिये यह धारा विधेयक की है । परिधि को इतना व्यापक कर देना और उसके सिलसिले में इतना लम्बा चौड़ा व्याख्यान देना, मैं आपके जरिये दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप रूलिंग भी न दे सकें तो इतना जरूर कर दें कि मेरे दोस्त मजमून को सीमित रखें ।

श्री उपाध्यक्ष—बिलकुल ही तो सीमित नहीं रह सकते क्योंकि उन्होंने रखा है कि बिल की परिधि बढ़े । दूसरी बात बाढ़ के सम्बन्ध में है । परन्तु इतना मैं जरूर चाहूंगा कि राजनारायण जी जो आवश्यक हो वहीं कहें और वह क्या बढ़ाना चाहते हैं, इस पर सीमित रहें ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं आपके जरिये माननीय चरण सिंह जी का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने अपना वैधानिक प्रश्न स्वतः हटा लिया और आपके द्वारा हमसे दरख्वास्त की । उनको दरख्वास्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । आजकल हमारा दिल इतना भरा हुआ है कि हम कोई ज्यादा लम्बी तकरीर करने के पक्ष में नहीं हैं । हमारा दिमाग तो यहां तक भी कहता है और हम अभी अपने साथियों से बात भी कर रहे थे कि हमारे लिये क्या आवश्यक है या नहीं कि आगे हम इस सदन की कार्यवाही में भाग लें या न लें । जहां की सरकार निरंकुश बर्बरता पर तुली हुई हो और सारे देश में गुन्डागर्दी छायी हो.....

श्री उपाध्यक्ष—अपना पूरा निर्णय करके ही यह बात यहां कीजिये ।

श्री राजनारायण—बहुत अच्छा । तो मैंने जेल का जिक्र बाढ़ के संबंध में किया था । माननीय चरण सिंह जी के बयान के बारे में भी हम बाढ़ के संबंध में निवेदन करना चाहते हैं । मैं प्रश्न के अन्दर ही हूं, बाहर नहीं जा रहा हूं । यह सवाल भी किया था कि क्या आवश्यक है एक सरकार के लिये । तो उन्होंने तीन बातें सुनायीं, सेना, खाद्य यानी अन्न और जनता का विश्वास । जब उनसे कहा गया कि इसमें से अगर कोई छोड़ना पड़े तो

किसे छोड़े, तो कहा कि पहले सेना को छोड़ देंगे। उनको अब प्रसन्नता हो रही है क्योंकि वह पहले शायद सोचते थे कि उन पर कोई बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। चरणसिंह जी ने जब से त्यागपत्र भेजा है तब से उनके साथ हमारी सहानुभूति है, उसके कारणों को सुनकर ज्यादा सहानुभूति हो गयी और यदि वह हमें मिल जाय तो और भी अधिक सहानुभूति होगी।

श्री चरणसिंह—मुझे सोचना होगा।

श्री राजनारायण—हां, सोचिये और अपना इस्तीफा हमारे हाथ में दे दीजिये क्योंकि आपने गलत हाथ में दिया।

श्री उपाध्यक्ष—इस्तीफे के बारे में आप कुछ न कहें।

श्री राजनारायण—वह चित्त की दुर्बलता नहीं दिखावेंगे, यही संकेत कर रहे हैं।

माननीय चरण सिंह जी ने कहा था कि सेना को छोड़ देंगे। फिर जब यह पूछा गया कि सेना के बाद भी काम न चले तो क्या करना चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रचुर अन्न के सवाल को भी छोड़ देंगे। और जब कहा गया कि इससे भी काम न चले तो? तिस पर उन्होंने कहा कि तब सरकार को अपना बिस्तर बोरिया बांध लेना चाहिये। उस सवाल को लेकर ही पूर्वी जिलों के लिये सर्वदलीय समिति बनाने की बात थी। उसमें बाढ़ और सूखा का सवाल निहित था और माननीय माल मंत्री जी ने कहा था कि हम जनता का विश्वास खोने के लिये तैयार नहीं हैं।

मैंने जेल से पत्र लिखा, माननीय माल मंत्री जी की तारीफ की कि कम से कम आप अब दर्शन तो पढ़ने लगे हैं। बड़ी खुशी हुई हमको। हमने उनसे निवेदन किया था कि कनफ्यूशियस एक मर्तबा जेल मंत्री की हैसियत से जेल में गया था, मैं संक्षेप में ही कहूंगा। जेल में उसने देखा और सुपरिन्टेन्डेन्ट को बुलाकर कहा कि मैं सारी जेल में घूम आया हूं मगर इसमें हमको कोई धन्ना सेठिया नहीं मिला। इसमें हमको सब अशिक्षित और गरीब ही दिखाई देते हैं। इसलिये अगर जेल को सुधारना है तो इन कैदियों को जेल में बन्द रखने से क्या फायदा होगा, क्यों नहीं तुम गरीबी और अशिक्षा को दूर करने का कार्यक्रम बनाते। तो इससे कनफ्यूशियस का हवाला देने की मैंने कोशिश की और माननीय माल मंत्री जी को एक खत लिखा, पता नहीं वह उन्हें मिला या नहीं। मैं भुक्तभोगी हूं और मैं जानता हूं कि जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जनता बाढ़ से कराह रही थी तब इस सरकार ने जायज नाजायज हरकतें करके हम लोगों को ऊंची सजायें दिलाई थीं ताकि हम जनता में जाकर बाढ़ की पीड़ित आवाज को ऊंचा न कर सकें। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक नाकाफी है, इस विधेयक से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जनता अपना उद्धार नहीं कर सकती। उसके घर की समस्या और दूसरे सवालों को यह विधेयक हल नहीं कर सकता। जब इस सदन में विधेयक का आना जरूरी था और वह आना ही चाहिये तो क्यों नहीं एक सर्वांगीण विधेयक प्रस्तुत किया जाय? क्या माननीय माल मंत्री इस समय भी हिम्मत के साथ कह सकते हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की तमाम समस्याएं इस विधेयक से हल हो सकती हैं? मैं समझता हूं कि वह इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। कितने मकान गिर और ढह गये हैं। एक विभाग माल मंत्री का है, एक कृषि मंत्री का है और एक सिंचाई मंत्री का है, यह सब "कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा" है। इस चूं चूं के मुरब्बे में जनता परेशान हो रही है। सिंचाई मंत्री गांव ऊंचा करने की योजना चलावेंगे, कृषि मंत्री खेती को बरबाद करने की योजना चलावेंगे और माल मंत्री बेचारे आवेंगे मकान के लिये। क्या माल मंत्री जी बता सकते हैं कि इस तरह से जो सरकार काम कर रही है, वह कभी जनता के हित में जा सकता है?

[श्री राजनारायण]

मुझे उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब इस विधेयक के दूसरे सफे पर देखा कि "यदि राज्य सरकार के मत में आवश्यक अथवा इष्टकर हो . . ." "इष्टकर" शब्द पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे यह होगा कि अगर बाढ़-ग्रस्त क्षत्र में मकान बनवाना आवश्यक भी है, और माल मंत्री जी, चाहे वहां रहें या न रहें, मगर सरकार को इष्टकर न हो तो वह आवश्यकता ही खत्म ! इष्टकर के मानी क्या हैं ? जो सरकार कितनी भी आवश्यकता को इष्टकर नहीं समझती, अगर सरकार की इच्छा नहीं है, तो सरकार उसे नहीं करेगी। ऐसी हालत में क्या इष्टकर शब्द को रखना उपयुक्त है ? माननीय गेंदा सिंह ने ठीक कहा। अगर १० साल का इतिहास देखा जाय तो हर साल की बाढ़ की समस्या है। उनके लिये क्या होगा जिनके मकान ढह गये हैं, जो गांवों के गांव बर्बाद हो गये हैं, उनके लिये क्या सरकार के दिमाग में कोई हल है ? उनके रहने की क्या व्यवस्था की जायगी ? आज इतने दिनों उपरान्त भी माननीय माल मंत्री जी ने ऐसा विधेयक पेश किया। आज क्यों नहीं गरीब किसानों और ग्रामीण जनता की आह माननीय मंत्री जी के कानों तक पहुंच पायी, आज इसका जवाब होना चाहिये था लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक माननीय माल मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, इस विधेयक में इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों सरकार उपेक्षा कर रही रही है, सरकार क्यों अपनी हठवादिता पर अड़ी हुई है। इसमें लिखा हुआ है--

"बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में वे सब गृह-स्थल जिन पर वर्षा अथवा बाढ़ के कारण पूर्णतः अथवा अंशतः गिर गये हों या क्षत हो गये हों, और जो किसी संविदा, रूढ़ि अथवा प्रथा के अनुसार विज्ञापित दिनांक को किसी व्यक्ति द्वारा भवन-निर्माण के प्रयोजनों से अधिकृत अथवा अध्यासित हों, उस व्यक्ति द्वारा उन प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जो नियत किये जायं, अधिकृत अथवा अध्यासित बने रहेंगे, भले ही इसके विरुद्ध कोई संविदा, रूढ़ि या प्रथा, अथवा विधि के उपबन्ध हों"

यह ठीक है, होना चाहिये। अगर किसी का मकान कहीं भी गिर गया हो, शहर हो या देहात, कोई ऐसी प्रथा या कानून जो कि मकान गिर जाने के बाद उस जमीन पर हक न रहने दे, जिसका कि वह मकान था, ऐसा न होना चाहिये। ऐसी प्रथा, नियम या कानून जो भी हों जितनी जल्दी हो हटा दिये जाने चाहिये।

इसके आगे माल मंत्री जी चाहते हैं कि वह साल भर के अन्दर या साल से ज्यादा जो भी अवधि सरकार निश्चित करे, उसके अन्दर उसको मकान बनवा लेना लाजिमी होगा। मैं बड़े अदब के साथ माननीय माल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज वे लोग जो कि दाने-दाने को तरस रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं उनके पास मकान बनवाने के लिये पैसा साल भर के अन्दर कहां से आ जायगा ? उसके घर पर कहां से पैसे की वर्षा होगी ? पैसा तो सिंहानिया और बागला के घर पर बरस रहा है, जो सरकार की गोद में पल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक से इस समस्या का समाधान कैसे होगा ? इस सदन के सम्मानित सदस्य सोचें और विचार करें कि क्यों इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति में भेजने के लिये कहा जा रहा है; इसीलिये कि इसको वैसे ही व्हिप करके पास करा कर कानून की शक्ल न दे दी जाय। आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि उस जनता के पास जिसके पास मकान बनवाने के लिये पैसा नहीं है उसके पास पैसा कहां से आये ताकि वह अपने मकान बनवा सके। क्या इसकी कहीं इस विधेयक में गुंजाइश है ? सरकार के हाथ में एक हथियार और दिया जा रहा है जो सरकार सर्वग्रासी मनोवृत्ति से चल रही है। एक तरफ तो सरकार ने दमन की पालिसी अख्तियार कर रक्खी है। और दूसरी तरफ वह सुधार करने का दिखावा करती है। एक तरफ तो सरकार उन पर दमन करती है जो कि समाज की विषमता को मिटाना चाहते हैं और बीच-बीच में थोड़े बहुत सुधार की बातें भी करती है। बन्दी सम्मेलन करती है और जेल में लाठी चार्ज कराती है।

श्री उपाध्यक्ष--बाढ़ के संबंध में सदन में कुछ कहिये।

श्री राजनारायण---यह बाढ़ से इसलिये संबंधित है कि आप देखेंगे कि आजकल जेल में वही लोग ज्यादातर बन्दी हैं जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों से आते हैं। आज लखनऊ जेल में देवरिया और गोरखपुर के लोग भरे पड़े हैं। वहां की औरतें पेट पर अपने बच्चों को लादे हुए धरना देती हैं। जिनको यह निकम्मी सरकार पकड़ कर जेलों में बन्द करती है। श्रीमन्, बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र से सम्बन्धित लोगों की ही यह आवाज है, जो वहां त्राहि-त्राहि हो रही है, उनके लिये सरकार क्या करती है? तो श्रीमन्, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र का नहीं हो। मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री जी कोई एक ऐसा विधेयक लावें जिस विधेयक में इन तमाम प्रश्नों का हल हो। प्रवर समिति में जब यह विधेयक जायगा तब उसकी परिधि को बढ़ाने का भी हक होगा। मैं तो समझता हूं कि आज के वर्तमान माल मंत्री श्री चरण सिंह हमारी बात को मान लेंगे क्योंकि कुछ आसार ऐसे हैं कि उनमें कुछ बुनियादी तब्दीली हो रही है। इस दृष्टि से मुझे आशा है और मेरी वह आशा बलवती हो, इसलिये हम चाहते हैं कि हर तरह से जिस दृष्टि से देखा जाय शहर और देहात का प्रश्न इसमें नहीं है। शहर हो या देहात, जो भी बाढ़-पीड़ित क्षेत्र हो, वहां की समस्याओं का समाधान होना चाहिये। मकान बनाने के लिये उनके लिये लकड़ी, टीन और पैसे जुटाने चाहिये। इन कामों में से सरकार ने कौन सा काम किया है? जानमाल की हिफाजित करना सरकार का काम है, हमको पकड़ कर जेल में बन्द कर देना और डंडे चलाना ही उसका काम नहीं है।

माननीय गेंदा सिंह जी अभी थोड़े दिन पहले बिहार गये थे, शायद मुजफ्फरपुर गये थे, मुझे ठीक पता नहीं है। मेरी समझ में उनको मुजफ्फरनगर जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां तो ढेबर भाई सब काम कर ही रहे हैं। अगर अशोक मेहता के लिये वे गये होंगे तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। "सार सार हो गहि रहे, थोथा देई उड़ाय"

जो सार चीज है उसको तो हम ले लेते हैं और थोथी चीज को छोड़ देते हैं। माननीय गेंदासिंह जी ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात कही है वह इसलिये कि इस सरकार द्वारा बाढ़ ग्रस्त-क्षेत्र की जनता को भूखों मरने के लिए विवश किया जा रहा है। इस सरकार की तानाशाही नीति के कारण वहां की जनता भाग-भाग कर नैपाल की सीमा में जा रही है, वहां के लोग बिहार के बहुत से जिलों में जा रहे हैं। माननीय गेंदा सिंह जी ने बात सही कही, अनुभव की बात थी, जानकारी की उन्होंने बात कही। माननीय माल मंत्री जी बतलावें कि उसके लिये इस विधेयक में कोई समाधान होगा? क्या इस विधेयक में कहीं भी लिखा हुआ है कि उनकी समस्या का समाधान होगा, जो आज दाने दाने को तरस रहे हैं? आज वहां के लोगों की हालत यह है कि उनके चूतड़ों पर चिथड़े पड़े हुए हैं, कपड़ा न रहने की वजह से वे अपने घरों से रात में ही निलकते हैं, दिन में नहीं निकल पाते। श्रीमन्, मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि जेल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के बहुत से बन्दी है, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग वहां गुठलियां खा खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—इसके बारे में आप क्या ४ बजे तक कहते रहेंगे?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने तो उदाहरण के तौर पर बतलाया है। उनका कहना था कि मुसहर जाति के लोग पत्ते तोड़ने का काम करते हैं लेकिन आज उनकी हालत यह है कि वे दिन में पत्ते नहीं तोड़ते क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं रह गये हैं।

जहां तक बाढ़-ग्रस्त पीड़ित क्षेत्र की जनता की बात है, उनकी समस्या के हल के लिये इस बिल में कहां गुंजायश है? इसके लिये इस बिल में कहीं कोई हल नहीं है। सारे प्रदेश की बाढ़ से पीड़ित और कराहती हुई मानवता इस बात को सोचती है कि यह बिलकुल एक थोथा और निकम्मा बिल है। इस बिल को केवल प्रचार हेतु प्रस्तुत किया गया है। आज कल जितने भी

[श्री राजनारायण]

काम हो रहे हैं वे सब प्रचार हेतु ही हो रहे हैं। अहिंसा और सर्व दल से प्रेम व सहयोग की जो बात कही जाती है उसका मतलब यही है कि जेल में लाठी और गोली चले? आजकल सरकार मुंह से तो कुछ कहती है लेकिन हाथ से कुछ और ही काम लेती है। मुंह से तो अहिंसा की बात कही जाती है लेकिन हाथ से हिंसा करायी जाती है, मुंह से तो सहयोग की बात की जाती है लेकिन कर्म असहयोग का ही होता है, मुंह से शान्ति की बात की जाती है लेकिन कार्य अशान्ति का होता है। इन मंत्रियों ने अपनी इच्छा को ही न्याय बना लिया है, आतंक को ही इन्होंने व्यवस्था की संज्ञा दी है। तो जहां पर मंत्रियों की भलाई की इच्छा न हो, जहां पर आतंक को व्यवस्था की संज्ञा दी जाय वहां पर बाढ़-ग्रस्त लोगों की भलाई किधर से हो सकती है। अगर कोई हम से कहे कि अन्न का सवाल, कपड़े का सवाल, पढ़ाई लिखाई का सवाल, यह सब सवाल अलग-अलग हैं तो मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। जहां भी बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है और वहां नंगे भूखे लोग हैं वहां पर केवल मकान का सवाल ही नहीं है, वहां पर अन्न का सवाल है, कपड़े का सवाल है, पढ़ाई लिखाई का सवाल है और सबसे अधिक जीवन-निर्वाह के लिये अन्न और रोटी का सवाल है। यह सब चीजें एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। सरकार की कोशिश होती है कि वह एक ऐसा नक्शा जनता के सामने लाये कि अलग-अलग विभागों द्वारा नाममात्र का काम जनता को होता दिखाई दे। यह शिक्षा विभाग का काम है, यह सप्लाई विभाग का काम है, वहां आज मकान के सवाल के साथ-साथ अन्न का सवाल है, पढ़ाई और फीस का सवाल है, कपड़े का सवाल है, पैसा नहीं है, क्यों यह तमाम सहायता की चीजें इस बिल में नहीं आयीं? मैं इस सदन में यह कहने के लिये क्षमा किया जाऊं कि मैं उस समय सदन में नहीं था, जेल में बन्द किया गया था, यहां अच्छे कर्म करने को इजाजत नहीं है, उनकी दुलारी रानी विक्टोरिया को हमने धराशायी कर दिया यह हमारा अपराध था, सोचा था कि इन १९ मास में हम बड़ी भारी करामात कर लेंगे लेकिन अब लोगों ने समझा कि....

श्री उपाध्याय—आप बाढ़ से ही अपने भाषण का सम्बन्ध जोड़ें।

श्री राजनारायण—श्रीमन, सारे बाढ़ क्षेत्र की जनता तबाह है और हम इसी लिये बन्द किये गये थे कि सरकार चाहती थी कि हमारी आवाज न उठे और वह गरीब जनता तबाह रहे और हमारा प्रचार ठीक से होता रहे। डाक्टर लोहिया को क्यों बन्द किया गया है? उनका क्या कसूर है? क्यों उन पर लाठीचार्ज होता है? जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जनता की त्रस्तता को दूर करना चाहते हैं, उनके ऊपर यह सरकार दमन की नीति चलाना चाहती है। वह डाक्टर लोहिया, गेंदा सिंह, राजनारायण सब पर डंडे बरसायेगी। यह दोनों प्रश्न एक दूसरे से मिले हुए हैं बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की सब समस्या एक ही समस्या है। हम ने अपनी तमाम मांगें बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की जनता के हित के लिये ही रखी थी। श्रीमन् मैं आप की दिक्कत को महसूस कर रहा हूं लेकिन मैं समझता हूं कि अब माननीय माल मंत्री जी हमारे भाव को समझ गये होंगे।

एक सर्वदलीय कमेटी है। वह भी इसलिये बनायी गयी थी कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की जनता जो बाढ़ से त्रस्त है उस की भूख की ज्वाला को कम किया जाय और अन्त में श्री गेंदा सिंह जी को उस विषय को लेकर भूखहड़ताल करनी पड़ी। उस पर मैंने भी जेल से माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था कि ऐसा काम करो कि उनकी भूख हड़ताल समाप्त हो जाय। छोड़िये वह लम्बी बात है। उसका समय आयेगा तो कहूंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र हो या सूखा-ग्रस्त क्षेत्र हो सब जगह लोगों को सहायता की जरूरत है। अलाभकर जोतों का लगान माफ किया जाय। यह सब काम जरूरी हैं जिन से उन की मुसीबत दूर हो सकती है, वहां के लिये इस तरह की चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और तब माननीय मुख्य मंत्री जी को यह कहने का मौका न होगा कि गेंदा सिंह जी कहते हैं कि तमाम लगान माफ कर दिया जाय तो राजा साहब रामनगर, राजा साहब भदोही का भी लगान माफ किया जाय?

सोचने की बात है, कभी उनका मकसद यह हो सकता है ? अगर राजा साहब रामनगर का लगान माफ किया जायगा तो फिर खर्चा यहां का कैसे चलेगा ? वह जब उन गरीबों का लगान माफ नहीं करना चाहते तो इस तरह का हीलाहवाला करते हैं। आप १० एकड़ या २० एकड़ की कोई सीमा अलाभकर जोत की कायम करें और कहें कि जहां भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहां के लगान को हम माफ करेंगे। क्या इसका कोई विरोध कर सकता है ? क्या श्री गेंदा सिंह जी के जजबात में यह बात नहीं है ? अगर इस विधेयक में यह बात लिखी होती कि जो जोत अलाभकर हैं या १५ या २० एकड़ की हैं उनका लगान कतई माफ होगा तो मैं समझता कि वाकई इससे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जनता का कल्याण हो सकेगा। यही चीज मैं चाहता हूं और यही मेरा प्वाइंट है। मैं चाहता हूं कि सदन में ऐसा विधेयक प्रस्तुत हो जिसमें यह साफ साफ लिखा रहे, जिसके लिये सर्वदलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय कमेटी का नाम लिया जाता है। सर्वदलीय कमेटी तो उस वक्त कहेंगे जब उस दल के लोगों को हक दिया जाय कि वह अपना प्रतिनिधि उसमें भेजें। सरकार जब नामजद करेगी तो सरकारी कमेटी हो गयी। अब काफी विलम्ब हो चुका है और बिलम्ब न किया जाय। अब जो विधेयक आये वह ऐसा हो जिसमें साफ हो, स्पष्ट हो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की अलाभकर जोत वाली जो जनता है उसको कत्तई लगान नहीं देना पड़ेगा और उसी के साथ २० एकड़, २५ एकड़ या ३० एकड़.....

श्री उपाध्यक्ष—यह आप बार-बार दोहरा रहे हैं।

श्री राजनारायण—परिधि बढ़ाने का दूसरा कारण यह है कि इस विधेयक में यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि बाढ़ग्रस्त जनता के विद्यार्थियों को कतई फीस नहीं देनी होगी। यह दूसरी बात है ताकि श्रीमन् जगलरी न हो। उठा कर पढ़ा जाय, माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने वित्त मंत्री की हैसियत से जो स्पीच दी है। मैंने एक एक लाइन को पढ़ा है। सभी स्कूलों के विद्यार्थियों की दर्जा ६ तक फीस माफ होगी, यह छपा हुआ है, कोई काट नहीं सकता। फिर यह सवाल कहां से आ गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह तय करे कि किसकी फीस माफ हो या न हो, कौन देने के लायक है कौन नहीं है, यह सवाल कहां से आया ? एडेड स्कूल है या अन-एडेड स्कूल हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम का जो भाषण था वह शिक्षा के सुधार के सम्बन्ध में था, बाढ़ के सम्बन्ध में नहीं। बार-बार टोकना अच्छा नहीं मालूम होता है। जो बाढ़ से सम्बन्धित हो और जिस विषय में परिधि बढ़ाना चाहते हों वही निवेदन करें।

श्री राजनारायण—वही तो निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—उसका बाढ़-ग्रस्त स्कूलों से ही मतलब नहीं था।

श्री राजनारायण—मैं इसलिये यह सवाल उठा रहा हूं कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में जनता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही है। आप कोई कमेटी बना दें, वह जाकर देख ले उन जिलों को, ऐसे जिलों को छोड़ दे, जो काफी सम्पन्न हों। हो सकता है कि इस सदन में बहुत से ऐसे लोग हों जिनके पास बहुत सा पैसा हो। मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं, मंत्री भी हैं जिनके यहां पहले क्या रोटी बनती थी और अब क्या है। उस को बाद में कहूंगा। आप की आज्ञा शिरोधार्य है। मगर आप कैसे समझ सकते हैं कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की जनता अपने बच्चों को पढ़ा रही है। और अगर बाढ़ से सम्बन्धित कोई विधेयक हो और उसमें यह स्पष्ट लिखा हो कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की जनता के विद्यार्थियों की फीस माफ होगी, माननीय गेंदा सिंह, जरा सुनियेगा, अगर यह व्यवस्था हो जायगी तो कम से कम एक साल तो हम संतोष की सांस लेंगे कि चलो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की जनता जो खाने के लिये परेशान है उस के विद्यार्थियों की पढ़ाई का प्रश्न तो हल हुआ। इससे हम संतोष की सांस ले पायेंगे।

[श्री राजनारायण]

तीसरी बात जिसके कारण मैं परिधि बढ़ाना चाहता हूं वह यह है कि उस विधेयक में हम यह भी लाना चाहते हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जनता कोई भी भूख से नहीं मरने पायेगी। हर गांव पंचायत में, हर पंचायती अदालत में सस्ते गल्ले की दूकान इस व्यापक पैमाने पर होंगी कि किसी को गल्ले की तकलीफ नहीं रहेगी। यह उसमें लिखा जाना चाहिए निश्चित रूप में, क्योंकि जो भाषा गोल होती है उससे कोई निश्चित, दृढ़ मत प्रकट नहीं होता और पीड़ने का मौका मिलता है। तब कभी शिक्षा मंत्री का बयान होगा, कभी गृह मंत्री का बयान होगा, कभी मुख्य मंत्री का बयान होगा कि हमने यह नहीं कहा था। मगर जब विधेयक में स्पष्ट रूप से लिख दिया जायगा, मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों परिधि बढ़ाना आश्यक है, तब कोई मंत्री नहीं कहने पायेगा कि हमने यह नहीं कहा था और जनता को खाना मिल जायगा, शिक्षा भी उनकी हो जायगी।

उसी तरह से कपड़े की बात है। आप को मालूम होगा श्रीमन् कि न मालूम कितने बच्चे ऐसे अनाथ और अकिंचन होंगे, जिनके माता पिता उनको शीत लहरी से बचा नहीं पा रहे होंगे। क्यों उनको कपड़ा न मिले? यहां विधान सभा का शीतकालीन अधिवेशन हो और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जनता नंगी हो, भूखी हो, तो क्या यह हमारे लिये शोभा की बात है? हम यहां बैठ कर वागजाल रचें और करनी कुछ न हो तो यह ठीक नहीं है। इसलिये संकेत मात्र में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक की परिधि बढ़ाना नितांत आवश्यक है और उसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिये कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की जनता भूख से नहीं मरने पायेगी, उसके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होगी, कपड़े की व्यवस्था होगी, मकान की व्यवस्था होगी। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जनता के लिये सिंचाई के लिये भी इस विधेयक में लिखा जाना चाहिये कि वहां की जनता अपने खेतों की सिंचाई जो सब जगह रेट्स हों, उसके चौथाई रेट पर कर सकती है या फ्री हो।

अब लोग यह समझेंगे कि राजनारायण क्या बक रहा है, कहां से पैसा आयेगा जब सब चीजें मुफ्त कर दी जायंगी, बाढ़ग्रस्त इलाके की जनता के लिये। श्रीमन्, नुस्खा। कल यहां पुलिस थी, इस सदन में, क्यों थी? कानपुर की एक मिल पर ७ लाख रुपया मजदूरों की तनख्वाह बकाया है, दो महीने की तनख्वाह। कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई मिल मालिक नियमों की अवहेलना करेगा तो तीन वर्ष की सजा होगी। मैं चाहता हूं कि उनको पकड़ा जाय। जेल में राजनारायण और डाक्टर लोहिया की जगह नहीं है, इन मिल मालिकों की है जो मजदूरों का शोषण करते हैं। जो मिल मालिक नाजायज तरीके से गरीबों का शोषण करके, मजदूरों का शोषण करके गगनचुम्बी अट्टालिका बना रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाय और उनसे रुपया लेकर के, उन पर स्पेशल ड्यूटी लगा कर के उस रुपये से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जनता को मुसीबत से बचाने के लिये काम किया जाय। इसीलिये मैं कहता हूं कि परिधि बढ़ाई जाय। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब विधेयक ही बन रहा है और उसका नाम है श्रीमन्, उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकारी) विधेयक, तो जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का नाम ही आ गया तो एक ऐसा विधेयक बने जिससे कुछ लाभ भी हो, खाली प्रचार ही न हो। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र से बहुत से सदस्य भी आते हैं, बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र से कुछ माननीय मंत्री भी आते होंगे.....

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अब तो माननीय माल मंत्री भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के हैं।

श्री राजनारायण—मेरा न माल मंत्री से मतलब है न शिक्षा मंत्री से मतलब है। आप लोग गलत समझते हैं कि किसी सरकार की कोई व्यवस्था कुछ मन्त्रियों के इधर या उधर होने से बदल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न आप के सामने नहीं है। उन्होंने तो यह बताया कि वह मौजूद हैं और वह भी बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के हैं। इससे आगे आपसे कोई प्रश्न नहीं किया जो आप जवाब दे रहे हैं।

श्री राजनारायण—तो हमारा कहना यह है कि ऐसे मन्त्रियों से जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र से आते हों, आज उनसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह भी कुछ अपनी तनख्वाह में कटौती करने के लिये तैयार हैं? इस विधेयक में निश्चित रूप से रख दिया जाना चाहिए कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाला कोई भी आदमी एक हजार रुपया महीना से ज्यादा न आमदनी रख पायेगा और न खर्च कर पायेगा और ऊपर की आमदनी लेकर के बच्चों की फीस माफ हो, ऊपर की आमदनी लेकर के कपड़े का इन्तजाम हो, ऊपर की आमदनी ले कर के दवाई का इन्तजाम हो, ऊपर की आमदनी ले कर के घर बनाने का इन्तजाम हो। इसलिये मैं इसकी परिधि बढ़ाना चाहता हूं ताकि कुछ बढ़िया काम हो। मगर जब कुछ करना चाहें तब तो। करना चाहेंगे तो करेंगे। इस विधेयक में यह सब बातें आनी चाहिए। तब यह किसी को नहीं कहने को होगा कि "का हो, तरकारी बाघरवां कि नाहीं।"....

*श्री सुल्तानआलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आप से यह दरख्वास्त करूंगा कि एक हाउस के कस्टोडियन आफ राइट्स की हैसियत से अगर माननीय सदस्य इस बात का खयाल नहीं करते कि वह एक बार जो कह चुके हैं उसे दुहरायें और इस सदन का कीमती वक्त लें तो मैं फिर आप से दरख्वास्त करूंगा कि एक ही रास्ता रह जाता है कि आप इस मामले में दखल दें ताकि दूसरे लोग भी जो इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं उनकी बात सुनी जाय। माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कह लिया। मैं यह जानता हूं कि मुझे यह हक़ नहीं है कि मैं उनकी तकरीर को रोक दूं लेकिन कम से कम उनको यह सोचना चाहिये कि जो वक्त वह बरबाद कर रहे हैं लोगों का, इस सूरत से कि वह अपनी तकरीर को बराबर प्रोलांग कर रहे हैं, रिपीटेडली वही आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में आप इस मामले में दखल करें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—वह बार-बार अपनी बात दुहरा नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय बंशीधर शुक्ल, आप कृपया बैठें।

श्री रामस्वरुप वर्मा (जिला कानपुर)—मैं यह आप से व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी सदस्य को यह अधिकार है कि किसी सदस्य के बोलते समय यह कहे कि वह वक्त बरबाद कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो राय का प्रश्न है। उनकी यह राय है, आपकी दूसरी राय हो सकती है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि अब आपको उतावला नहीं होना चाहिये, वह अपना भाषण समाप्त ही कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप हैं ही ऐसे स्थान पर बैठे हुए कि आप की व्यवस्था सब को शिरोधार्य होनी चाहिये, लेकिन आप स्पीकर की हैसियत से नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा कोई अधिकार ले कर व्यवस्था दें, मैं आप से जानना चाहूंगा कि जो बात मैं कह रहा हूं क्या वह असंगत है?

श्री उपाध्यक्ष—वह बार बार दोहराने की बात कह रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण—मैं दोहरा नहीं रहा हूं। वह बुद्धि भ्रम के जाल में पड़े हुए हैं। जिन्होंने सारे देश की जनता की कमर तोड़ रक्खी है, चश्मा लगाये हुए हों, काला कोट पहने हों, काली अचकन पहने हों, गगन चुम्बी अट्टालिकाओं में रहते हों और गरीबों का खून चूसते हों।.....

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान्, जी यह क्या हो रहा है ?

श्री राजनारायण—आप मुझे रोक नहीं सकतीं, जनता की आवाज को मैं यहां बुलन्द कर रहा हूं।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—श्रीमन्, इस प्रकार किसी माननीय सदस्य पर यहां आक्षेप नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण—जिसके लाल लाल, गोल गोल गाल हैं, चश्मा लगाये है और काली अचकन पहिने हैं.....

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—मैं उपाध्यक्ष महोदय से जानना चाहूंगी कि यह सदन में क्या हो रहा है। किसी की खूबसूरती और चालचलन पर आक्षेप किया जा सकता है ?

श्री राजनारायण—(श्री मती राजेन्द्र किशोरी से) आप बैठ जायं।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—मैं नहीं बैठ सकती।

श्री राजनारायण—मैं भी नहीं बैठ सकता।

श्री उपाध्यक्ष—(श्रीमती राजेन्द्र किशोरी से) आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हैं तब तो ठीक है।

(कुछ रुक कर—श्री राजनारायण से, श्रीमती राजेन्द्र किशोरी के बैठ जाने पर) चलिये आप भाषण समाप्त कीजिये।

श्री राजनारायण—लाला जी की कविता सुनाना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—लाला जी की कविता न सुनाइये। बाढ़ के सम्बन्ध में बोलिये। जो कुछ आप कहना चाहें वह विधेयक के बारे में कहिये।

श्री राजनारायण—अगर आप की आज्ञा होगी तो मैं सदन छोड़ कर अपने दल के साथ जाने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपको सदन छोड़ने की आज्ञा क्यों दूं ?

श्री राजनारायण—सदन के सम्मानित सदस्य भी अगर चाहें तो चला जा सकता हूं, लकिन मैं कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जब गरीबों की आवाज इस सदन में बुलन्द की जाय तो जो धनिकों के एजेंट बन कर यहां आये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—यह बिल्कुल नामुनासिब है। कोई यहां धनिकों का एजेंट होकर नहीं आया।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति या दल पर जो लांछन लगाना चाहें उसे लगा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने उनको बतला दिया कि व्यक्तिगत सदस्यों पर उनको हमला नहीं करना चाहिये।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय "धनिकों के प्रतिनिधि" ऐसा उन्होंने कहा, इसे उन्हें वापस लेना चाहिये। अपने अधिकार के बाहर वे यह बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—उसके बारे में भी उनसे कह दिया कि यह बात गलत है। मैंने उनको ठीक वक्त पर टोक दिया था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्यों से कि जो धनिकों के हित की बात करता है मैं उसको धनिकों का एजेंट कहूंगा और जो गरीबों की हित की बात करता है वह गरीबों का एजेंट होगा। जो सरकार गरीबों का खून चूसती हो . . . .

श्री उपाध्यक्ष—सरकार के बारे में आप सामूहिक रूप से जो चाहें कह सकते हैं कि वह अमीरों की एजेंट है, लेकिन किसी व्यक्तिगत सदस्य को ले कर आप कहें कि वह धनिकों का एजेंट है, यह गलत है। अगर आप ऐसी व्यवस्था चाहते हों कि इस किस्म की इजाजत दी जाय तो मैं उस किस्म की इजाजत देना नहीं चाहूंगा।

श्री राजनारायण—मैं इजाजत की बात कहना नहीं चाहता, न किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप कर रहा हूं और न किसी का नाम ले रहा हूं। हमारी जो भावनायें हैं उन्हें मैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के सम्बन्ध में व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी भावनायें गगनचुम्बी अट्टालिकाओं की तरफ नहीं है, होटलों की तरफ नहीं हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि मुझे उन बातों को कहने दिया जाय और सदन के सम्मानित सदस्यों से भी कहना चाहूंगा कि वे जरा हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें, दिल से सुनें और सुन कर मेरी बातों पर विचार करें, गौर करें कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की जो जनता सारे सूबे में है उसकी कमर किस प्रकार टूटी हुई है, सारे सूबे में किस प्रकार मुसीबत आई हुई है और जब कोई विधेयक यहां प्रस्तुत हो और सदन के सम्मानित सदस्य उस पर अपना मत प्रकट करें कि वह एक अपूर्ण विधेयक है. .

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह बात आप कई बार कह चुके हैं। अब आप कोई नई बात बतलाइये।

श्री राजनारायण—अच्छा श्रीमन्, नया प्वाइंट मैं यह बतला रहा हूं कि जो बड़े-बड़े मिल मालिक हैं उन पर स्पेशल टैक्स लगाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप इशारा कर दीजिये कि यह योजना होनी चाहिये।

श्री राजनारायण—आप चाहते हैं कि इशारे से ही बात करूं तो इशारे से ही बात करूंगा। मैंने इशारे में ही कहा। यह जो विधेयक इस समय प्रस्तुत है यह अपूर्ण है, इससे बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की जनता का समाधान नहीं होगा। इसकी परिधि को बढ़ा करके आज हमने इशारे और संकेत रूप में, व्यापक और स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में कहा है उसका समावेश होना चाहिये, इसी मकसद को लेकर के मैंने माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के ऊपर एक अपना संशोधन जैसा वह समझ लें. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—वह तो स्वतंत्र संशोधन है।

श्री राजनारायण—स्वतंत्र ही आप समझ लें। तो मैं इसीलिये चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे और इसको जरूर प्रवर समिति में ले जाय जो इसकी परिधि को बढ़ाये और ये सारी बातें उसमें आ जायं जिससे सदन के समय का नुकसान न हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय माल मंत्री महोदय ने यह विधेयक पेश किया था उसी समय मैंने यह आपत्ति उठायी थी कि चूंकि यह कल ही पुरःस्थापित किया गया और हमें इस पर अच्छी तरह से विचार करने का मौका नहीं मिला, इसलिये आज यह विधेयक न लिया जाय; लेकिन जब माल मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिलाया कि यह विधेयक एक निरापद विधेयक है और शीघ्र ही पारित हो जायगा, इसमें कोई विवाद अथवा कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी, तब मैंने उनकी इस बात को मान लिया। लेकिन तब से लेकर अब तक जो विवाद यहां इस सदन में हो रहा है, उसको देख कर मुझे इस बात में कोई शंका नहीं रह गयी है कि यह विधेयक जैसा निरापद समझा गया था, वैसा नहीं है। इस विधेयक के संबंध में कई अप्रत्याशित आकस्मिक घटनायें हो गयीं। उनमें से पहली तो यह हुई कि आज सदन में खुल करके माननीय गेंदा सिंह जी और माल मंत्री महोदय में प्रेम प्रदर्शन हुआ।

श्री चरणसिंह—ज्यादा कहां हुआ, थोड़ा हुआ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—थोड़ा हुआ, यह मैं मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यानी इब्तदा हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—और उसका प्रमाण तो मिला, परिणाम कैसे होंगे, यह भविष्य के गर्भ में है।

दूसरी बात यह हुई कि काफी गर्मी जो नहीं आनी चाहिये थी, इस विषय में वह आई। बाढ़ पीड़ितों की सहायता का काम एक ऐसा पवित्र काम है, जिसमें सब दलों के लोगों को अपने दलगत विचारों को छोड़ करके सच्चाई के साथ एक दूसरे से सहयोग करना चाहिये, एक दूसरे को समझना चाहिये और इस दृष्टि से जब मैंने राजनारायण सिंह जी के भाषण को सुना, तब यह अनुभव अवश्य किया कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने की और उसकी परिधि बढ़ाने की अवश्य आवश्यकता है।

माननीय राजनारायण सिंह जी के भाषण से कुछ लोगों को काफी आपत्ति हुई, लेकिन मैं उन्हें एक बात के लिये बधाई देता हूं। जिस समय उन्होंने अपना भाषण प्रारम्भ किया तो माननीय माल मंत्री महोदय ने, मैं देख रहा था कि समाधि लगा ली। मैं देखना चाहता था कि वह अपनी समाधि को भंग करते हैं या नहीं, लेकिन मैंने देखा कि अन्त में माननीय राजनारायण सिंह जी को इस बात में सफलता मिल ही गयी कि माल मंत्री महोदय की समाधि भंग हो गयी और उनकी बात का बीच में जवाब दिया। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

श्री चरणसिंह—बधाई किसको दी, मुझे या राजनारायण जी को?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जी नहीं, राजनारायण सिंह जी को दी है। आपकी समाधि तो भंग हो गयी, आपको क्या बधाई दी जाय। तो अब इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने की आवश्यकता है, वह इसलिये कि जैसा विधेयक यह है, उसमें दो तीन बातें ऐसी हैं जिन पर विचार होने की आवश्यकता है। उसमें से पहले तो खंड २ में जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की परिभाषा दी गयी है वह थोड़ी सी आपत्तिजनक है और उसमें स्पष्ट नहीं है कि अगर सरकार बाढ़-पीड़ित क्षेत्र को बाढ़-पीड़ित क्षेत्र घोषित न करे, बाढ़ आ जाने पर भी तो बाढ़-पीड़ित क्षेत्र घोषित होगा भी या नहीं इसको बिलकुल सरकारी पक्ष के ऊपर छोड़ दिया गया है, सरकारी अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया गया कि वह घोषित करें तब बाढ़-पीड़ित क्षेत्र है, वरना नहीं है। बाढ़-पीड़ित क्षेत्र

घोषणा से होगा यह जरा सोचने और विचार करने की बात है कि यह कहां तक ठीक है। इस पर विचार प्रवर समिति में ही हो सकता है।

इसी तरह से खंड ३ में जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा है कि वहां शब्द "आवश्यक और इष्टकर" हैं। इतना तो मुझे संतोष हुआ कि वहां शब्द "आवश्यक अथवा इष्टकर" हैं अगर आवश्यक और इष्टकर होता तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के घोषित होने में लेकिन अथवा शब्द के रहने से उतनी बुराई नहीं रहती है फिर भी अस्पष्टता रहती है और इस पर प्रवर समिति में ही विचार हो सकता है।

तीसरी बात है कि खंड ३(२) का जो प्रतिबन्ध है, वह यह है कि "प्रतिबन्ध यह है कि घर, एक वर्ष की अवधि अथवा ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, पुनः निर्मित या पुनः प्रतिरूपित कर लिया जायगा या उसकी मरम्मत कर ली जायगी।" इसमें सोचने की बात यह है कि एक वर्ष की अवधि की क्या आवश्यकता है। क्या यह होनी चाहिये? और जो सचमुच में गरीब हैं उनके लिये यह अवधि हानि पहुंचाने वाली तो नहीं हो जायगी? इस बात का विचार प्रवर समिति में ही हो सकता है। इसलिये मैंने संक्षेप में अपने सुझाव दिये हैं क्योंकि मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। मैंने यही कारण बतलाया कि प्रवर समिति में इस पर विचार किया जाय और वहां पर आपसी मतभेद, शंका और आशंकाओं को दूर किया जा सके।

इसकी परिधि बढ़ाने की आवश्यकता इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता का विषय इस समय हमारे प्रदेश में पिछले कई महीनों से सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष में अत्यन्त विवाद का विषय बन गया है। इस विवाद को दूर करने के लिये एक सर्व दलीय समिति बनी और जिस समय वह बन रही थी उस समय मैंने बतलाया था कि वातावरण अनुकूल नहीं है और इसके बाद भी सदस्यों का समाधान नहीं हुआ और आपसी जो मतभेद और कटुता थी उसमें भी कोई कमी कहने लायक नहीं हुई बल्कि थोड़ी सी कटुता और मतभेद बढ़ा। इसलिये भी और इसलिये भी कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता का विषय इतना गम्भीर और महत्वपूर्ण है कि आज अभी १५ मिनट बाद इसी विषय पर कामरोको प्रस्ताव पर विवाद होने वाला है तो एक विषय जो निरन्तर बराबर आने वाला है, मैं समझता हूं कि यह सरकार के हित में है और जनतंत्र की परम्परा को बढ़ाने के लिये जरूरी है कि प्रवर समिति में समूचे अधिनियम पर उसके संबंध में विचार किया जाय। मैं दलील के लिये मान लेता हूं कि सरकार इस संबंध में काम अच्छा कर रही है और मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपना कर्त्तव्य पालन कर रही है। यह बात दूसरी है कि जितना कार्य उसको करना चाहिये था उतना नहीं कर रही है। मैं मानता हूं कि सरकार अपना कार्य कर रही है। अंग्रेजी में कहावत है कि सीजर की वाइफ के लिये यह काफी नहीं है कि वह सती है बल्कि यह भी जरूरी है कि कोई उसके सतीत्व पर शंका न कर सके। इसी तरह से सरकार के लिये भी आवश्यक है और उनके लिये यह काफी नहीं है कि यह समझे कि वह अच्छा काम कर रही है बल्कि उसके लिये जरूरी है कि जनता और विरोधी दल भी समझें कि वह अच्छा काम कर रही है। यदि यह वातावरण छोटी-मोटी बातों से हो सकता हो तो उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। इन सब समस्याओं पर आमूल विचार कर लेना चाहिये क्योंकि ऐसा न करने पर बाढ़ से ज्यादा बाढ़ पर काम-रोको प्रस्तावों की बाढ़ आती रहती है। इसको खत्म करने के लिये अगर समस्या पर आमूल विचार किया जाय तो सरकारी पक्ष के लिये, विरोधी पक्ष के लिये, जनता के लिये और सब के लिये अच्छा होगा। इसलिये मैं अपील करूंगा कि इस प्रस्ताव के मान लेने में कोई विशेष हानि नहीं है। बाकी उनके हाथ में है। इससे अधिक मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं।

*श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी के तर्कों को मैंने सुना। उससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि यह पांच खंडों वाला विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये। जहां तक परिभाषा का संबंध है माननीय पालीवाल जी ने उस पर कुछ आपत्ति की। तो उस पर संशोधन के द्वारा भी विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा माननीय माल मंत्री जी और राजनारायण जी में क्या प्रेमालाप हुआ . . .

श्री चरण सिंह—कहां हुआ ?

श्री रामलखन मिश्र—मैं तो यहां था नहीं, मैंने सुना नहीं क्या हुआ, लेकिन उस कारण से भी प्रवर समिति में भेजा जाना उचित नहीं है। यह तो बहुत ही आवश्यक विधेयक है और राज्य सरकार की यह चूक है जो इसको इतनी देर से लाई, यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। मैं बाढ़-पीड़ित क्षेत्र का व्यक्ति हूं . . .

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—यह जरा बता दीजिये कि आपके क्षेत्र में कहां कठिनाई उत्पन्न हुई ?

श्री रामलखन मिश्र—मैं समझता हूं कि बीच में बोलना तर्क करने की परम्परा में नहीं आता और जबतक माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा न हो तब तक मैं व्यक्तिगत विवाद में नहीं पड़ सकता। अतः जो मैं कह रहा था उसी विचाराधारा से मैं कहूंगा। बाढ़-पीड़ितों का बड़ा विकट प्रश्न है। जिससे जमीन ऐक्वायर की जाती है वह छोड़ता नहीं है। यदि धाराओं के अन्तर्गत कोई त्रुटियां हैं तो वे संशोधनों के द्वारा ठीक की जा सकती हैं। इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर संशोधन के द्वारा हम विचार न कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने का घोर खंडन करता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि अगरचे मुझ पर मेरे दोस्त राजनारायण जी काफ़ी नाराज़ हो लिये लेकिन फिर भी इस हाउस के लिये कुछ वक्त बच गया कि कुछ और लोग भी अपने खयालात का इजहार कर सकें। मैं भी उन खुशनसीब लोगों में से एक हूं जिन्हें दो, चार मिनट का मौका मिला और इसी बीच में मैं दो-चार बातें माननीय मंत्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं।

मैंने पालीवाल जी की तकरीर सुनी और मैं उनकी विचारधारा का बड़ा एहतराम रखता हूं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ सकी कि सेलेक्ट कमेटी को इस छोटे से बिल को भेजने से क्या फायदा हो सकता है सिवाय इसके कि कुछ वक्त और गुजर जाय और एक नेक काम जिसके करने की बहुत जल्दी जरूरत है उसमें कुछ थोड़ी देर हो जाय। अभी थोड़ी देर का वक्त गुजरा जब एक सेलेक्ट कमेटी इस हाउस के रूल्स के बारे में बैठी थी और उसने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट दी। वह यूनानिमस रिपोर्ट हमारे हाउस के सामने आयी लेकिन उसके बावजूद भी यहां बहुत से अमेंडमेंट्स आये और आखिर में तय यह हुआ कि उनको फिर एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय। तो रूल्स की तो ऐसी बात थी कि कुछ रूल्स हमारे पहले से मौजूद हैं और अगर वे जल्दी पास नहीं होते तब भी हमारा काम रुकेगा नहीं। लेकिन जहां तक इस प्राब्लम का ताल्लुक है ,जिसको हल करने के लिये यह बिल लाया गया है इसमें किसी देर की गुंजाइश नहीं हो सकती। मैं पसन्द यह करता कि यह बिल आज के बहुत पहले आ गया होता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन बहरहाल, गवर्नमेंट यह बिल लाई और हम उसके मशकूर हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पालीवाल जी ने अपनी तकरीर में दो दिक्कतें पेश कीं। एक दिक्कत तो उन्होंने धारा २ के मुताल्लिक बयान की कि जब तक गजट में नोटिफिकेशन न हो जाय उस वक्त तक यह बिल किसी बाढ़ आयी हुई जगह पर लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये इसलिये कि फ्लड्स का एक ऐसा मसला है जिसमें बड़े डिस्क्रीशन का सवाल पैदा हो सकता है। अगर मामूली सा भी कहीं फ्लड आये और नोटिफिकेशन का मामला न हुआ तो फिर हर जगह यह ऐक्ट लागू माना जायगा। इस ऐक्ट का यही मंशा हो सकता है कि यह उसी मुकाम पर लागू हो जहां इसकी जरूरत हो। अगर कहीं ऐसी जरूरत पैदा हो गयी तो वह गवर्नमेंट जो अपने इनीशियेटिव पर यह बिल लायी है उसे अगर हम इतना डिस्क्रीशन दे दें, और जाहिर है कि जब मंशा और मकसद गवर्नमेंट का यही है कि वह उन मुकामात को रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं कि जहां मकानों का प्राब्लम है तो कोई वजह नहीं है किसी मखसूस एरिया में अगर यह सवाल पैदा हो तो उसका नोटीफिकेशन न हो। यह बहुत छोटा सा डिस्क्रीशन है और बहुत छोटी सी बात है जिसको हमें गवर्नमेन्ट के भरोसे पर छोड़ना ही चाहिये।

दूसरी चीज जो पालीवाल जी ने फरमायी वह यह कि इसमें जो मुद्दत की बात है वह कम है। मैं समझता हूं कि एक साल की मुद्दत मुनासिब है। एक साल की मुद्दत तो इतनी है कि दुबारा फ्लड उस जमाने में आया करेगा। अगर फर्ज कीजिये कि एक साल की मुद्दत में एक मामला नहीं तय हुआ तो साल भर के बाद वह प्राब्लम फिर पैदा हो जायगी और दूसरी बार फिर फ्लड आ सकता है और सब किया धरा ना किया हो जायगा और फिर से सारा काम करना पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि एक साल की मोहलत नाकाफी नहीं है और इसके अलावा यह भी एक बात है कि अगर हम इस मामले को टालते जायं तो उससे हमारे मसले हल नहीं होंगे। हम तो इसको जल्दी से जल्दी ला रहे हैं और इसका मंशा यही है कि इस मसले को जल्दी से हल किया जाय। तो एक साल की मुद्दत किसी सूरत से भी नाकाफी नहीं है और इसके अन्दर यह काम बखूबी हल हो सकता है। इसलिये मैं अपने बुजुर्ग पालीवाल जी से यह अर्ज करूंगा और गेंदा सिंह जी से भी यह अर्ज करूंगा कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है, कि इस बिल को एक सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय, वह गैरजरूरी सा मालूम होता है। क्योंकि सेलेक्ट कमेटी में भेजने के मानी यह हैं कि इस बिल में देर हो और हम सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि यह समस्या ऐसी है कि जिसमें देर होने की गुंजाइश नहीं है और देर की गुंजाइश न होने के लिये ही पालीवाल जी ने यह अमेंडमेंट पेश किया है कि साल भर की मुद्दत कम है, वह बढ़ा दी जाय। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में इस बिल को, जिस सूरत में यह हमारे सामने आया है, उसको पास कर दिया जाय। यह बहुत छोटा सा बिल है, बहुत सीधा-सादा बिल है और इससे एक ऐसे प्राब्लम को साल्व करने की कोशिश की गई है कि जो फौरी है, जिसमें देर करने की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं अपने दोनों भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने अमेंडमेंट्स को वापस ले लें और इस बिल को मंजूर होने दें।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह जो विधेयक प्रस्तुत है और इस पर श्री पालीवाल जी का जो संशोधन का प्रस्ताव है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, इसमें बहुत सी कमियां हैं। यह विधेयक केवल नगरों में ही लागू किया जायगा, जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है। इसे श्रीमन्, देहातों में भी लागू होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त जो इस में लिखा है कि "वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे क्षेत्र को बाढ़-पीड़ित क्षेत्र घोषित कर सकती है", यह मेरी समझ में नहीं आता। जब यह संशोधित हो कर प्रवर समिति से आ जायगा उस समय इसको जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्र है, वहां लागू हो ही जाना चाहिये और साथ ही साथ जो इसमें धारा ३ की उपधारा

[श्री भुवनेश भूषण शर्मा]

(१) में लिखा है कि "यदि राज्य सरकार के मत में यह आवश्यक अथवा इष्टकर हो कि किसी क्षेत्र में विज्ञापित अवधि में बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाया जाय तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे क्षेत्र को बाढ़-पीड़ित क्षेत्र घोषित कर सकती है।" इसमें श्रीमन्, शब्द "सकती है" के स्थान पर शब्द "अवश्य कर दे" ऐसा आना चाहिये।

साथ ही साथ मान्यवर, जो इस में एक साल की अवधि रखी है तो उसके लिये मेरा कहना है कि जब बाढ़ आती है तो मकान गिर जाते हैं। अधिकतर व्यक्तियों में यह शक्ति नहीं रहती, जो क्षेत्र के रहने वाले हैं कि वह एक साल के अन्दर ही अपने मकान बनवा लें, तो इस प्रतिबन्ध के स्थान पर यह होना चाहिये···

श्री चरण सिंह—मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करूंगा कि बिल की मंशा यह है कि शहरी इलाके में जहां भी रहने वाले अपनी आराजी के मालिक नहीं होते, और उनके मालिक रुकावटें डालते हैं, वे रुकावटें न डाली जा सकें, देहात से इसका क्या वास्ता है? देहात में तो वह पूरे मालिक हैं लेकिन फिर भी इसके ऊपर बहस हो रही है।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा—मैं यह कह रहा था कि जहाँ पर बाढ़ आ जाती है उस स्थान पर उनका सब कुछ बाढ़ से बरबाद हो जाता है तो उसी साल के अन्दर मकान का निर्माण करना उनके लिये नामुमकिन है। मैं समझता हूं इस प्रकार के प्रतिबन्ध से उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। एक साल न रखकर, जैसा कि इसमें लिखा है कि एक साल की अवधि के भीतर वह बना ले, तो इसको यहां से निकाल दिया जाय और इसके स्थान पर एक साल में वह कार्य प्रारम्भ कर दे यह रख दिया जाय। जैसे-जैसे उसके पास पैसा होगा उसको वह बनाता जायगा। इसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये कि एक साल के अन्दर वह मकान बनाले।

दूसरी बात यह इसमें दी गयी है कि यह अधिनियम उस स्थान पर लागू नहीं होगा जो सरकार के अधिकार में हों। नजूल की जमीन सरकारी होती है जिस पर मकान बने होते हैं तो उस पर भी यह लागू होना चाहिये चाहे वह सरकारी क्षेत्र में ही आते हों। यह सब पर लागू होना चाहिये न कि जनता की किसी चीज पर ही लागू हो।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

वर्षा के असमय समाप्त होने से खरीफ की पैदावार नष्ट होने तथा रबी की बुवाई न होने के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—"इस वर्ष वर्षा के असमय समाप्त होने के कारण इस प्रदेश के विशेषकर पूर्वी अंचल में खरीफ की पैदावार के नष्ट होने और उसी कारण रबी की ठीक प्रकार से बुवाई न हो सकने तथा इस संकट का मुकाबला करने के लिये सरकार की सिंचाई के साधन उपलब्ध कर सकने में असमर्थता से जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है उस सार्वजनिक महत्व के निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न पर विचारार्थ सदन आज की बैठक स्थगित करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव की महत्ता का प्रश्न है वह इससे स्पष्ट विदित है कि बहुत कम ऐसे प्रस्ताव आये हैं जिनको सर्व सम्मति से इस आदरणीय सदन की मान्यता मिली हो। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान्यता मिली है इसलिये मैं आवश्यकता नहीं समझता कि इस प्रस्ताव की महत्ता पर कोई बात कहूं।

इसके बाद हमारे सामने इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि का प्रश्न आता है। कुछ महीने पहले इस सदन की बैठक में इस पर काफी बहस चली। पिछले लगातार २ वर्षों से विशेषकर वर्षा की कमी से पिछले वर्ष रबी की फसल····

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मुझे यह निवेदन करना है कि इसके लिये केवल २ घंटे का समय मुकर्रर है। इस बीच में ज्यादा लोग बोलना चाहेंगे अगर कोई समय निर्धारित कर दिया जाय तो ऐसा नहीं होगा जैसे अभी एक साहब घंटे भर तक बोल गये।

श्री उपाध्यक्ष—नियमानुसार कामरोको प्रस्ताव पर किसी को भी १५ मिनट से अधिक बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर आप उससे भी कम समय देनेका कोई प्रस्ताव रखना चाहें और सदन उसको स्वीकार कर ले तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मेरा प्रस्ताव है कि प्रस्तावक और मंत्री के लिये १५ मिनट और दूसरों के लिये १० मिनट का समय रहे।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—सदस्यों के लिये ५ मिनट और नेताओं के लिये १० मिनट रहें।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में यह निवेदन करूंगा कि इस संबंध में प्रस्ताव द्वारा कोई निर्णय न किया जाय बल्कि माननीय सदस्यों की समझदारी, गुड विल पर ही छोड़ दिया जाय कि वे कम से कम समय लें। मैंने श्री गौरी शंकर राय जी से भी बातचीत कर ली है वे मुश्किल से १५ मिनट का समय लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप लोग माननीय नेता विरोधी दल से सहमत होंगे कि जो भी लोग भाषण करेंगे वे कम से कम समय लेकर करेंगे। वैसे किसी भी हालत में वे १५ मिनट से ज्यादा न बोल सकेंगे।

श्री गौरीशंकर राय—मैं प्राकृतिक आपदाओं की पृष्ठभूमि में यह बता रहा था कि पिछली रबी की फसल तो बिल्कुल बरबाद हो गई थी, उसके सिलसिले में यहां पर बहस भी हुई थी तथा उसी के सिलसिले में इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य माननीय गेंदासिंह को अनशन भी करना पड़ा था जिस पर कुछ उपचार की बातचीत भी हुई थी। उसके बाद हमारे सामने एक नया प्रश्न पैदा हो गया। वर्षाकाल में जो वर्षा हुई वह एक माह पीछे प्रारंभ हुई और निश्चित समय से एक महीने पहले वह समाप्त हो गई। माननीय मालमंत्री जी भी किसान हैं। मैं उन्हें बता दूं कि आद्रा और हथिया नक्षत्रों में कोई वर्षा नहीं हुई। पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। इसके फलस्वरूप खरीफ की फसल भी नष्ट हो गयी। जहां तक प्रदेश के पूर्वी अंचल का प्रश्न है ५० प्रतिशत से अधिक खरीफ बोई जाती है। वहां पर अधिकतर धान, ज्वार और बाजरा बोया जाताहै जिसमें से अधिकतर अगहनी धान की फसल होती है। पूरे उत्तर प्रदेश की ७१ लाख एकड़ जमीन में अगहनी धान बोया जाता है जिसमें से २४ लाख एकड़ पूर्वी अंचल में बोया जाता है जिसमें फैजाबाद, बनारस और गोरखपुर की तीन कमिश्नरियां है, जिनमें करीब २ करोड़ मन धान पैदा होता है, जिसकी कीमत कम से कम ३६ करोड़ रुपया होती है। इस तरह से हमारे प्रांत को ३६ करोड़ रुपया का धान में पूर्वी जिलों में नुकसान हुआ है। इसके साथ ही साथ दूसरी और भी फसलें हैं जैसे सांवां, कोदों और मड़आ है। वे भी प्रायः नष्ट हो गई हैं। ऐसी स्थिति में एक विशेश परिस्थिति पैदा हो गयी है।

यही नहीं इसका असर रबी की बुवाई पर भी पड़ा है और शायद सरकार भी मानती है। माननीय मंत्री जी अभी बतायेंगे कि २० फीसदी का असर उसकी बुवाई पर हुआ है। २० फीसदी की बुवाई सरकार के अनुसार नहीं हो पायी है। यह तो वह एरिया है जिसमें बुवाई नहीं हुई है। जहां बुवाई हुई है वहां की फसल भी सूख गयी है और पौधे वर्षा की कमी के कारण नीचे गिरने लगे हैं। एक तो गेहूं के पौधे निकले ही नहीं हैं और जो निकले भी हैं, मैंने माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से बताया था कि उनमें कटुई नाम का कीड़ा लग गया है। रबी की फसल भी पानी के बिना सूख रही है। जो तालाब और गड्ढे थे, जिनके द्वारा खेतों में

[श्री गौरीशंकर राय]

सिंचाई होती थी वह भी पानी के बिना पड़े हैं, उनमें पानी नहीं हैं, इसलिये कोई सिंचाई भी उनसे नहीं हो सकती है । सरकार के जो सिंचाई के साधन हैं वे सब बेकार साबित हुए हैं । सरकार की बड़ी-बड़ी सिंचाई की योजनायें पूर्वी जिलों के बारे में मौन हैं । छोटी-छोटी योजनायें नहर और पम्पिंग कैनाल्स की हैं—टांडा, दोहरीघाट और बखेरी ये तीन योजनाये हैं, जिनमें पानी नहीं है और किसानों की जमीन उनमें फंसी पड़ी हैं । बहुत सी जमीन नहर के एक तरफ हैं और कुंआ दूसरी तरफ जिसकी वजह से सिंचाई हो नहीं सकती । इस प्रकार से नहरें एक प्रकार से बजाय सहायता पहुंचाने के बाधा ही खड़ी कर रही हैं और उन्होंने किसानों की जमीन चुराई हुई है ।

ट्यूबवेल्स का जहां तक प्रश्न है, पावर के बारे में तो सरकार ने माना ही है कि उनको पावर नहीं दी जा सकी इसके अलावा कई ट्यूबवेल्स पानी देने के अयोग्य साबित हुए हैं । किसी में कोई खामी रही है और किसी में कोई । किसी में पानी है तो नाली नहीं है और यदि नाली है तो पानी नहीं है । इस प्रकार से सरकार सिंचाई का इंतजाम करने में असफल रही है ।

जहां तक पक्के कुओं का संबंध है, जब जमींदार थे वे उनको बनवा देते थे, उनकी मरम्मत करा देते थे लेकिन अब वे पक्के कुंयें बरबाद हो गये हैं । जहां तक अच्छे कुओं का प्रश्न है वह भी बहुत कम हैं । अगर इस सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना में कच्चे कुओं के लिये लोगों को उत्साहित किया होता तो लाखों की तादाद में कच्चे कुंए बन गये होते ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को सिंचाई विभाग पर पूरा वादविवाद करने का मौका नहीं है । जिस विशेष परिस्थिति पर वे ध्यान दिलाना चाहते हैं उसी पर जोर दें ।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने इस प्रस्ताव में यह लिखा है कि समय पर वर्षा नहीं हुई और सरकार भी सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने में असफल हो गयी है और इसीलिये ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है । इसीलिये मैं आपकी आज्ञा से इन बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं । खरीफ की फसल बरबाद हो गई, रबी की फसल भी बरबाद होने जा रही है और आज भी कच्चे कुएं की खुदाई के सिलसिले में जब बात होती है तो कहा जाता है कि फी कुआं १५ रुपये या १३ रु० देंगे । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि सिंचाई की व्यवस्था में सरकार पूर्णरूप से नाकामयाब रही । कहीं कोई स्कीम दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में नहीं है, आपकी माइनर इर्रीगेशन स्कीम बुरी तरह से पीछे रही हैं ।

श्रीमन्, जहां तक बीज वितरण की बात है, वह तो एक नवाबी ही ढंग से हुआ है । बुवाई खत्म होने के एक महीना बाद पंजाब से बीज मंगाया गया और उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल में न जाकर वह रहस्यमय ढंग से कानपुर के बाजारों में, गल्ले बाजार में बिक गया । इस सम्बन्ध में मुझे और भी बहुत सी बातें मालूम हुई हैं जिनको बयान करने का इस समय मौका नहीं है, बाद में समय आने पर मैं उसको भी बतलाऊंगा । यह तो स्थिति का प्रश्न है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति के सम्बन्ध में इस सरकार से, माननीय माल मंत्री से और इस आदरणीय सदन से मुझे एक शिकायत करनी है और वह शिकायत यह है कि श्री गेंदा सिंह के अनशन के समय सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि इस प्रदेश की समस्या को हल करने के बारे में जितनी बातें हैं उनको हम अशोक मेहता समिति के सामने देंगे । लेकिन अशोक मेहता समिति के सामने उन चीजों को रेफर नहीं किया गया, कुछ किया भी गया तो देर में जिससे समय के अन्दर काम नहीं हो सका और उस समिति का काम भी खत्म हो गया अगर अशोक मेहता समिति के सुपुर्द ये सब बातें कर दी गयी होतीं तो मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती कि वह उनको पूरा करे और इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश को धन का भी लाभ होता, लेकिन इस सरकार ने सिंचाई और दरिद्रता के प्रश्न को बिलकुल राजनीतिक प्रश्न बना लिया, इसलिये उस समिति के सुपुर्द उसको नहीं किया ।

जहां तक नुकसान का अन्दाजा लगाने की बात है उसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है ।

पिछले समय में इस पर सदन ने कई दिन तक बहस की। केन्द्रीय सरकार के शासकों की एक टीम उधर आयी थी जिसने जाकर पंडित जवाहर लाल नेहरू को बतलाया कि वहां ३०, ३५ प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है। मैं तो कहता हूं कि जो उस अंचल के रहने वाले नहीं हैं और जो विरोधी पक्ष में नहीं बैठते हैं, वे ही लोग चलकर वहां के नुकसान का अन्दाजा लगावें, हम उनके अन्दाजे को ही सही मान लेंगे। मैं माननीय माल मन्त्री जी के अन्दाजा को सोलह आने सही मानता, लेकिन मुझे तो यह जान कर बड़ा दुख हुआ कि वे वायुयान द्वारा निरीक्षण कर इस बात का अनुमान लगावेंगे कि वहां कितना नुकसान हुआ है।

श्रीमन्, जहां तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के निरीक्षण का प्रश्न था वहां तक तो ठीक बात है कि ऊपर से इस बात का अन्दाजा लग सकता है कि यह गांव डूबा हुआ है, इतने मकान गिरे हुए हैं, लकिन जमीन में नमी है या नहीं, इसका पता मालूम नहीं माननीय मन्त्री जी को हवाई जहाज से कैसे हो सकता है? यह कैसे सम्भव है जमीन में नमी है या नहीं, रबी की बोवाई हो सकती है या नहीं, उसका अन्दाजा माननीय मन्त्री जी ने हवाई जहाज से करना ही उचित समझा। माननीय खाद्य मन्त्री जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गये थे उन्होंने कहा कि "सिचुएशन नाट एलार्मिग"। सरकार कहती है कि सिचुएशन एलार्मिग नहीं है, उनका कहना है कि सिचुएशन एलार्मिग का एलान कर देने से उसका बाजार पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन मैं आप के द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि बिहार गवर्नमेंट ने "सिचुएशन एलार्मिग" का एलान कर दिया है लेकिन उसका असर बाजार पर कोई बुरा नहीं पड़ा है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के संकट का मुकाबला किया जाय तो वह बिलकुल एक सी स्थिति ही है। आज तो हालत यह है कि बलिया के लोग आरा में धान काटने के लिए गये हैं और देवरिया, गोरखपुर के लोग चम्पारन में गये हैं, जहां कि सिचुएशन एलार्मिग है। समझ में नहीं आता कि यह क्या बात है कि जहां सिचुएशन एलार्मिग है वहां पर वहां के लोग अपनी जीविका के लिए जायं, जहां कि "सिचुएशन एलार्मिग" नहीं है। मैं नहीं समझता कि माननीय खाद्य मन्त्री जी को इस तरह का बयान देने में संकोच क्यों होता है?

जहां तक रिलीफ देने की बात थी उसके लिए एक सर्वदलीय समिति बनायी गयी थी, लेकिन उस को भी एक राजनीति का रूप दे दिया गया। जहां तक फीस माफी का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी से व्यक्तिगत कह चुका हूं कि डिग्री कालेज में पढ़ने वाले इन्टरमीडियेट के विद्यार्थियों की फीस नहीं माफ हुई। उस सम्बन्ध में बाद में विस्तार से बतलाऊंगा। इस दरिद्रता के प्रश्न को व्यक्तिगत प्रश्न नहीं बनाना चाहिए।

तो मैं चाहूंगा कि हमारी इस दरिद्रता और गरीबी को एक उपहास का प्रश्न न बनाया जाय और इस प्रश्न को राजनीति से ऊपर उठाकर गम्भीरता के साथ हल किया जाय और इस प्रश्न को यह समझ कर न दबाया जाय कि इस को श्री गेंदा सिंह या नेता विरोधी दल ने उठाया है, बल्कि वस्तुस्थिति को समझ कर हमारे प्रदेश के पूर्वी अंचल के लोगों की संकटमय स्थिति का मुकाबला किया जाय और एक फौरी या तात्कालिक सहायता उन लोगों की की जाय। स्थायी की बात तो बाद में आती है, इस समय तो आवश्यकता इस बात की है कि कैसे उनको इस संकट से बचाया जाय।

माननीय गेंदा सिंह जी को केन्द्रीय सरकार के आय हुए अधिकारियों ने बताया कि ग्रीन मैन्योरिंग करो, लेकिन वह तो आषाढ़ के बाद होता है और संकट हमारे यहां आजकल है। इस तरह के हास्यास्पद उपायों से संकट का तात्कालिक समाधान नहीं हो सकता। संकट की वास्तविकता को महसूस किया जाय और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और उस को दूर किया जाय। वहां पर उन क्षेत्रों में जो लोग भी जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के भाई भी जो वहां जाते हैं वह कहते हैं कि स्थिति वाकई दयनीय है, लेकिन चौधरी साहब के डंडे के भय से या अनुशासन के डर से वह वस्तुस्थिति यहां नहीं बता पात . . . .

श्री उपाध्यक्ष--इस तरह के शब्द माननीय सदस्यों के लिए नहीं कहने चाहिए, अब आप का समय भी समाप्त हो गया।

श्री गौरीशंकर राय--मैं अन्त में माननीय माल मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस गम्भीर समस्या पर विचार करें और मैं आशा करता हूं कि वह इस गम्भीर समस्या का समाधान निकालेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना आप के द्वारा सरकारी पक्ष से करूंगा और वह यह है कि इतने भाषण के बाद अगर सरकारी पक्ष का विचार सदन को मालूम हो जाय तो आगे इस विषय पर विचार करने में सदन को बहुत सुविधा हो जायगी। वैसे तो सदैव ऐसा हुआ करे तो बहुत अच्छा है लेकिन विशेषकर कामरोको प्रस्ताव पर यदि सरकारी पक्ष पहले से ही मालूम हो जाय तो उससे विवाद को एक सीमा में बांधने में और विचार करने में बहुत सुविधा हो सकती है। इस पर सरकार विचार कर ले।

श्री उपाध्यक्ष--इस में कठिनाई यह है कि माननीय माल मन्त्री को या किन्हीं अन्य मन्त्री को केवल एक बार ही बोलने का मौका है, इस में वह दोबारा नहीं बोल सकते। अगर सरकारी पक्ष के कोई लोग इस विषय पर सरकार का मत व्यक्त करना चाहेंगे तो मैं बाद में उनको इजाजत दे दूंगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गौरी-शंकर राय जी ने जो कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया है वह विषय इस तरह का है जिस की ओर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी कोई भी इलाका ऐसा नहीं है, जहां के लोग आंख लगाये न देख रहे हों। पिछले ३ मास में जब से सदन का पिछला अधिवेशन समाप्त हुआ उसके बाद की जितनी भी घटनायें हुई हैं उन पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ पहले पूर्वी क्षेत्रों के लिये कहा जाता था उस से पश्चिमी इलाका नम्बर मार ले गया, जहां तक कि बाढ़ से नुकसान का सवाल है। सारे सूबे के पैमाने पर बाढ़ और सूखे ने सफाया किया है, लोग परेशान हैं और अगर आप वहां लोगों की हालत जाकर देखें तो आप को ताज्जुब होगा कि लोग वहां जिन्दा किस तरह से हैं। हम जब माननीय माल मंत्री जी को लिख कर भेजते हैं या डिमान्सट्रेशन या प्रदर्शन करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं, डेपुटेशन मीट करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, भूखहड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, उसके बाद भी जो आवाज सरकारी बेंचेज की ओर से निकलती है या माननीय माल मंत्री जी का जो वक्तव्य निकलता है, दबी जबान से, वस्तुस्थिति को स्वीकार करते हुये भी जो वक्तव्य उन का निकलता है वह ऐसा नहीं है कि हम उस से मुतमईन हो जायं, यह दुख की बात है। सूखे की समस्या, बाढ़ की समस्या आज से नहीं, लगभग बीसों, पचीसों वर्ष से हमारे उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में तो लगातार हो रही है और दूसरे हिस्से में भी कुछ समय से यह जोर पकड़ती जा रही है। हमारे यहां समस्या क्या है? हमारे यहां वर्षा देर से शुरू होती है। इसलिये जो खरीफ की बुवायी का सीजन होता है वह पिछड़ जाता है। जब फसल थोड़ी सी उठने लगती है तो बाढ़ हम पर छा जाती है। बाढ़ के लिये जरूरी नहीं होता कि हमारे इलाके में पानी बरसे तभी वह हमारे इलाके में आये। हमारे यहां की नदियां हिमालय की ऊंची से ऊंची चोटियों से निकलती हैं। अगर पांच सौ या दो सौ मील दूर भी पानी बरसता है तो हमारे यहां उसके कारण बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के पानी की विशेषता यह है कि जितनी जल्दी बाढ़ आती है नुकसान करने के बाद उतनी ही जल्दी खिसक भी जाती है। उसके बाद बाढ़ का एरिया आंख लगा कर देखता रहता है कि जो रबी की बोआई का सीजन है हम किस तरह से उसको पूरा करें। जो बोई हुई फसल है वह नष्ट हो चुकी है। उसके बाद आगे आने वाले सीजन के लिये किस प्रकार बीज और कृषि के दूसरे साधनों को जुटाया जाय, इस मामले में उस वर्ष कोई अचानक हम पर यह विपत्ति आ गयी हो, सरकार की असावधानी में, कोई इस तरह की बात नहीं है।

सरकार को बारम्बार जन सेवकों ने चेतावनियां दीं। केवल विरोधी दल के लोग ही नहीं बल्कि उधर बैठने वाले लोगों की तरफ से भी यह चेतावनियां बराबर सरकार को दी जाती रहीं। जहां तक रबी के लिये बीज और बोवाई का सवाल है, मुझे जहां तक याद है उस वक्त जब खाद्य समस्या पर बहस हुई थी उस समय ट्रेजरी बेंचेज के लोगों ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। विरोधी पक्ष ने जो कुछ किया था वह तो जैसे कोई हवा बह गयी हो। मैं तो यह कहता हूं कि अगर आज एक भी एकड़ खेती पूर्वी या पश्चिमी या उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में कृषि के साधनों के अभाव में बिना बोई हुई रह गयी है तो उसकी जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर है और इस सरकार ने डेलीबरेटली ऐसा किया है, जानबूझ कर यह गलती की है। बहुत लड़ाई भिड़ाई होने के बाद एक सर्वदलीय समिति बनी थी, हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा और दूसरे लोग भी कहेंगे, सर्वदलीय नाम बड़ा सुन्दर है इसके इतिहास को जो न जानता हो वह यही समझेगा कि इतनी न्यायपूर्ण और न्याय प्रिय सरकार शायद दुनिया में न होगी जो ऐसे अहम मसले पर सारे दलों की कमेटी बनाती है; लेकिन जो उसके निर्माण के इतिहास को जानता है, उसे ज्ञात है कि पांच विरोधी पक्ष के और दस सरकारी पक्ष के लोगों को लेकर एक मिनिएचर असेम्बली बना दी गई। अगर यही करना था तो सर्वदलीय कमेटी का नाम दे कर सर्वदलीय शब्द को क्यों बदनाम किया गया? जो कुछ हुआ वह जाहिर है। खोदा पहाड़, निकली चुहिया। जो उसकी रायें थीं, जिनकी तरफ जनता की आंखें लगी थीं वह रायें ऐसी थीं कि अगर हम असेम्बली में भी बैठ कर करते तब भी उससे भिन्न नतीजा निकलने वाला नहीं था। वह सर्वदलीय समिति जिसका संगठन इस प्रकार हुआ, असफल रही। उसकी जिम्मेदारी किस पर है, इस वादविवाद में मैं नहीं जाना चाहता, भले ही माल मंत्री या सरकार या विरोधी दल के किन्ही लोगों पर हो। लेकिन जहां तक जनता का सवाल है उसने जो आशा लगायी थी उस पर पाला पड़ गया। वह अपने जख्म के लिये मरहम चाहती है लेकिन सरकार ज्यों-ज्यों दवा का बहाना करती है त्यों त्यों मर्ज बढ़ता जा रहा है।

मैं अधिक समय ले कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। हवाई जहाज से आप नहीं देख सकते, जहां तक सूखे की स्थिति का सम्बन्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां गन्ने की फसलें तथा और नकदी फसलें पैदा होती हैं वहां के लिये वह सीजन सब से अच्छा समझा जाता है। लेकिन आज की स्थिति में आप अगर अच्छे से अच्छे काश्तकारों के घरों में जो अनाज की ढेरियां रहा करती थीं, उनको देखें तो आपको मालूम होगा कि महीने, १५ दिन से अधिक का खाने का ठिकाना नहीं है। अगर हम इन चीजों को कहते हैं तो कुछ भाई समझते हैं कि अतिरंजन करते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गेंदा सिंह जी का जो निवेदन कई बार इस सदन के सामने आ चुका है कि आप एक सर्वदलीय समिति उस तरह की नहीं जैसी अभी बनी थी, बल्कि जिन जिलों में बाढ़ और सूखे की स्थिति नहीं है, उन जिलों के लोगों की एक समिति यहां से बनायी जाय और उन्हें मौका दिया जाय कि वे जाकर कुछ खित्तों में, इंटेंसिव इंसपेक्शन करें। उसके बाद अगर उनकी समझ में आवे कि हम जो कह रहे हैं वह सही है तो उनके सुझावों पर सरकार ध्यान दे। पूर्वी जिलों के जो सदस्य विरोधी पक्षों में हैं सब ने यह मांग की है कि अगर हमारी समस्याएं आप समझते हैं जो इतनी गहरी नहीं हैं तो क्यों नहीं उनके समाधान के लिये एक जांच कमीशन नियुक्त करते हैं? अभी अशोक मेहता कमेटी आयी थी, उसके रिफरेंस से, जो उसने उस इलाके के लिये दिया है, यह साफ जाहिर होता है कि वहां की हालत नाजुक है और उसको संभालने के लिये अगर तुरन्त कदम न उठाये गये तो जो आप गलत समझ रहे हैं वह सच हो जायगा और लोगों की तड़पती हुई लाशें आपको नजर आयेंगी।

इसके अलावा एक बात और सरकार से कहना चाहता हूं कि वह कुछ योजना स्थायी रूप से निकाले। इसके सम्बन्ध में सुझाव कहीं दूर खोजने के लिये नहीं है। जो नदियों

[श्री मदन पांडेय]

का जाल हमारे यहां बिछा हुआ है, उनके बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था उतनी पूर्ण नहीं हो पायी है जिससे जो पानी हमें नुकसान पहुंचाता है उससे हम बच सकें। क्यों नहीं आप एक्सपर्ट कमेटी बैठाकर जांच करवायें, सर्वे करायें और बाढ़ नियंत्रण के स्थायी उपाय निकालें जिससे यह समस्या सदा के लिये खत्म हो? रिजरवायर बनायें, उससे बिजली की समस्या हल होगी, बाढ़ से भी बचेंगे, सूखे से भी बचेंगे और बिजली मिलने से औद्योगीकरण भी होगा जिसके कारण हमारी समस्यायें स्थायी रूप से हल हो सकेंगी।

श्री उपाध्यक्ष--१२ मिनट हो गये हैं और आशा की जाती थी कि आप लोग कम से कम समय लेंगे ।

श्री मदन पांडेय--मैं इन शब्दों के साथ मंत्री जी से आशा करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर ध्यान देंगे। बाढ़ और सूखे की समस्या का हल नदियों के इफेक्टिव फ्लड की कंट्रोल की स्कीम में ही है और उसी से वहां का औद्योगीकरण होगा, जिससे बेकारी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गौरीशंकर राय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कामरोको प्रस्ताव आया है अपनी जगह इसका एक महत्व है। पर जब हम पूर्वी जिलों की समस्या को देखते हैं तो उस समय एक बड़ा भारी प्रश्न सामने यह पैदा होता है कि क्या केवल इस तरह के कामरोको प्रस्ताव या इस तरह से लोगों की भावनाओं को जागृत करके और उनकी तकलीफों को बार बार खोदने से ही कोई काम चल सकेगा? यह एक बड़ा भारी प्रश्न पैदा होता है। असल में यह प्राकृतिक कैलेमिटी है जिसका मुकाबिला करना है और मुकाबिला करने के वक्त मेरी समझ में ज्यादा जरूरी जो बात थी वह यह थी कि सभी दल के लोग गांवों में जा के जिन साधनों से इसका मुकाबिला हो सकता था उस पर जुट पड़ते और उस पर जुट कर के लोगों को भरोसा दिलाते और उनमें इन विपत्तियों से लड़ने का माद्दा पैदा करते। उसके बजाय केवल सरकार को कोसने से, सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया इससे कोई काम चलता नहीं है। यह ठीक है, सरकार अपने साधनों के बीच, अपने साधनों के साथ जितना इस समस्या का मुकाबिला हो सकता है मेरी समझ से वह उसे पूरे तौर से जागरुक होकर कर रही है। पिछली बार जब प्राकृतिक कारणों से गल्ला नहीं पैदा हुआ तो जाहिर है कि गल्ला दूसरी जगहों से मंगा के देना है और उस पर सरकार ने पूर्वी जिलों के भीतर बहुत सारी सस्ते गल्ले की दूकानें प्रति दो पंचायती अदालत के ऊपर खोल रखी हैं।

अभी पिछले दिनों जब हमारे फूड मंत्री साहब इन पूर्वी जिलों का दौरा कर रहे थे तो वह हमारे जिले में भी गये थे और मुझे याद है उन्होंने साफ साफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह कहा कि तुम जितनी दुकानें और खोलना चाहो उतनी खोलो। लोगों की जरूरियात के लिये जितनी भी तुम ठीक समझो उतनी दुकानें खोलो। उन्होंने यह भी कहा कि परचेजिंग पावर लोगों कि अगर घट गई हो तो उसके लिये टेस्ट वर्क्स दो और टेस्ट वर्क्स के जरिये उन चीजों को करो। किसी आदमी को भूख से मरने मत दो। अपनी जगह गवर्नमेन्ट ने यह भी कहा कि जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां लोगों को कच्चे कुयें बनाने के लिये जो अराजी तौर पर फौरन से फौरन काम हो सके? उसके लिये उन्हें पैसे दिये जायं, यह भी व्यवस्था की गई। ट्यूबवेल्स जितने हैं वह सब के सब इस मौसम में बोवाई के लिये भी और जड़हन वगैरह को बचाने के लिये भी? जहां तक उनका पानी पहुंच सकता था उनके द्वारा वह पहुंचाया गया। मैं उधर के बैठने वाले लोगों से खास तौर से यह अनुरोध करूंगा कि इन साधनों से यह सब व्यवस्था की गई।

इस समय समस्या यह है कि जो जमीन बोयी नहीं जा सकी, अब जो सूख गई उसका तो कोई इलाज नहीं है, अकेले हमारे जिले में एक एक रेलवे स्टेशन से पांच पांच लाख मन

चावल इस देश के भीतर ही बाहर के स्टेशनों को जाया करता था। यह दुर्भाग्य का विषय है कि वे इलाके सूख गये, उनमें पैदावार जितनी होनी चाहिये थी नहीं हुई। वह एक नेशनल लास हुआ और यह जो नेशनल लास हुआ वह उन कारणों से हुआ कि जो हमारे वश के नहीं हैं। तो उन्हें हमें भोगना ही पड़ेगा और उनका मुकाबिला करना पड़ेगा। हमें किसी तरह अपने आदमियों का मारल गिरने नहीं देना है। हम सभी लोगों को मिलकर के उसे करना है। आज जो लगभग ९० फीसदी जमीन रबी की बोयी जाने वाली थी वह बोयी गई लेकिन गौरीशंकर राय जी का यह कहना बिलकुल सही है कि यह खतरा है, कुछ जगहों में जरमिनेशन दिक्कत हो सकती है। अगर पूरा उनको पानी नहीं मिल सका तो यह परेशानी हो सकती है। बदकिस्मती से दिसम्बर के महीने में बारिश जरा देर से हो रही है और मुमकिन है न भी हो। इस सिलसिले में सिंचाई मंत्री महोदय पैदावार को बढ़ाने के लिये यह मदद कर सकते हैं कि वे ट्यूबवल को खोल कर सिंचाई रेट में कुछ छूट दे दें। सिंचाई मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने छूट देने की आज्ञा भी दे दी है। बड़ी खुशी की बात है।

दूसरे, तालाबों के पानी बहुत जगहों पर बोने के सिलसिले में सूख गये हैं, लेकिन इन सब परेशानियों के होते हुये भी हमें जो फौरन का मुकाबिला करना है उसके लिये इस वक्त टेस्ट वर्क्स खोलने की आवश्यकता है ताकि लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़े और मुझे आशा है कि जिस तरह से माननीय खाद्य मंत्री ने मेरे जिले में सस्ते गल्ले की दूकान खोलनें की आज्ञा दे दी है उसी तरह से और जिलों में भी ऐसी आज्ञा दे दी होगी।

एक साहब अभी कह रह थे कि साहब, हम प्रोसेशन निकालते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं; लेकिन मेरी राय में इस तरह भूख उभाड़ने से कोई काम नहीं चलता। भूख को दबानेका काम करना है। आपके पैर में दर्द है और जब उसकी दवा हो रही हो तो दर्द वाले स्थान को बिला वजह छूने से कोई लाभ नहीं होने का। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस समस्या को नेशनल तरीके पर गवर्नमेंट के साथ उसके साधनों के द्वारा हल किया जाना चाहिये।

एक दो शिकायतें जो इस सिलसिले में हैं उनको भी हमको दूर करना है, हालांकि इस समय तो उनका दूर होना कुछ मुश्किल मालूम पड़ता है। बुवाई का मसला है। हमनें देखा कि बुवाई के लिये समय से बीज नहीं पहुंच पाता है। मेरा तो अनुभव है कि बीज भेजने वाले डिपार्टमेंट ने कभी भी बीज समय से भेजा ही नहीं। बदकिस्मती से उनको आदत ही कुछ ऐसी पड़ गई है। इस ओर उनका ध्यान जाना चाहिये।

बिजली की भी दिक्कतें अपनी जगहें पर हैं। जो वोल्टेज ट्यूबवेल्स को मिलना चाहिय वह वोल्टेज नहीं मिलता है। डर होता है कि कम वोल्टेज की वजह से ट्यूबवेल्स के इंजिन फेल न हो जायं इसलिये ४-६ घंटे बाद ट्यूबवेल्स को रैस्ट दिया जाता है। जितना गवर्नमेन्ट इस सम्बन्ध में कर सकती है उतना वह करे और जितना लोगों के मारल्स बढ़ाने के लिये हम लोगों को करना है उतना हम लोगों को करना चाहिये और इस तरीके पर जो यह विपत्ति आने वाली है उसका मुकाबिला करें। मैंने देखा है कि जिन गांवों में किसान कुछ कर रहा है वहां की फसल बहुत खराब नहीं है और फसल ऐसी है कि वह इस समस्या का निराकरण बहुत हद तक कर सकेगी और मुझे उम्मीद है कि वहां कोई आदमी भूखों नहीं मरेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गौरी शंकर जी के कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आज पूर्वी जिलों के रहने वालों की---जो सवा २ करोड़ के करीब हैं---ऐसी स्थिति हो गई है और आखिरी जो सूखा आया उसने बिल्कुल ही हमारी कमर तोड़ दी। इधर लगातार ५-७ वर्षों से बाढ़ें आयीं, अकाल की स्थिति आयी और हमारे यहां इतनी बेकारी फैली और प्रदेश की सरकार की नीति पूर्वी जिलों क प्रति इतनी उपेक्षापूर्ण सी रही कि हम बिलकुल बैठ गये।

[श्री उग्रसेन]

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें मालूम है कि गत साल दो साल के अन्दर पूर्वी जिलों में सौ से अधिक मामले भुखमरी के हुए हैं—जौनपुर में, आजमगढ़ में, बलिया में, गोरखपुर और देवरिया में भुखमरी हुई है। श्रीमन्, मैं तो इस सूखा की स्थिति की पहली पृष्ठभूमि पर बात करना चाहता हूं कि जब हमारे सदस्यों ने यहां सवाल उठाया कि हम भूख से मर रहे हैं तो माल मंत्री जी का एक भाषण हुआ कि बच्चे के सामने बाप कैसे मर जायगा। मेरे यहां अब भी गत ७ नवम्बर, को एक ग्राम गुमटही है वहां के टेंगरी हरिजन की भूख से मृत्यु हुई और १४ नवम्बर को उसका लड़का हरिशरण मर गया, लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि मर कैसे सकता है? मुझे खुशी है कि इस दयनीय स्थिति को देखने के लिए हमारे मंत्रियों ने हवाई दौरे किये। केन्द्र की जो कमेटी आयी थी, उसने तो स्पुटनिक दौरे किये, उनका दौरा तो बिलकुल स्पुटनिक रहा।

मैं आजमगढ़ पत्रकार सम्मेलन में गया था, वहां मुझे जिलाधीश से मालूम हुआ कि एक केन्द्रीय जांच कमीशन आया था और एक दो घंटे स्थानीय अधिकारियों से बात कर के चलता बना। मैं यहां यह नहीं कहना चाहता कि उस कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी और प्रदेश के माननीय मंत्रियों ने क्या रिपोर्ट दी, मगर यह जो सूखा पड़ा हुआ है, जिसने हमारी कमर तोड़ दी है, उसके लिए सरकार के किसी भी मंत्री ने और सरकारी अफसरों ने जो जिले-जिले में मौजूद हैं, वहां के जिलाधीशों ने हमारी कोई तत्कालीन सहायता नहीं की। माननीय उदयशंकर जी ने बताया कि सिंचाई के साधन बहुत उपलब्ध हैं। मैं दौरे के सिलसिले में बस्ती गया हुआ था। वहां पर सिंचाई विभाग के सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, श्री बैजनाथ मिश्र, से डाक बंगले में घंटों बातें हुईं। वहां यह है कि सरकारी ट्यूबवेल खराब है, माननीय मिनिस्टर के ब्लाक का ट्यूबवेल खराब है। मैंने खुद देखा, वही रास्ता था, वहां की हालत यह है कि ट्यूबवेल चलता नहीं है। माननीय मंत्री जी सदन को यह बताने की कृपा करें कि क्या उनके सिंचाई विभाग से जो नालियां गत साल बनी थीं उनको एक इंच भी आगे बढ़ाने का आदेश हुआ है। पानी बहता जाता है। साल साल भर सलेमपुर (देवरिया) के १३ ट्यूबवेल एक वक्त ही खराब हो गये। किसानों ने कहा कि फाटका करेंगे, यानी ढेले को पीटेंगे और पानी से सींच कर उसमें खेती बोयेंगे। मेरे सामने की बात है, जिलाधीश के सामने बात लायी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कहा जाता है कि रिहैंड डैम की बिजली नहीं है, सलेमपुर का पावर हाउस ठीक नहीं है। जांच कमीशन, सर्वदलीय समिति, अशोक मेहता साहब की कमेटी, किसी ने भी मरहम नहीं लगाया। मैं किसी कमेटी की बात नहीं करता, मैं तो पूर्वी जिलों की बात करता हूं कि हम भूखों मर रहे हैं, आप हमको भूखों मरने से बचाइए। सर्वदलीय जांच कमीशन और कमेटी इत्यादि में कितना रुपया आपने बरबाद किया, लेकिन सूखा के क्षेत्र में क्या हुआ? दोनों के आंकड़े सामने रख कर विचार कर लिया जाय, तो वहां के लिए जो किया गया वह मुकाबले में कुछ भी नहीं आयेगा।

अभी माननीय उदयशंकर ने बताया कि यह तो प्राकृतिक दोष है, बादल पानी नहीं बरसाते हैं। बड़ी मुश्किल है भाई! मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूं। जब अच्छी फसल हो जाती है, गेहूं और धान ज्यादा हो जाता है, बादल ठीक से बरसे, घाम समय से आया तो सरकार कहती है कि हमने यह उपज बढ़ायी और "अधिक अन्न उपजाओ" योजना में उसको ले लिया जाता है। मगर जब कभी बादल नहीं आया, घाम नहीं हुआ और फसल खराब हुई तो कहा कि हमारा दोष नहीं है, उस बादल का दोष है। मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज से ४ साल पहले की एक घटना है। हमारे नेता माननीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने आसमान को देख कर कहा था और लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि उन्होंने बतलाया था कि आगे सूखा आयेगा। जब उन्होंने यह बात कही थी तो उस समय, श्रीमन्, अखबारों में उनका मजाक उड़ाया गया था और हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने कहा था कि दो तीन वर्षों में हमारा देश आत्म निर्भर होगा, लेकिन

आप लोगों को मालूम है कि क्या हुआ। अन्न के मामले में हमारे पूर्वी प्रदेश में, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि में सूखा पड़ा और आखिर में लोगों को मानना पड़ा कि उनकी बात ठीक निकली। लेकिन नतीजा क्या निकला? सच बात कहने वाले डाक्टर राम मनोहर जी लोहिया आज सींकचों के अन्दर बन्द हैं और मैजिस्ट्रेट द्वारा घसीट कर लाये जाते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—हर विषय पर गिरफ्तारी की बात आना ठीक नहीं है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, जिस शख्स की बात गलत हुई वह आज हिन्दुस्तान की हुकूमत करता है। मैं दो तीन आंकड़े सदन के सामने देना चाहता हूं। हमारी क्या हालत है, इस संबंध में अशोक मेहता की रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूं। १९३९ में हमारे यहां जोत ७६·७ थी जो १९४१ में ५४·८ ही रह गई और १९५२ में ५०·१ ही रह गई। हमारे यहां प्रति व्यक्ति खेती खसकती चली जा रही है। हम बिल्कुल सर्वाहारी होते जा रहे हैं और हमारी प्रदेशीय सरकार की आंख नहीं खुलती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी इसके लिये सरकार ने कुछ किया कि इसके लिये ठोस सुझाव आयें।

मैं, श्रीमन्, यह भी कहना चाहता हूं कि टेस्ट वर्क क्यों नहीं चलाये जाते हैं। जिलाधीश कहते हैं कि हमें मजदूर नहीं मिलते हैं लेकिन हम आपको मजदूर देते हैं तो फिर आप टस्ट वर्क क्यों नहीं चालू करते हैं? मंत्री जी जब जायें तो हमें बतलायें हम उनको मजदूर देने के लिये तैयार हैं और वह टेस्ट वर्क चालू करायें। हमारे पास पैसा नहीं है। हमारी हालत अत्यंत शोचनीय है। हम दुकानों को लेकर क्या करेंगे जब कि हमारे पास पैसा ही नहीं है? आज हमारे लोटा थाली तक नीलाम हो गये हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है।

जहां तक बच्चों की फीस माफ होने का सवाल है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि दिसम्बर और जनवरी में तो कोई फसल नहीं आती है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इंसानियत के नाते जून तक तो कम से कम फीस माफ रखी जाय। आज हमारे यहां मजदूर बेकार हैं। आपने कानपुर और गाजियाबाद वगैरह में तो कारखाने खोले हैं और वहां के मजदूरों तक की हालत खराब है। हमारे यहां आपने क्या किया है? हमारे यहां बेकारी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई है। हमारी खेती भी दिनोंदिन घटती चली जा रही है। उसके लिये इंतजाम सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। हमारी हालत बहुत अबतर है और इंसानियत के नाम पर हमारी हालत पर रहम किया जाय। हम कमीशन नहीं चाहते हैं, हम कोई कमेटी नहीं चाहते हैं, हम तो भूखे हैं, अनाज के चंद दाने चाहते हैं।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो काम-रोको प्रस्ताव हमारे साथी गौरीशंकर राय जी ने रखा है उसमें सचमुच तत्त्व है। हमारे पूर्वी जिलों की दशा पिछले कई सालों से बड़ी खराब है। बाढ़ से तथा सूखा से हमारे पूर्वी जिले के किसानों की कमर टूट गई है। उनकी हालत आज कल चिन्ताजनक है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी है कि हमें यह देखना है कि सरकार उधर से मुंह मोड़े हुये है या उसने कुछ ध्यान इधर दिया है। आप पिछले इतिहास को उठाकर देखें कि पूर्वी जिलों में पिछले दिनों में जब कि हमारी सरकार नहीं थी तो १९४७ से पहले वहां कितनी नहरें थीं, कितने ट्यूबवेल्स थे तथा सिंचाई के क्या साधन थे। जब से हमारी सरकार हुई तो देखना यह है कि उसने पूर्वी जिलों के लिये क्या किया। यह बात देखने की है और मुकाबला करने की है।

श्रीमन्, हमारे यहां खाद्य समस्या बड़ी जटिल है और इसको हल करने के लिये क्या उपाय सरकार कर रही है, इसको हमें देखना चाहिये। यह बात दूसरी है कि आप

[श्री धनुषधारी पांडेय]

सरकार का ही दोष देखें और कोई बात देखें ही नहीं। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये ट्यूबवेल बनाये हैं, नहरें बनाई हैं। अभी हमारे एक साथी ने भाषण किया, उनकी दो-तीन बातें मुझे याद हैं कि आजमगढ़ में जब नहर बन रही थी और गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में नहर बन रही थी तो हमारे साथी श्री मदन पांडेय जो कि अभी भाषण कर चुके हैं, उनकी बातों को जब मैं याद करता हूं तो मुझे यह बात याद आती है कि माननीय शिवबनलाल सक्सेना ने यह वादा किया था कि जो नारायणी कैनाल बन रही है मैं उसको बन्द करा दूंगा और इसके ऊपर उन्होंने वोट लिया। जब वहां भुखमरी है कई सालों से और उसको हल करने के लिये यह मानी हुई चीज है कि पानी का साधन होना चाहिये, अच्छा बीज होना चाहिये, अच्छी खाद होनी चाहिये, तो उस तरफ़ जब सरकार ध्यान देती है तो उसके लिये आन्दोलन करते हैं और रोकना चाहते हैं।

श्री मदन पांडेय---श्रीमन्, यह मिस स्टेटमेंट आफ़ फ़ैक्ट्स है। कभी श्री शिवबनलाल सक्सेना की तरफ़ से यह वायदा नहीं किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसी बातें कहने से आप गुरेज़ करें क्योंकि इसका कोई सबूत तो मिल नहीं सकता है।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---प्वांइट आफ़ आर्डर, सर। श्रीमन्, जब श्री शिवबनलाल सक्सेना इस सदन में नहीं मौजूद हैं तो उनके बारे में इस तरह की बातें कहना अनुचित है क्योंकि वे यहां पर जवाब तो नहीं द सकत।

श्री उपाध्यक्ष---जवाब तो श्री मदन पांडेय के ज़रिये से दे दिया गया है। लेकिन यह कौनसा प्वांइट आफ़ आर्डर है ?

श्री धनुषधारी पांडेय---श्रीमन्, मैंने जो महाराजगंज की नारायणी कैनाल के बारे में कहा तो केवल सक्सेना जी से ही मेरा मतलब नहीं था या उनके साथी मदन पांडेय जी ही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने ऐसा किया।

श्री उपाध्यक्ष---उस विषय पर आप न बोलें। आप आगे बात करें।

श्री धनुषधारी पांडेय---मैं यह कह रहा था कि जो यह कहा गया कि सरकार कुछ नहीं कह रही है, तो जो नहर वहां पर बन रही थी उसको रोकने के लिये प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ मुझे यह भी याद है कि दोहरीघाट में जब पम्प कैनाल बन रही थी उसको भी रोकने का हमारे साथियों ने प्रयत्न किया। साथ ही साथ जब देवरिया और उसके निकट के समस्त जिलों में भुखमरी आदि की बात कही जाती है तो उसके हल करने के लिये जब सरकार कदम उठाती है तो आप आन्दोलन करते हैं कि नहर न बनायी जाय, ट्यूबवैल के लिये गूल न खोदी जाय, गांव को बाढ़ से बचाने के लिये बांध बनाया जाता है तो कहा जाता है कि जमीन ली जाती है। तो एक तरफ़ से आप भुखमरी कहते हैं और दूसरी तरफ़ जब उसको दूर करने की कोशिश की जाती है तो आप प्रदर्शन करते हैं। ये दोनों बातें समझ में नहीं आतीं। आखिर आकाश से तो पैसा गिरेगा नहीं। पचासों ट्यूबवैल देवरिया में बने और सैकड़ों गोरखपुर और बस्ती में बने। बड़ी-बड़ी ? नहरें आजमगढ़ जिले में बनीं। यह सब काम क्या खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये कम था। साथ ही मुझे यह भी मालूम है कि माननीय सिंचाई मंत्री के सामने कई बार इस हाउस में यह प्रश्न आया था कि बस्ती और देवरिया जिले में गांवों के बीच काम नहीं हो रहा है। माननीय गेंदासिंह जी ने कई बार कहा कि जब गांवों के बीच में काम होगा तभी पैसा आयेगा। तो आप उसको तो करना नहीं चाहते, केवल सरकार के ऊपर दोष मढ़ करके अपनी पार्टी को कामयाब बनाना चाहते हैं। इस तरह पार्टियां कामयाब नहीं होती हैं। किसानों की बेहतरी के लिये जो सचमुच काम हो सकते हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिये।

हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा और सरकार का भी ध्यान दिलाऊंगा कि सरकार ने पूर्वी जिलों के लिये, जो सचमुच खेती से ही चलते हैं और हर साल बाढ़ और सूखा से तबाह रहते हैं, काफी कार्य नहीं किया है। उनकी सब से बड़ी समस्या रोटी और कपड़े की है जो छोटे-मोटे उद्योगों से ही हल हो सकती है। बड़े उद्योगों से काम नहीं चलेगा। तकावी या टेस्ट वर्क्स को भी मैं विशेष रूप से प्रोत्साहन नहीं देना चाहता। हमारे उन जिलों को तो आप ऐसे उद्योग दें कि जिनको हम अपने घर पर बैठ कर ही चला सकें और अपने लिये कुछ पैसा पैदा कर सकें। जापान आदि देशों में हर व्यक्ति के पास खेती आदि के साथ लघु उद्योग भी हैं और उनका माल बाजारों में जाता है, उससे वह पैसा पैदा करते हैं। पूर्वी जिलों में फी आदमी आधा एकड़ से भी कम जमीन पड़ती है। तो इन सारी हालतों को देखते हुए मजबूर हो कर कहना पड़ता है कि पूर्वी जिलों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है और जब तक सरकार का ध्यान वहां छोटे उद्योग खोलने की तरफ नहीं जायगा तब तक वहां की उन्नति नहीं हो सकती है, क्योंकि केवल खेती के साधन बढ़ा कर ही हम उन जिलों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आप की यह बात काफी साफ हो गई। समय कम है इसका आपको ध्यान रखना चाहिये।

श्री धनुषधारी पांडेय—मैं यही कहूंगा कि यदि हम उस क्षेत्र के लोगों को केवल खेती के साधन बढ़ा कर, अधिक से अधिक तकावी बांट कर अथवा टेस्ट वर्क खोल कर ही उन्नति करते देखना चाहते हैं, उनका संकट टालना चाहते हैं, तो इसमें हम सफल नहीं हो पायेंगे। अधिक तकावी बांटने को तो मैं यही कहूंगा कि हम उनको ज्यादा कर्जदार बना देंगे। कुवें खुदाने, ट्यूब-वेल बनाने आदि से ही उनका संकट नहीं टल सकता। मैं तो यही कहूंगा कि छोटे-मोटे उद्योग हम को दिये जायं, जैसे अम्बर चर्खा है। अगर ऐसे उद्योग आप हमें देते हैं तो हम प्रति दिन एक, दो, ढाई रुपया कमा सकते हैं। आप किसी तरह से हमारी क्रय शक्ति बढ़ाने की बात करें।

दूसरी बात यह है कि दो अदालती पंचायतों को मिला कर आपने एक सस्ते गल्ले की दूकान दी है। यह जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम है। कहीं-कहीं २०,००० की जनसंख्या पर एक दूकान पड़ती है। एक दूकान पर ३० मन प्रति दिन की बिक्री होती है; इस तरह से इतनी बड़ी जन संख्या पर यह ३० मन की बिक्री क्या है? इसे आप, श्रीमन, स्वयं सोच सकते हैं। वहां सूखा भी पड़ा और बाढ़ भी आई। कुछ एरिया ऐसा है कि जहां सिंचाई के साधन भी नहीं हैं। किसानों ने बोवाई तो किसी प्रकार तालाब और पोखर से कर ली, लेकिन सिंचाई के साधन न होने के कारण फसल उनको नहीं मिल पाती। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप वहां सिंचाई के साधन भी बढ़ायें और हमारे भविष्य के संकट को टालें ताकि हम अपने जीवन की रक्षा का उपाय स्वयं कर सकें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के इस कामरोको प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं बड़ी देर से उस ओर के लोगों के भाषण सुन रहा था और मेरे मन पर उसकी एक ही प्रतिक्रिया हुई कि यह सरमन्स तो हम बहुत सुन चुके हैं, प्रश्न यह है कि हो क्या। यह कह देना बड़ा आसान है कि यह होना चाहिये, वह होना चहिये, परन्तु हुआ कुछ नहीं। और, श्रीमन, सब से बड़ी आश्चर्य की बात मैंने जो सुनी उस तरफ से वह यह कि बिजली का उत्पादन मानसिक शक्ति से हम लोंगो को बढ़ाना चाहिये। आज तक तो, श्रीमन, मैं समझता था कि बिजली का जेनरेशन डाइनमों द्वारा ही हुआ करता है और साधारण साइन्स के ज्ञान से हम लोग ऐसा ही समझते हैं, परन्तु आज इस सरमन में मैंने उधर से यह सुना। तो हम लोग तो इस प्रकार बिजली जेनरेट करने की अपने से आशा नहीं रखते, यदि उधर के लोग ट्यूबवेल आदि के लिये इस प्रकार की बिजली जेनरेट कर उनको चला दें तो मैं उनका बड़ा आभारी होऊंगा।

श्रीमन, यह जो सूखा के कारण समस्या खड़ी हुई इसके खड़े होने का श्रेय सरकार के तीन विभागों की असफलता के ऊपर ज्यादातर है।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

एक तो सिंचाई, दूसरे, समय से बीज न मिलना और तीसरे, खाद्य विभाग के ऊपर । श्रीमन, सूखा काल में यह बड़ा आवश्यक होता है कि कम से कम सिंचाई के साधन प्राप्त हों और समय से प्राप्त हों ।

यह कहा गया कि हमने इतने ट्यूबवेल बनाये और गिनाये लेकिन गिनाने से काम नहीं चलेगा । यह तो, श्रीमन, उसी प्रकार से है जैसे किसी बारात में एक सज्जन ने गिनाया कि इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं और इतनी सवारी हैं, लेकिन किसी बाराती को सवारी नहीं मिली । श्रीमन्, मैं उदाहरण देता हूं कि जौनपुर में कचगांव में एक ट्यूबवेल बना और वह बन कर तो खड़ा हो गया, लेकिन जब वहां पर सूखा पड़ा तो लोगों ने मांग की लेकिन १५ नवम्बर तक वहां पर बिजली नहीं आ सकी । दूसरा उदाहरण वहां पर हौजगांव का है जहां पर गूल तो बना कर तैयार कर दी गई लेकिन पानी नहीं पहुंचा । नहीं मालूम किन इंजीनियर साहब ने उसका सर्वे कराया कि उस गांव का जमीन का लेविल ९ फुट ऊंचा है । गूल तो वहां तक गई है लेकिन वह सब सूखी पड़ी है । श्रीमन्, जौनपुर में १२६ ट्यूबवेल बने हैं, लेकिन ६ अक्तूबर तक केवल २४ ट्यूबवेल चल पाये हैं । मैंने कहा कि भाई अब तो ६ अक्तूबर आगया है क्यों नहीं सारे ट्यूबवेल चलाते जब कि वहां पर इतना सूखा पड़ा है । इतना सूखा पड़ने के बावजूद भी उन लोगों ने यह उत्तर दिया कि उनका यह स्लैक सीजन होता है तो इस सीजन में वह अपने आपरेटर्स को हटा देते हैं । अब उनको वह बुलाने की बात सोच रहे हैं । उनके यहां यह रूल है कि बरसात में उनको हटा दिया जाता है । क्या इस प्रकार के समय के लिये यह रूल चल सकते हैं ? जो मनुष्य की कल्पना में कभी नहीं आ सकता है कि अगर सूखा पड़ता है तो उसके लिये क्या होगा ? यह जो, श्रीमन्, असफलता हुई है वह इन रूल्स के कारण हुई है जिनके ऊपर कभी विचार नहीं किया गया कि यदि सूखा पड़ जाय या कोई विशेष आपत्ति आ गई तो हम क्या करेंगे । वहां पर सूखा पड़ा और पानी नहीं मिला । उसका परिणाम यह हुआ कि जो पैदावार होनी चाहिये वह नहीं हुई, जमीन के अन्दर जो म्वायस्चर रहता है वह नहीं रहा । तो जो बीज बोया गया उसमें बिनकी लग गई जिससे वह पैदा नहीं हो सका । अगहनी धान में अगर कीड़ा लग जाय तो आप समझ सकते हैं कि क्या पैदा होगा । हमारे मित्र उधर से कहते हैं कि ९० फीसदी बोआई हो गई, किन्तु जब यह दशा है जैसा कि मैंने बतलाया तो आप समझ सकते हैं कि उस अन्न से उनको कितना अन्न प्राप्त होगा । जब पैदा ही न हो तो उस बोआई से क्या फायदा है ? इस सूखे के कारण यह विशेष हानि हो रही है ।

श्रीमन्, हमने सूचना विभाग के एक परिपत्र को देखा । उस परिपत्र में यह लिखा हुआ था कि अगहनी धान रुपया में १० आना नष्ट हो गया । पूर्वी जिले ज्यादातर ऐसे हैं जहां पर यही एक फसल होती है । जब सरकार स्वयं यह मानती है और सरकार का सूचना विभाग यह मानता है कि १० आना हानि हुई है तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा नुकसान हुआ होगा । १२, १४ आना फसल नष्ट हुई है । यही फसल उनकी आर्थिक स्थिति की नीव है । अगर यह टूट गई तो फिर उसके पास क्या रह जाता है ? उनकी पर्चेजिंग पावर कम है ही तो इससे और भी उनकी स्थिति खराब हो गयी ।

सरकार बड़े गर्व से कहती है कि हमने सस्ते गल्ले की दुकानें खोल दीं । खोलना चाहिये परन्तु उन दुकानों पर जो आप गल्ला देते हैं उनसे आप गल्ले का टैक्स वसूल करते हैं । आपने रिलीफ शाप्स खोल दी हैं, लेकिन आप उनसे भी सेल्स टैक्स वसूल करते हैं । उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिये । सरकार उनसे आज भी टैक्स वसूल करती है । उधर से बारबार कहा गया । मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक प्रश्न के उत्तर में खाद्य मंत्री ने कहा था कि अगर सदन चाहेगा तो इस टैक्स को हटा सकता है । सरकार के पास बहुमत है और यदि वह समझती है कि रिलीफ शाप्स के गल्ले पर टैक्स न लगे तो क्यों नहीं इसके लिये एक बिल लाया जाता जबकि

इतने संशोधन विधेयक यहां आते रहते हैं ? दुकानें खोली गईं दो पंचायती अदालतों के एरिया के बीच में एक, लेकिन इनका सरकमफरेन्स ४, ५ मील से कम नहीं होगा । साधारणतया भूखा आदमी इतनी दूर गल्ला लेने जाय और धक्का खाकर वापस चला आवे, तो यह एक समस्या है । आवश्यक तो यह था कि हर एक पंचायती अदालत के केन्द्र पर दूकान होती जिससे २ मील से अधिक न चलना पड़ता । परन्तु सरकार ने दुकानों को पक्की सड़कों को देखकर रखा है जिससे वे कहीं ८ मील और कहीं ६ मील दूर पड़ गई हैं ।

जिस समय बीज की आवश्यकता थी उसे समय से न भेज कर हमारे कृषि मंत्री ने देर से भेजा । जिस एरिया में गेहूं बोया जाता है वहां चना भेजा गया और जहां चना बोया जाता है वहां गेहूं भेजा गया । यह मैं जौनपुर का उदाहरण दे रहा हूं । त्रिपाठी जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर करता हूं । उन्होंने कहा था कि एक उदाहरण से क्या होता है, लेकिन हांडी का एक ही चावल देखा जाता है । आपके बीज भंडार के लोग किसानों से कहते हैं कि यदि तुम एक मन गेहूं चाहते हो तो सवा मन चना ले लो । यह क्या बात है ?

सूखे से तीन समस्याएं खड़ी हुईं । यह मैं नहीं कहता कि सूखा सरकार ने बनाया, वह तो प्रकृति के कारण हुआ । परन्तु उसकी भीषणता कम करने के लिये सरकार ने कदम नहींउठाया । उसकी जिम्मेदारी तीन विभागों के ऊपर है, सिंचाई, खेती और फूड के विभागों पर । ये तीनों ही विभाग इसमें असफल रहे । नहरों को छोड़कर सिंचाई का सबसे बड़ा साधन ट्यूबवेल है । उनके लिये पावर भी नहीं थी, इसलिये पावर विभाग भी फेल्योर हुआ । अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि पावर में बड़ा भीषण फ्लक्चुएशन होता है । यह ठीक है । क्या पावर विभाग का कार्य नहीं है कि इन कम्पनीज से इतना जबर्दस्त फ्लकचुएटिंग वोल्टेज न निर्माण करावें और उसकी गड़बड़ी को रोकें ? क्या इसके लिये कानूनी ताकत पावर विभाग के पास नहीं है ? पावर के रूल्स में है कि अगर किसी कम्पनी के जेनरेशन का फ्लकचुएशन बहुत ज्यादा है between the voltage generated and the voltage delivered तो उस कम्पनी का प्रासीक्यूशन किया जा सकता है । क्या अभी तक इसके लिये किसी कम्पनी का प्रासीक्यूशन इस सरकार के द्वारा हुआ है, जिसका इतना भीषण फ्लक्चुएशन हो रहा हो ?

श्रीमन, इस सूखा की भीषणता और उसकी प्रखरता इस सरकार की इन्कम्पीटेंसी के कारण और ज्यादा बढ़ी हुई है । आज सरकार को इस कठिनाई को मीट करने में जिस सतर्कता से और भविष्य की पूर्ण कल्पना के साथ कोआर्डीनेटेड कदम उठाना चाहिये था, वैसा कदम उठान में वह असफल रही है ।

इस प्रकार की भीषण परिस्थिति को देखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि अवश्य ही विद्यार्थियों की फीस माफ होनी चाहिये, लगान में छूट होनी चाहिये । जो सर्वदलीय कमेटी बनी थी उसकी बैठक बुलाई जानी चाहिये थी । कमेटी ने फीस की माफी के लिये तय किया था । चार महीने के बाद मुश्किल से कलेक्टर जौनपुर ने उसको रिइम्बर्स किया । एक न एक बहाना बना कर टालते रहे । मैंने इसके बारे में टेलीफोन से माननीय माल मंत्री जी को कहा, पत्र लिख कर कहा और व्यक्तिगत रूप से भी कहा । कमेटी में यह तय हुआ था कि विद्यार्थियों की फीस माफ होने का निर्णय प्रिन्सिपल करेगा, लेकिन एक न एक बहाना बना कर उसको टाला गया । फीस की माफी की वजह से स्कूलों के पास आज पैसा भी नहीं रह गया है । मास्टरों की तनख्वाह का प्रश्न उनके सामने था । माननीय खाद्य मंत्री जी जिस वक्त जौनपुर गये थे तो यह समस्या थी ।

आज जो ब्यूरोक्रेसी का अनरेस्पांसिव मूड है उसको कन्ट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं कोआर्डीनेशन द्वारा उससे कार्य लेने की आवश्यकता है । इस प्रकार लगान में छूट होने की आवश्यकता है, लड़कों की फीस माफ होने की आवश्यकता है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश इस राज्य के लिये एक समस्या है । इस सूखे ने एक और विशेष समस्या पैदा कर दी है । मैं माननीय गौरी शंकर राय का आभार मानता हूं कि उन्होंने इस महान् प्रश्न को इस सदन के सामने लाकर उसको ऐसा अवसर दिया कि वस्तु स्थिति पर पूर्ण रूप से प्रकाश पड़ सके तथा सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस समस्या की ओर दिलाया जा सके । और एडजर्नमेंट मोशन्स भी इसलिये ही लाये जाते हैं कि उनके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाया जा सके । इसलिये मैं पुनः इस मोशन के लिये माननीय गौरी शंकर राय जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

श्रीमन्, यह जिले ऐसे हैं जो बहुत दिनों से बहुत गरीब हैं और उनकी अनेक कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों में एक तो यह है कि वहां ४-५ वर्ष से बाढ़ आ रही है तथा इस वर्ष सूखा ने ऐसा कर दिया कि किसी भी प्रशासन के लिये इन सारी समस्याओं का समाधान करना असंभव है। यह एक बड़ा सवाल है। काम करने की भी एक सीमा होती है। हजारों वर्ष से परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। दो चार वर्षों में उनका समाधान होना बहुत ही कठिन है । जैसा कि बताया गया, प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने का प्रयास मनुष्य करता है, उसमें कभी सफल भी होता है और कभी असफल भी। "मैन प्रोपोजेज, गौड डिसपोजेज" मानव ने प्रयत्न अवश्य किये हैं। हमारे पूर्वी जिलों में सरकार ने योजनायें बनायी हैं और फैजाबाद, बनारस और गोरखपुर कमिश्नरियों में योजनाएं बनायीं । वह अभी पूर्ण रूप से संचालित भी नहीं हो पायी थीं कि सूखा का प्रकोप हुआ।

जहां तक बोआई का प्रश्न है, मैं देवरिया जिले की बात कहता हूं कि वहां ४० फीसदी से ज्यादा जमीन नहीं बोयी जा सकी। कारण यह है कि सितम्बर में कोई वर्षा नहीं हुई और वर्षा न होने से जमीन को नमी नहीं मिल सकी। ट्यूबवेल्स भी बहुत से बेकार हैं, कहीं बिजली नहीं है, तो कहीं पर उसकी और कोई व्यवस्था ही नहीं है इसलिये हम खेतों में पानी नहीं दे सके । वहां एक बाढ़ समिति भी बनी थी, वहां सभी दल के लोग मिल कर बैठे और जिलाधीश के सामने सुझाव रखा कि इस समस्या का कोई स्थायी हल निकाला जाय । छूट की बात भी रखी गई थी । बोआई समाप्त हो गई, फिर मुझे पता नहीं चला कि रेट्स कुछ कम हुए या नहीं ।

जहां तक तकावी की बात है, बीज के लिये तकावी १०, १५ या ५ रुपये दी जाती है । १० रुपये में एक किसान अपनी कितनी जमीन बो सकता है ? मेरे ख्याल में आधा या पौन एकड़ से अधिक जमीन वह नहीं बो सकता है । इसको एक व्यापक रूप देकर गांव के गांव को तकावी दी जाती है । न मालूम हमारे समाज की यह कौन सी व्यवस्था है कि ४, ५ वर्ष से सभी गांवों को बीज के लिये तकावी दी जाती है । मैंने कलक्टर को यह सुझाव दिया कि अगर एक किसान को २५, ३०, ४० रुपया की तकावी दी जाय तो उससे वह अपने दो तीन बीघे खेत को कम से कम बो सकता है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि सभापति के कहने के मुताबिक वहां के लोग यह निर्णय नहीं कर पाते कि किसको कितना दिया जाय । सभापति तथा हम सब लोग घबड़ाते हैं कि किसको कहें कि दिया जाय और किसको कहें कि न दिया जाय। सभी गांव के लोग चाहते हैं कि हमको तकावी जरूर मिले। इस साल बीज के आने में देर हो गई तो लोगों को तकावी में रुपया दे दिया गया कि वे बीज खरीद कर अपना खेत बोवें। लोगों ने रुपया तो ले लिया, लेकिन अधिकांश खेत बीज न मिलने की वजह से बिना बोये हुए ही रह गये ।

जहां तक सिंचाई की बात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी बड़ी दिक्कत है । जब मैं पूरब की बात कहता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं और जगह की बात को छोड़कर यह कहता हूं । जहां भी फसल खराब हो, जहां के लोगों को भी आपत्ति का सामना करना पड़ता हो, वहां के लिये ही समस्या का समाधान ढूंढना चाहिये ।

जहां तक टेस्ट वर्क की बात है मैं व्यक्तिगत रूप से टेस्ट वर्क का समर्थक नहीं हूं । मेरे भाई गेंदा सिंह जी कहते हैं कि आखिर तुम टेस्ट वर्क का क्यों विरोध करते हो। जहां तक टेस्ट वर्क, लगान में छूट व तकावी की बात है, मैं समझता हूं कि इससे हम गलत दिशा में बहके जा रहे हैं।

जैसे कहीं आग लगी हो और उस पर दो घड़े पानी डाल दें तो उस वक्त तो आग बुझ जायगी थोड़ी देर के लिये, लेकिन फिर वह आग बढ़ जायगी, वह खत्म नहीं हो सकेगी । इसलिये इसके लिये तो एक स्थायी हल निकालना चाहिये जिससे टेस्ट वर्क में जाने, तकावी लेने और फीस माफी की जरूरत ही नहीं मालूम पड़े । मेरा सुझाव यह है कि इसके लिये स्थायी रूप से एक ऐसी व्यवस्था सोची जाय, जैसे कि रिजनल प्लानिंग हो, जहां कांग्रेस सरकार और कांग्रेस वाले समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, इस काम को आसानी से कर सकते हैं । मैं पूरब का हूं इसलिये मैं पूरब की बात नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि सारे उत्तर प्रदेश की रिजनल प्लानिंग हो, और उसी बेसिस पर हम अपने हर काम को पूरा करने की चेष्टा करें और इस तरह से अपने तमाम धन का उपयोग कर सकेंगे ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो टेस्ट वर्क है या जो अस्थायी सहायता के तरीके हैं उनको बन्द किया जाय और स्थायी रूप से इस समस्या का हल निकाला जाय जिस से वहां की स्थिति स्थायी रूप से सुधर सके । जैसे इंडस्ट्रीयल स्टेट बनाने की बात है, केन्द्रीय सरकार इंडस्ट्रीयल स्टेट बनाने जा रही है । मैं शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह स्टेट जो बने उनमें ३–४ स्टेट डाली जांय, क्योंकि जो यहां का मुख्य पेशा खेती का है केवल उसी से अब काम नहीं चलेगा और अब हमें जो हमारी एक तिहाई सरप्लस आबादी है उसकी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी ही होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप समाप्त करें, आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—श्रीमन्, २ मिनट और दिये जायें....।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, अब बिलकुल नहीं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता था और वह यह है कि पूर्वी जिलों की स्थिति पहाड़ी जिलों से भिन्न है । हम पर्वतीय जिलों का भी जिक्र करना चाहते थे, अभी श्री झारखंडे राय बोलेंगे फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से मंत्री जी बोलेंगे और कुछ दूसरे लोग भी शायद बोलें । मैं इतना अर्ज करना चाहता था कि हमें पर्वतीय जिलों की विशेष स्थिति के बारे में भी कुछ कहने का अवसर दिया जाय तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—आपने अपने नेता को तो बुलवा दिया, आप को खुद अपने प्रस्ताव पर बोलना चाहिये था, अब मैं एक पार्टी के दो सदस्यों को कैसे समय दे सकता हूं ? पांच पार्टियां इधर की हैं और अभी सरकारी पक्ष को भी जवाब देना है । अब यह कठिनाई है वर्ना आप उस समय खड़े होते तो मैं आप को समय दे देता ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—मैं दो चार बार उठा था लेकिन फिर मैंने सोचा कि नेता बोल चुकेंगे तब मेरी बारी आयेगी, अगर पूर्वी जिलों में बाढ़ का सवाल है तो हमारे यहां बहने का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री झारखंडे राय जी, आप कम से कम समय लें तो मैं आप का बहुत अनुगृहीत होऊंगा ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, इस में सन्देह नहीं है कि पूर्वी जिलों की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधान मन्त्री माननीय जवाहर लाल नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे देश के अनेक भागों में सूखे की हालत फैल गयी है और हमारे सामने यह एक राष्ट्रीय संकट है। उन्होंने देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से राजनीति की दलदल से ऊपर उठकर सहयोग की अपील की थी, लेकिन दुख की बात है कि इस प्रदेश की सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। उस का नतीजा यह हुआ कि जो सर्वदलीय कमेटी इस सदन के माननीय मेम्बरान की बनी थी उसकी बैठक भी बार-बार कहने पर माननीय माल मन्त्री ने नहीं बुलायी और उस को जिन्दा ही दफना दिया। माननीय माल

[श्री झारखंडेराय]

मन्त्री जी का यह रुख प्रशंसनीय नहीं है बल्कि अत्यन्त निन्दनीय है। आज जो सूखे की स्थिति पैदा हुई है, इस में सन्देह नहीं है कि यह सरकार का काम नहीं है, यह दैवी प्रकोप है, लेकिन उस को दूर करने के लिए सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था उस में अवश्य कमी हुई, केवल यह शिकायत हमारी है।

ट्यूबवेल विभाग और सिंचाई के जितने साधन हैं और जो कुछ साधन सरकार ने प्रस्तुत किये वे इस सूखे के अवसर पर अब तक खोखले साबित हुए हैं। जब सूखा पड़ रहा था उस से पहले ही आवाज उठनी शुरू हुई कि सिंचाई विभाग को तुरन्त पावर विभाग से तय कर के कोशिश करनी चाहिए कि बिजली के कुएं २४ घंटे चालू रखे जायं। लेकिन कुओं को बिजली नहीं मिली और कुएं बेकार रहे और नतीजा यह हुआ कि जो फसल कुओं से बचायी जा सकती थी, वह नहीं बचायी जा सकी। यही हमारा आरोप है। जो रबी की बुआई होनी थी वह भी पानी की कमी के कारण पूरी न हो सकी और बहुत से खेत बिना बोये रह गये। मैंने स्वयं इस बात को देखा। अभी ४ तारीख को मैं अपने जिले में एक जगह जा रहा था जब कि वहां किसान अभी ४ तारीख को पानी चला कर खेत बोने के लिए तैयार कर रहे थे। आप स्वयं सोच सकते हैं और सरकार सोच सकती है कि अब उन खेतों में क्या पैदा होगा।

तीन मास की फीस माफी के विषय में कमेटी में फैसला हुआ था लेकिन उसके भी लागू होने में अत्यन्त अड़चनें पैदा हुईं। नतीजा यह हुआ कि अभी तक फीस की माफी सब स्कूलों में लागू नहीं हो सकी है। बहुत से लड़के फीस न देने के कारण स्कूलों को छोड़ने के लिए बाध्य किये जा रहे हैं। बाद में जब फीस माफी का नियम पहुंचेगा और रुपया पहुंचेगा उस समय तक बहुत से लड़के स्कूल छोड़ चुके होंगे।

मन्त्री जी को आंकड़ावाद में बहुत विश्वास है। वे महसूस करते हैं कि उन के नीचे के अधिकारी जो कुछ रिपोर्ट दे देते हैं वह ब्रह्म रेखा है, उस में परिवर्तन नहीं हो सकता। जो विरोधी दल के लोग कहते हैं वह अतिरंजन से भरपूर होता है। अभी जवाहरलाल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ३५ फीसदी का नुकसान पूर्व में हुआ है, लेकिन माननीय अन्न मन्त्री जी जब पूर्वी जिलों के दौरे के बाद लखनऊ आये तो उन्होंने वक्तव्य दिया कि उनका अनुमान ५० फीसदी का है। हम समझ नहीं पाते कि ५० फी सदी या ३५ फी सदी क्या सही मानें। मेरे विचार में सरकार ने अन्दरूनी फैसला कर लिया है कि चीजों की असलियत को छिपाएं। वरना क्या कारण है कि जब पहले ५० फी सदी होने का अनुमान था उस समय नीचे की रिपोर्ट उसके अनुसार तैयार की जा रही थीं? मुझे इस बात की खबर लगी है और मैं चाहूंगा कि माननीय माल मन्त्री जी इस का जवाब दें कि अब जो ३५ फी सदी की बात कही गयी है तो नीचे की रिपोर्टें लेखपाल और दूसरे कर्मचारी इसी प्रकार तैयार कर रहे हैं कि वे दिखाएं कि नुकसान सचमुच ३५ फी सदी के लगभग हुआ है। इस तरह से आंकड़ों के जाल में वास्तविकता को छिपाने का प्रयत्न किया जाता है, जो अत्यन्त निन्दनीय है।

मैंने स्वयं भुखमरी द्वारा एक मौत की जांच की। उसके बारे में सरकार को जो रिपोर्ट दी, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार ने जा कर गलत बयानी ली और उस के आधार पर सरकार को अंधकार में रखा। मैंने स्वयं जा कर जांच की। आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के कपड़िया डीह गांव में एक हरिजन स्त्री भूख से मरी थी। मैंने जांच कर के यह पाया कि सचमुच वह भुखमरी से मरी थी। इसी से हम अनुमान करते हैं कि अन्य माननीय सदस्यों ने जो भुखमरी से मौतों के समाचार पेश किये थे वह सही रहे होंगे या अधिकांशतः सही रहे होंगे। मेरा कहना यह है कि यह माननीय माल मन्त्री और सरकार की हठवादिता है जिसके कारण हमारे रास्ते में सब से अधिक बाधक हैं सरकारी कर्मचारियों की नीचे की रिपोर्टें, जिन पर वह पूर्ण विश्वास करते हैं। उन की यह भावना बदलनी चाहिए अन्यथा हमारा उनका कोई समझौता नहीं हो सकता या समझदारी में एका कभी नहीं हो सकता। आजमगढ़ जिले के

सम्बन्ध में जिलाधीश, आजमगढ़ ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि पांच लाख मन धान जिलों में पैदा होता है, परन्तु इस साल ३॥ लाख की हानि हुई है। लेकिन बाद में जो आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं, मेरा अन्दाज है कि हमारे जिले में भी अब वही चीजें शुरू हो जायंगी।

अन्त में मैं अब कुछ सुझाव आपके सामने देना चाहता हूं कि बिजली की जो प्राइवेट कम्पनियां हैं उनको सरकार अपने हाथ में ले अन्यथा ढाई आने का रेट बनारस में और साढ़े आठ आने का रेट गाजीपुर में, यह बात हमेशा चलती रहेगी और इससे हमारे प्रदेश का नुकसान होता रहेगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार अविलम्ब इन कम्पनियों को अपने हाथ में ले। गाजीपुर में ताड़ीघाट स्टेशन है। वहां गंगाजी पर पक्का पुल बनना चाहिए और वहां से लेकर दोहरीघाट होते हुए गोरखपुर तक बड़ी रेलवे लाइन निकाली जाय, ताकि बिहार प्रदेश से जो कोयला या दूसरा कंक्रीट का सामान पहाड़ी प्रदेश से आता है और बनारस में आकर महीनों पड़ा रहता है, और उससे देर होती है, वह स्थिति समाप्त हो तथा जिस से आसानी से पूर्वी हिस्सों को सामान पहुंच सके। साथ ही साथ में चाहूंगा कि निर्माण के जो कार्य केन्द्रीय सरकार ने रुपये की कमी के कारण रोक देने के लिए विचार प्रकट किया है उस के लिए सरकार विशेष ध्यान दे और इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि रिहन्द बांध या दूसरी बड़ी योजनाएं जो हैं वे पूरी की जायं।

आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि दोहरी घाट पम्प नहर पर १ करोड़ रुपया खर्च हुआ है और अब १४ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण वह योजना ठप्प पड़ी रहेगी। आप सोच सकते हैं कि उस में कितनी जमीन ली गयी और कितना उसका मुआवजा किसानों को दिया गया होगा और फिर भी इस सूखे के जमाने में उसके पक्के हिस्से से एक बूंद पानी भी नहीं मिला . . .

श्री उपाध्यक्ष—जरा समय का ध्यान रखिये।

श्री झारखंडे राय—मैं कच्चे हिस्से से पानी मिलने की बात नहीं करता, लेकिन जो पक्का हिस्सा है, ५ मील तक उस से भी पानी नहीं दिया गया। इन दिनों भी पूर्वी जिलों को देखें, मैं कहना चाहता हूं माल मन्त्री जी से, कि कुल मिला कर ७५ फी सदी से कम का नुकसान इस खरीफ की फसल का नहीं हुआ है। सरकार के आंकड़े गलत हैं। मैं मन्त्री जी से विशेष अनुरोध करूंगा कि आंकड़ों की दुनिया से उठ कर वास्तविकता की दुनिया में रहें और हम लोगों की बातों का भी विश्वास करें और हम सब मिल कर इस बात के लिए सोचें, तब कहीं इसका हल हो सकता है। लेकिन मन्त्री जी ने राजनीति के कारण सर्वदली कमेटी के दौरे की हम लोगों की छोटी सी मांग को भी ठुकरा दिया। यह सर्वथा अनुचित है।

श्री राजनारायण—हमको मौका नहीं मिलेगा? ७ महीने के बाद सदन में बोलने के लिए आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने गेंदासिंह जी को बुला लिया है। माननीय गेंदा सिंह जी, आप ५ मिनट का ही समय लें तो अच्छा है।

***श्री गेंदासिंह**—मैं खुद भी चाहता हूं कि जिन बातों को माननीय सदस्यों ने कह दिया है उन को न दोहराऊं। एक बात जरूर दोहरा देना चाहता हूं कि जो अभी झारखंडे राय जी ने कहा कि ७५ फी सदी का नुकसान हुआ है, और ३५ या ५० फी सदी कहना अन्याय है, खतरे से खाली नहीं है। ७५ फी सदी तक नुकसान भदई की फसल का हुआ है। इस बात का भी ध्यान रहे कि जो फसलों की दुर्दशा हुई है उसमें गन्ने की फसल भी शामिल है। ऐसी हालत में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

७५ फीसदी नुकसान जो है वह हमारी राय नहीं है बल्कि मन्त्री जी के पीछे बैठने वाले उन माननीय सदस्यों की राय है जिन को यहां बोलने का अवसर न मिले, लेकिन उन्होंने अखबारों में अपने को फमिट किया है। मैं समझता हूं कि वह पर्याप्त प्रमाण है। समय की कमी के कारण, तीन, चार प्रश्न ही पूछूंगा जिन का जवाब मन्त्री जी जिस वक्त बोलें दे दें।

एक तो यह, इस पर झगड़ा रहता है कि यहां पर रिलीफ का काम कम होता है और दूसरी जगहों में ज्यादा होता है। तो ऐसा करने में क्या दिक्कत है कि दूसरे प्रदेशों से कुछ रिलीफ के काम का सबक सीख लिया जाय? बिहार से सीख लिया जाय, बंगाल से सीख लिया जाय, मध्य प्रदेश से सीख लिया जाय। उस को अगर देख लिया जाय तो वाकई हमारी यह तकलीफ और कुछ झगड़ा कम हो सकता है। क्या सरकार यह समझती है कि जो कुछ भी रिलीफ का काम वह कर रही है वह पर्याप्त है और उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है? यह झगड़े की जड़ है और यह कभी खत्म नहीं होने में आती।

दूसरा प्रश्न यह है कि जब सरकार को मालूम था कि केन्द्रीय अधिकारी भी पूर्वी जिलों का दौरा करेंगे तो दोनों मंत्रियों ने जो दौरा किया पहले क्यों नहीं किया? अब अगर मैं ऐसा समझूं, जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा भी है, कि सरकार में, और ऊपर की सरकार में कोई ऐसी बात भीतर थी कि नुकसान को कम से कम बताने वाले लोग आ सकें और फिर हम देखेंगे जैसा होगा। तो इस में असत्य क्या है? और जब पंडित जवाहर लाल जी जैसे व्यक्ति भी ३५ फीसदी का नुकसान कहते हैं तो फिर हमारा मामला तो बहुत मजबूत हो जाता है।

अब एक प्रश्न और करूंगा और अगर मन्त्री जी की जानकारी न हो तो उनकी सेवा में एक बात रखना चाहता हूं। माननीय राजस्व मन्त्री जी को माननीय पद्माकर लाल जी ने एक पत्र लिखा कि बरबादी और क्षति ९० फीसदी हुई है और यह भी लिखा था कि गत रबी की फसल में हुई क्षति के ब्योरे के बारे में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। सत्य यही है कि जितना नुकसान हुआ उसका सही-सही इन्दराज सरकारी कागजात में नहीं हुआ जिस के कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। यह विवाद फसल कट जाने के बाद ही खड़ा होता है। खत बहुत बड़ा है इसलिए मैं पूरा खत नहीं पढ़ रहा हूं। इसलिए मैं आप से नम्र निवेदन करूंगा कि अभी फसल खेतों में खड़ी है, इसी समय क्षति का सही हिसाब तथा आंकड़ा तैयार किया जा सकता है।

माननीय राजस्व मन्त्री जी ने यह जवाब दिया "आपने अपने पत्र में इस प्रकार की बातें लिखी हैं, जिन का समुचित उत्तर पत्र द्वारा नहीं दिया जा सकता। आप के जिले में मेरे आने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार तो मुझे प्रत्येक जिले, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक परगना और शायद प्रत्येक गांव में जाना चाहिए जो कि असंभव है। वर्षा न होने के कारण धान की फसल को ही विशेष कर, और अन्य फसलों को क्षति पहुंची है, इसके लिए नियमानुसार मालगुजारी में आवश्यक छूट दी जायगी"।

मैं आप से पूछता हूं कि पत्र से संभव नहीं, मुलाकात आप करना नहीं चाहते, तो यह क्या जरूरी है कि पद्माकर लाल जी आपके घर ही आकर मुलाकात करें और आप का वहां जाकर उनसे मुलाकात करने में अपमान है? आप फिर अपने मालिकों से ही मिलिये और मालूम करिये कि उनकी क्या राय है। ९० प्रतिशत नुकसान है या सचमुच ३० प्रतिशत नुकसान है। इसका जरा आप जवाब देने की कृपा करियेगा।

श्री चरण सिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने यह कब लिखा . . .

श्री उपाध्यक्ष—आपका जब वक्त आयेगा तो, माननीय मन्त्री जी, उत्तर दे दीजियेगा।

श्री गेंदा सिंह—चिट्ठी है, पढ़ लीजियेगा।

एक बात और है। पार्लियामेंट और सारे प्रदेशों में इस सूखे की विपत्ति के लिए सरकार ने समय निकाला। मैं आप से कहता हूं कि पहले दो करोड़, ढाई करोड़ आदमियों पर कभी विपत्ति नहीं आयी थी। हमारे पश्चिमी जिले बरबाद हो गये और पूर्व सूखे से तबाह हुआ, लेकिन सरकार को क्यों नहीं यह बात समझ में आयी? सरकार १५ दिन के सेशन में १ दिन का वक्त इसके लिए नहीं निकाल सकती। वह इस पर विचार करे कि इस मुसीबत में कैसे लोगों का इलाज किया जा सकता है, इसका जवाब माननीय मन्त्री माकूल तरह से दें।

माननीय माल मन्त्री जी ने कहा कि अन्न की बिक्री कम हो गयी है, इसलिए अन्न की कमी नहीं मानी जा सकती। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज लाखों आदमी अपने बच्चों को लेकर, नंगी स्त्रियों को ले कर इस प्रकार जा रहे हैं दूसरे स्थानों पर काम करने के लिए ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। आप सब साहबान से नहीं तो कुछ लोगों से मैं अपील करता हूं कि वे मेरे साथ चलें। चम्पारण और आरा जिले बिहार को देखें और दोनों जगहों को देखने के बाद सरकार अपनी तस्वीर उस आयने में देखे कि उसे क्या दिखायी देता है। अन्त में मैं इतना कह कर समाप्त करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठ कर हम इस विषय पर विचार करें।

श्री राजनारायण—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह कि इस सदन में मुझको गेंदासिंह जी को, माननीय झारखंडे राय जी को, माननीय गौरी शंकर जी को और उग्रसेन जी को सुनने का मौका मिला और सब माननीय सदस्यों ने एकमत से इस बात की पुष्टि की कि सरकार की ओर से जो आंकड़े पेश किये गये हैं वे बिलकुल गलत हैं। तो सत्य को छिपाने के लिए क्या इस सदन की परिपाटी में यह बात सही मानी जायगी कि मन्त्री लोग सदन में बार-बार ऐसे ही आंकड़े प्रस्तुत करें, जो सही न हों?

श्री उपाध्यक्ष—आप इस सम्बन्ध में कोई सबूत देंगे कि जान बूझ कर आंकड़े छिपाये गये हैं, उसे लिख कर दें तो कार्यवाही होगी। इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण—मैं झूठी बात सुनने के लिये यहां तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इसके विरोध में आप वाकआउट कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—हमें बोलने का मौका भी न मिला और मैं उनके झूठे लेक्चर भी सुनूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं वाकआउट करता हूं।

(इसके उपरांत श्री राजनारायण सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है। सिर्फ यह अर्ज करना है कि हमारे यहां यह कुछ पुरानी परम्परा चली आती है कि जब हम किसी को देखते हैं तब हम उससे यह कहते हैं कि अरे भाई तुम बहुत दुबले हो गये हो, क्या बात है। दिल में यही समझते हैं कि तन्दुरुस्ती उसकी ठीक ही है, लेकिन जबान से यह कहते हैं। इसी तौर से मैं समझता हूं कि जहां हमारे माननीय सदस्यों को पूर्वी जिलों की जनता से बहुत काफी प्रेम है, वहां उनको यह भी मालूम होता है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है।

हालत खराब होने का जहां तक ताल्लुक है, बार-बार सरकार की तरफ से यह बात तस्लीम की गयी कि बारिश वहां कम हुई और तरह-तरह की मुसीबतें आयीं। एक दफा नहीं, बार-बार वहां की फस्लें बिगड़ीं। कहीं भी इस तरह की नागहानी आफत आये तो वहां की हालत खराब होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन देखना तो यह है कि यदि किसी को मामूली जुकाम हो और उससे यह कहा जाय कि तुम्हें तपेदिक है, तुम चन्द महीनों में मरने वाले हो, तो इससे क्या उसको फायदा होगा, या जो असली बीमारी है उसको तशखीस करके उसका इलाज

[श्री सैयदअली जहीर]

करना मुनासिब होगा। बहरहाल, कम से कम ७ जिलों का मैंने दौरा किया और वहां की हालत को मैंने अच्छे तौर से समझने की कोशिश की। इसमें शक नहीं कि बहुत जगहों की फसलें काफी खराब हो गयीं, लेकिन साथ-साथ ऐसी जगहें भी मिलीं जहां फसलें अच्छी हुईं और वहां पर बहुत काफी लोग खुश भी थे और उनको बोने के साधन मिल गये थे।

जहां तक आंकड़ों का ताल्लुक है, राजस्व मंत्री आपके सामने बतायेंगे और उनके पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके मुताल्लिक हैं उनसे क्या जाहिर होता है? मुझे तो अन्दाजा इन बातों से होता है।

बहरहाल, जहां तक कि खाद्य विभाग का ताल्लुक है, हमने वहां पर सस्ते गल्ले की दूकानें खोलीं। यही नहीं, इस वक्त जो खुली हुई हैं, जब मैंने दौरा किया तो मैंने कोशिश की और कलेक्टर से यह खास तौर से कहा था कि इसकी परवाह न करें कि कितनी दूकानें आज हैं, पंचायत एक है या दो हैं या तीन हैं। जितनी भी जरूरत होती जाय, तुम दूकानें खोलते जाओ, लेकिन सब जिलों में मुझे यह इत्तला मिली कि जो माल दूकानों से खरीदा जाता है वह गिरता चला जा रहा है। यही नहीं कि उस जमाने में गिरता चला जा रहा है, लेकिन अब भी जो मेरे पास इत्तलाआत आ रही हैं उनसे यह मालूम होता है कि कोई मांग इन दूकानों से बढ़ी नहीं है। जिसके माने मैं यह लेता हूं कि अभी वहां पर जो कम से कम पुरानी फस्ल हुई थी उसमें इतना काफी अनाज हुआ था कि उससे वहां के लोगों की गुजर-बसर हो रही है। कभी तो जरूर है। अब अगर आंकड़े देखेंगे तो हम ३० मन हर दुकान पर सप्लाई करते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं गया था वही हालत करीब-करीब इस वक्त है कि गाजीपुर में फी दूकान ३ मन के करीब, बलिया में ५ मन, देवरिया में ५ मन, आजमगढ़ में ५ मन, जौनपुर में ६ मन, गोरखपुर में ८ मन, बस्ती में २ मन, ये वहां की दूकानों से औसत गल्ले की बिक्री के आंकड़े हैं। यह सूरत है आज।

अगर महज निर्खों पर जायं तो आपको मालूम होगा कि गेहूं का निर्ख वहां पर काफी नीचे आ गया है और इसी तरह से चावल, जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि बहुत ज्यादा कमी है और बहुत ज्यादा फस्ल को नुकसान हुआ है, उसका भी निर्ख जितना बढ़ना चाहिये था उतना नहीं बढ़ा, बल्कि कुछ कम हुआ और सस्ता हो रहा है। तो इन सब बातों से अगर आप अन्दाजा लगाएं तो आपको मालूम होगा कि यकीनन हानि हुई है, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं है जितना कि नकशा हमारे सदस्य खींचना चाहते हैं।

बहरहाल, सरकार के पास काफी सामान मौजूद है। इस वक्त हमारे पास करीब-करीब सवा लाख टन गल्ला मौजूद है और अगर हमको जरूरत होगी तो हम और भी गल्ला मंगा सकते हैं। ३३ लाख मन के करीब हमारे पास गोदामों में गल्ला मौजूद है, अगर हम चाहें तो भेज सकते हैं। इसके अलावा भी भुखमरी न होने पाये, उसके लिये भी इन्तजाम किया गया है, टेस्ट वर्क वगैरह का। मैं तफसील में ज्यादा नहीं जाना चाहता। बहरहाल, जो इमकानी बातें थीं वह सब की जा चुकी हैं।

यह शिकायत की गयी कि मर्द और औरत भागे जा रहे हैं और दूसरी जगह जाकर मजदूरी करने के लिये रवाना हो रहे हैं। बलिया के जिले में जरूर यह मालूम हुआ कि वहां से कुछ औरतें, बच्चे और वहां के मजदूर भी कमाने के लिये बाहर जाते हैं, लेकिन यह इस साल की चीज नहीं है, यह तो पुराना रिवाज है कि ये लोग फस्ल काटने का जब जमाना होता है दरिया को फांद कर वहां जाते हैं और वहां जाकर काटते हैं और वहां उनको अनाज मिलता है। यह कोई नयी बात नहीं है। यह तो हर साल वहां का तरीका रहता है और रहा है। इस वजह से वहां की कोई गैरमामूली हालत नहीं है और जो कुछ भी सूरत वहां पर है और जो कुछ दिक्कतें हैं उनका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं।

सिंचाई राज्य मंत्री श्री (राममूर्ति)—माननीय उपाध्यक्षमहोदय, आज के विवाद में जितने माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, मैंने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी और मुझे बड़ी इस

बात पर तकलीफ है और हमदर्दी है उन तमाम लोगों के साथ कि जो प्रदेश में सूखा और बाढ़ से परिस्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण तकलीफ उठा रहे हैं। चाहे इधर के हों या उधर के, सभी माननीय सदस्यों ने उनकी तकलीफों का जिक्र किया और हमारे बीच में कोई ऐसा इनसान नहीं है जिसकी तमन्ना यह न हो कि हमारे प्रदेश में जो हमारी मुश्किलात हैं उनका हल अपनी आंखों के सामने देखें। आखिर स्वराज्य की लड़ाई इसीलिए हमने लड़ी थी कि हमारे मुल्क और प्रदेश की भूख, बेकारी, यहां की गरीबी और अज्ञानता दूर हो। पर हमें इस बात का भी अपने दिमाग के सामने खयाल रखना पड़ेगा कि हमारी समस्या बड़ी लम्बी-चौड़ी है और इतने हमारे साधन नहीं हैं कि हम निकट भविष्य में मुश्किलात को हल कर लें। फिर भी आप देखें कि इस प्रदेश में, मैं केवल सिंचाई के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि ४ करोड़ एकड़ जमींन में खेती हो रही है। पिछले सात सालों में जब से हमने सिंचाई की तरफ कोशिश की है करीब एक करोड़ दस लाख एकड़ जमींन में पानी का इन्तजाम हो पाया है। यह कोई ऐसा थोड़ा आंकड़ा नहीं है जिससे लोगों को सन्तोष न हो। जिस समय हमारे हाथों में हुकूमत आई उस समय केवल ६७ लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई का इन्तजाम था। इतने थोड़े ही समय में ४० लाख एकड़ और जमीन पर सिंचाई का इन्तजाम हो गया है।

पूर्वी इलाके को देखिये, सब भाई जानते हैं और जितने भी सिंचाई के एक्सपर्ट हैं उनकी राय रही है कि वहां पर नहरें बनाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वहां पर पानी की सतह ऊंची है। इसलिये वहां नहर बनाने में इस बात का डर है कि जमीन की हैसियत खराब हो जायगी और बीमारी वगैरह हो जाने का भी अन्देशा है जिससे वहां की हालत खराब हो सकती है। वहां ट्यूबवेल्स को ज्यादा तरजीह दी जाती है। पूर्वी जिलों में १,७३७ ट्यूबवेल्स लगे हैं, उनमें से १,५८९ ऐसे हैं जिन पर ३० नवम्बर तक बिजली पहुंच गई, केवल १२४ ऐसे हैं जिन पर डीजल इंजिन लग रहे हैं और २४ ऐसे हैं जहां न डीजल का इन्तजाम है और न बिजली का ही इन्तजाम है, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है और वह ठीक किये जा रहे हैं। मैंने आंकड़े मंगाये थे और ३० नवम्बर तक २ लाख एकड़ जमींन पर सिंचाई हुई है। दो सौ एकड़ की ट्यूबवेल से रबी की सिंचाई मामूली तरीके से हो सकती है। यानी १,७०० Tube-well से ३,४२,००० एकड़ की होनी चाहिये, जिसमें से २ लाख एकड़ जमींन में आबपाशी हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि दिसम्बर, जनवरी में बाकी लक्ष्य पूरा हो जायगा।

एक बात मुझे आपको बताने में और खुशी है कि हमने रेट में तब्दीली कर दी है। डीजल वालों को ११ हजार गैलन पानी देते थे और जो बिजली और स्टीम पावर से चलते थे उनको १६ हजार गैलन देते थे। अब हमने सब को पहली दिसम्बर से १६ हजार गैलन पानी देना शुरू कर दिया है और अगर रिबेट लगाया जाय तो साढ़े उन्नीस हजार गैलन पानी होता है। मैं अभी दो मिनट में खत्म किये देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप दो मिनट और ले सकते हैं।

श्री राममूर्ति—इस माने में आप देखिये। यह कह देना कि पिछले जमाने से आबपाशी में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, मुनासिब नहीं है। मुझे राजा साहब जौनपुर की बात से बड़ी तकलीफ हुई जब उन्होंने शिकायत की। जितने माननीय सदस्य शिकायत करते हैं मैं कोशिश करता हूं कि उनकी शिकायतें जल्द से जल्द दूर हो जायं। राजा साहब ने चन्द बातें कही थीं और उनकी शिकायत दूर हो गई थी। लेकिन अब उन्होंने फिर कह दिया। मालूम नहीं कौन सी शिकायत बाकी रह गई।

बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है और दो मिनट में मैं खत्म नहीं कर सकता हूं। लेकिन पूर्वी इलाके, बुन्देलखंड के इलाके और पहाड़ी इलाके को देखिये। वहां जो इन्तजाम आबपाशी का हुआ है उससे सन्तोष होना चाहिये। बुन्देलखंड में बड़े रिजरवायर्स करोड़ों रुपये लगा कर बनवाये गये हैं। पहाड़ी इलाकों में पिछली पंचवर्षीय योजना में ३६ लाख रुपये का काम किय

[श्री राममूर्ति]

गया और अब भी ५० लाख रुपये के काम किये जा रहे हैं। इन बातों को देखते हुये यह कह देना कि आबपाशी का कुछ इन्तजाम नहीं हुआ है, मुनासिब नहीं है। दो तीन भाइयों ने तो ऐसा जिक्र कर दिया कि गोया इरीगेशन डिपार्टमेंट कुछ काम ही नहीं कर रहा है। बहरहाल, चूंकि अब समय बहुत कम है और यह जवाब माल मंत्री जी को देना है, इसलिये मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट चाहूंगा पर्सनल एक्स-प्लेनेशन के लिये।

श्री उपाध्यक्ष—एक मिनट में आप क्या कह पायेंगे? खैर, जल्दी कहिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अभी सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि मैंने उनसे शिकायत की। बात सही है, परन्तु जिसकी शिकायत की और अभी सदन में बात कही वे तकलीफें अभी दूर नहीं हुईं।

श्री राममूर्ति—वे भी दूर हो जायंगी।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल १० मिनट मुझको मिले हैं, फिर भी जो वक्त मेरे साथियों को मिला उससे कुछ ज्यादा मिला है। माननीय गेंदासिंह जी ने जो कहा कि मेरा अपमान होता था फलां चीज में और माननीय झारखंडे राय जी ने कई बार 'निन्दनीय' शब्द कहा, मैं उन चीजों का जवाब उन अल्फाज में नहीं दूंगा और न उस भावना में ही दूंगा। बहुत मुख्तसिर में केवल बेयर फैक्ट्स आपके जरिये सदन के सामने बयान करना चाहता हूं।

कच्चे कुयें की बात कही गयी कि कच्चे कुयें खोदने चाहिये। कोई दो रायें नहीं हो सकतीं इस बारे में। अभी माननीय गेंदा सिंह जी का बयान निकला—मैं देख रहा हूं कि सितम्बर के बाद से बहुत बयान हो रहे हैं और मैंने यह सौगन्ध खा रखी थी कि मैं कोई बयान नहीं दूंगा इसलिये मैंने कोई बयान दिया नहीं। अभी परसों मेरे दोस्त इलाहाबाद तशरीफ ले गये थे। वहां उन्होंने एक प्रेस कान्फरेंस में बयान दिया कि गवर्नमेंट को चार, पांच लाख कच्चे कुएं खुदवा देने चाहिये। मैं तो समझता था कि जनाब कोई नया सजेशन देंगे, लेकिन कच्चे कुएं खुदवाने का कोई नया सजेशन नहीं है। कच्चे कुओं के लिये तकावी दी जा चुकी है, उसके बाद जनाब का यह सजेशन हुआ।

दूसरी बात यह है कि ४–५ लाख कुयें गवर्नमेंट खुदवाए तो वह तो इंजीनियरों के जरिये से ही खुदवायेगी। मैं यह उम्मीद कर रहा था कि कोई ऐसा व्याख्यान होगा देहात-देहात में जाकर कि ऐ किसानो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और खुद कच्चे कुयें खोदो। कठ कुओं में बेशक कुछ लकड़ी लगती है ५०–६० रुपये के करीब की, तो ५० रुपये हमने तकावी के और १५ रुपये सबसिडी के दे दिये हैं। लेकिन ऐसे भी कुयें होते हैं जिनमें कुछ पैसा खर्च नहीं होता, केवल लेबर लगती है। तो लेबर की डिगनिटी के ऊपर तो किसी व्याख्यान में कुछ कहा नहीं गया। अब ४–५ लाख कुएं गवर्नमेंट के जरिये खुदवाने की बात का जहां तक ताल्लुक है, तो एक कुएं में ५० रुपये के हिसाब से ढाई करोड़ रुपया लगता है, लेकिन जब हिसाब लगाया जाता है तो माननीय झारखंडे राय जी के शब्दों में आंकड़ावाद हो जाता है।

सीड्स के मुताल्लिक में यही अर्ज करूंगा कि ५ फी सदी से लेकर २० फी सदी तक रकबा ही केवल बिना बोए रह गया है। मेरे पास सब जिलों की रिपोर्ट मौजूद है और जनवरी फरवरी में जब पड़ताल होगी तो एक–एक खेत की रिपोर्ट आ जायगी और मुझे यकीन है कि यह बिल्कुल सही होगी—अगर किसी जिले में नहीं बोया जा सका तो वह बीज की कमी की वजह से नहीं, बल्कि नमी न होने के कारण नहीं बोया जा सका। माननीय गेंदासिंह

जो जिस जिले से तशरीफ लाते हैं वहां के कलेक्टर ने बताया है कि सिर्फ २ फीसदी रकबा बिना बोया रह गया।

तीसरी बात यह कि जवाहरलाल जी का स्टेटमेंट। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत देंगे जरा सी शिकायत करने की। माननीय गेंदासिंह जी मुझको शायद यह कह सकते हैं कि चरण सिंह ने इतनी गलत बयानी की, अली जहीर साहब से भी कह सकते हैं कि उन्होंने गलत-बयानी की और मैं उनको इजाजत देता हूं यह कहने के लिये हालांकि किसी शरीफ़ आदमी को किसी के बारे में यह नहीं कहना चाहिये कि उसने गलतबयानी की, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने का हक माननीय गेंदासिंह जी को ही हासिल है कि अफसरान ने पंडित जवाहर-लाल जी से मांस्ट्रस लाई बुलवाया। अगर वे यह कहते कि मांस्ट्रस मिस्टेक किया या मांस्ट्रस मिस्टेटमेंट किया तो किसी कदर समझ में बात आ सकती थी, लेकिन नहीं, उनका बयान है कि जवाहरलाल जी मांस्ट्रस लाई बोले। मांस्ट्रस लाई के माने हैं जानबूझ कर।

यह पायनियर है २३-११-५७ का:

"It is most unfortunate that a High Power Committee that visited this state for three or four days was able to induce Mr. Nehru to make such a statement which is nothing but a monstrous lie."

तो मतलब यह है कि आप मुझसे यह कहें कि गौरीशंकर जी ने चरणसिंह से यह झूठ बुलवा दिया या यह कहें कि गौरीशंकर जी ने चरणसिंह से गलतबयानी करवा दी, एक ही बात है। इसको साफ होना चाहिये। जिस तरह से लफ्जों को तोल कर इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह से तकरीरें भी की जानी चाहिये। जवाहरलाल जी ने जो ३५ परसेंट के नुकसान की बात कही है वह आया बिहार की बाबत है या उत्तर प्रदेश की बाबत, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन रिपोर्ट को आपने अखबारों में पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई आंकड़े नहीं दिये कि जिससे साबित होता हो कि ३५ परसेंट का नुकसान हुआ है।

माननीय झारखंडे राय जी की बात भी है। मैं कहता हूं कि मेरे पास ९ जिलों की नहीं १५ जिलों की रिपोर्ट मौजूद है कि लेट पैंडी में कितना नुकसान हुआ और हर फसल में कितना नुकसान हुआ और टोटल क्या है। इन १५ जिलों के मुताल्लिक जो मेरे अफसरों का इस्टीमेट है वह यह है कि ४६ परसेंट खरीफ की फसलों का नुकसान हुआ, इसमें फैजाबाद और बस्ती की हालत नुकसान के लिहाज से मुझ को बनिस्बत और जिलों के ज्यादा खराब मालूम होती है। रही आजमगढ़ की बात, उसमें ३६ परसेंट का नुकसान दिया हुआ है। उन्होंने ३६ लाख मन बतला दिया। ७३ हजार टन टोटल पैदावार है और नुकसान उनके यहां हुआ है ३२ हजार टन। आपने जितना कहा उससे ज्यादा नुकसान वहां के कलेक्टर ने लिखा है और यह बात कि हम कम नुकसान दिखाना और बताना चाहते हैं, इसलिये अफसरान झूठी बात लिख कर भेज देंगे यह कांग्रेस की सरकार में नहीं होता, कोई और सरकार आयेगी तो ऐसा हो सकता है। आप पूछते हैं सबूत क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि आप कहते हैं साढ़े तीन लाख, कलेक्टर कहता है ९ लाख मन का नुकसान है। तो आप ही बतलाइये कि वह कैसे झूठ बोलता है। मैं तो आपको तहसीलवार नुकसान भी दे सकता हूं। समय नहीं है।

अब एरियल टूर की बात कही गई। मैं गाजीपुर गया था। वहां की और बलिया की रबी की फसल देखनी थी, इसलिये वह किया गया। माननीय रामलक्षण तिवारी जी यहां शायद नहीं हैं, अगर वे होते तो बता सकते थे कि वह सिवाय एरियल टूर के देखी ही नहीं जा सकती थी। हवाई जहाज २० फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। मोटर या सड़क से या गाड़ी से देखा ही नहीं जा सकता था। श्री पद्माकर लाल जी का लेटर भी मेरे पास मौजूद है और उसका जवाब भी। मैंने भी माना है कि सूखा है, बहुत सूखा है। मैंने उनको यह नहीं लिखा कि उनको ही यहां आना चाहिये, वहां जाने में मेरा अपमान होता है। मैं श्री गेंदासिंह

[श्री चरणसिंह]

जी को चैलेन्ज करता हूं कि वे बताएं कि जो वे कहते हैं वह मैंने कहां लिखा है। उनकी आदत पड़ गई है बिना....

श्री गेंदासिंह—अब तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चैलेन्ज स्वीकार ही करना पड़ेगा। उन्होंने इस पत्र में लिखा है : "मैं आप से यह भी निवेदन करूंगा कि सर्वदलीय समिति के अन्य सदस्यों के साथ या आप स्वयं अकेले थोड़ा कष्ट उठा कर आजमगढ़ जिले का थोड़ा दौरा करने का कष्ट करें, तभी आपको उस भयंकर स्थिति की जानकारी हो पायेगी।" मैं उतना ही हिस्सा पढ़ता हूं जिसमें निमंत्रण की बात है और वह इस प्रकार है—"इसका समुचित उत्तर पत्र द्वारा नहीं दिया जा सकता है। आपके जिले में मेरे आने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रत्येक जिले, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक गांव में, आपके विचार से, मुझे जाना चाहिये, जो मेरे लिये असम्भव है। वर्षा के न होने के कारण धान की फसल को क्षति पहुंची है। उसके लिये नियमानुसार मालगुजारी में आवश्यक छूट दी जायगी। सरकार पर्याप्त मात्रा में अनाज का संग्रह कर रही है। आपको अकाल की सम्भावना नहीं होनी चाहिये।"

श्री उपाध्यक्ष—अब नियमानुसार इस प्रश्न पर बहस समाप्त होती है।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० दिसम्बर, १९५७।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५ पर)

सूची

बस्ती जिले में इस वर्ष निम्नलिखित नये मार्गों पर निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है :—

१—बांसी-तलपुरवा सड़क का पक्का करना,

२—उस्का से बूजमनगंज सड़क का निर्माण,

३—बस्ती-डुमरियागंज के २० मील का आधुनीकरण,

४—बस्ती मिल के चारों ओर ३ सी० सी० ट्रैकों का निर्माण,

५—फलवटरगंज मिल के लिये खारखोरल से मिल तक पक्की सड़क का निर्माण,

६—बभनान गौर सी० सी० ट्रैक का निर्माण,

पुल

१—बुआनी नदी पर मुखलिसपुर का पुल।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५ पर)

सूची

चालू योजनाओं के अन्तर्गत ८ मील ६ फर्लांग पक्की सड़क तथा ११ मील ३ फर्लांग लम्बी सी० सी० ट्रैक बनाये जायेंगे। नई योजनाओं के अन्तर्गत ६२ १/४ मील पक्की सड़कें तथा ३१ मील सी० सी० ट्रैक बनाये जायेंगे। ८ मीलों का आधुनीकरण भी किया जायगा। योजना में सम्मिलित कार्यों की कोई प्राथमिकता नहीं निश्चित की गई है। निम्नलिखित सड़कों पर कार्य चालू हैं:

१--रसपुर नवाबगंज मार्ग,
२--दर्जीकुआं-मनकापुर मार्ग,
३--मोतीगंज रेलवे स्टेशन से सोहास तक,
४--श्रीनगर-जूरा श्रीनगर महत्त सी० सी० ट्रैक,
५--भगवानपुर-बेला सी० सी० ट्रैक,
६--मजबानी-बड़ा गांव सी० सी० ट्रैक,
७--नचीरी-गदेवा सी० सी० ट्रैक,
८--सोसाइटी आफिस से फैक्टरी तक सी० सी० ट्रैक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२,३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३ पर)

श्री रामलक्षण तिवारी द्वारा पूछे गये, विधान सभा के द्वितीय-सत्र (१९५७) के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३२ और ३३ के विषय में सूचना

क्रम संख्या	जिला बोर्ड का नाम	ऋण की राशि	किस काम के लिये ऋण दिया गया	क्या ऋण की अदायगी नियमित रूप से हो रही है
१	२	३	४	५
१	आजमगढ़	११,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने के लिये ।	जी नहीं ।
२	हरदोई	९४,२००	" "	गत दो वर्षों से दे रहे हैं ।
३	कानपुर	२,९०,०००	" "	जी नहीं ।
		२३,६००	एक रेलवे पुल क्रय करने के लिये ।	जी हां, पूरा रुपया अदा हो गया ।
		१,३८,०३२	कच्ची सड़कों पर पुल या पुलिया बनवाने के लिये ।	राजाज्ञानुसार इसकी अदायगी १९५८-५९ से शुरू होगी ।
		१५,०००	निम्न वेतन कर्मचारियों के लिये भवन निर्माण ।	जी हां ।
४	फैजाबाद	८६,७००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के लिये ।	जी नहीं ।
		८२,८८०	छोटे-छोटे पुल या पुलिया निर्माण हेतु ।	जी नहीं ।
५	अल्मोड़ा	३,००,०००	कर्मचारियों को नये वेतन क्रम देने के लिये ।	जी नहीं ।
		२,००,०००	सामान्य प्रयोजनों के लिये ।	जी नहीं ।
६	नैनीताल	४८,०००	कर्मचारियों को नये वेतन क्रम देने के लिये ।	जी नहीं ।
		४५,०००	अध्यापकों के वेतन बकाया की अदायगी के लिये ।	जी हां ।
७	गढ़वाल	१,०५,०००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के लिये ।	जी नहीं ।
		१,८६,२३२	बजट में कमी पूरी करने के हेतु ।	जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	जिला बोर्ड का नाम	ऋण की राशि	किस काम के लिये ऋण दिया गया	क्या ऋण की अदायगी नियमित रूप से हो रही है
१	२	३	४	५
८	मैनपुरी	२,२६,४९९	छोटे-छोटे पुल बनवाने के लिये।	जी नहीं।
९	मुजफ्फरनगर	१,३०,७५०	,, ,, ,,	जी नहीं।
१०	लखनऊ	६०,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने के लिये।	सन् १९५४ से नियमित रूप से अदायगी हो रही है।
		१४,०००	निम्न वेतन कर्मचारियों के लिये भवन निर्माण।	जी हां।
		२९,१२५	पुल व पुलिया निर्माण हेतु।	जी हां।
११	गोरखपुर	१,१३,०००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के लिये।	जी नहीं।
१२	बुलन्दशहर	७४,७५४	पुल व पुलिया निर्माण हेतु	अभी अदायगी की तारीख नहीं आयी है।
१३	वाराणसी	१,५०,०००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु।	जी हां।
१४	इलाहाबाद	३,४५,०००	,, ,, ,,	जी नहीं।
१५	मिर्जापुर	२,७८,२१७	,, ,, ,,	जी नहीं।
		१,१३,८८४	छोटे पुल पुलिया आदि निर्माण हेतु।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आयी है।
१६	देवरिया	१,६९,०००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के लिये।	जी नहीं।
		१,५६,१२८	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु।	जी नहीं।
१७	बस्ती	१,३४,८००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु।	जी नहीं।
		१,६६,५००	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आयी है।
१८	इटावा	२,००,०००	,, ,, ,,	,,
		१,४६,४००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु।	जी नहीं।

अदायगी विधान सभा

क्रम-संख्या	जिला बोर्ड का नाम	ऋण की राशि	किस काम के लिये ऋण दिया गया	क्या ऋण की अदायगी नियमित रूप से हो रही है
१	२	३	४	५
१९	बहराइच	१,००,०००	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आयी है ।
२०	सुल्तानपुर	२,००,०००	" " "	"
		२,५५,२००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु ।	जी हां ।
२१	बलिया	२८,२००	" " "	पूरा अदा हो गया है ।
		८०,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु ।	जी नहीं ।
		२,३६,०००	बजट की कमी को पूरा करने हेतु ।	"
		२५,०००	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आयी है ।
२२	बाराबंकी	२८,७००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु ।	पूरा अदा कर दिया गया ।
		७०,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु ।	"
		७०,०००	" " "	जी नहीं ।
		८०,०००	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आयी है ।
२३	पीलीभीत	१,२९,८७५	छोटे-छोटे पुल पुलिया के निर्माण हेतु ।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आई है ।
		५१,७००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के लिये ।	पूरी अदायगी हो गई ।
२४	एटा	५०,०००	" " "	सन् १९५५-५६ से नियमित रूप से अदायगी शुरू की है ।
		१,६८,८७८	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आई है ।
२५	बांदा	५६,०००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु ।	जी नहीं ।
		१,०६,०००	सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु ।	जी नहीं ।

क्रम-संख्या	जिला बोर्ड का नाम	ऋण की राशि	किस काम के लिये ऋण दिया गया	क्या ऋण की अदायगी नियमित रूप से हो रही है
१	२	३	४	५
२६	देहरादून	४६,०००	बजट की कमी पूरा करने के लिये ।	जी हां ।
		५०,०००	सामान्य प्रयोजनों के लिये ।	,,
२७	जालौन	४०,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने के लिये ।	जी हां ।
२८	फतेहपुर	७०,०००	नेत्र चिकित्सालय के निर्माण हेतु ।	जी नहीं ।
		८२,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने के लिये ।	,,
		१०,०००	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आई है ।
२९	गाजीपुर	१,१३,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने के लिये ।	जी नहीं ।
		८१,२५३	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	,,
३०	हमीरपुर	१०,०००	,, ,, ,,	अदायगी की तारीख अभी नहीं आई है ।
		३९,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु ।	जी नहीं ।
३१	मथुरा	६५,०००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु ।	पूरी अदायगी हो गयी ।
		३६,१२५	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	अदायगी की तारीख अभी नहीं नहीं आई है ।
३२	फर्रुखाबाद	२,४७,८०१	,, ,, ,,	,,
		५०,०००	अध्यापकों को नये वेतन क्रम देने के हेतु ।	जी हां ।
३३	आगरा	७९,०००	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आईहै ।
		१,००,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु ।	जी नहीं ।

क्रम-संख्या	जिला बोर्ड का नाम	ऋण की राशि	किस काम के लिये ऋण दिया गया	क्या ऋण की अदायगी नियमित रूप से हो रही है
१	२	३	४	५
३४	सीतापुर	१,५०,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु ।	जी नहीं ।
३५	झांसी	१,१६,८४१	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु ।	जी हां ।
		१,१५,७६०	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आई है ।
३६	जौनपुर	१,८५,०४६	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने हेतु ।	जी नहीं ।
३७	रायबरेली	२,१५,०००	,, ,, ,,	जी नहीं ।
		१,८०,०००	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आई है ।
३८	बदायूं	८२,६००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने हेतु ।	जी हां, पूरी अदायगी कर दी गई है ।
३९	शाहजहांपुर	२,००,०००	सड़कों के पुनः निर्माण हेतु	जी हां ।
		११,२००	बोर्ड के निम्न वेतन कर्मचारियों के लिये भवन निर्माण हेतु ।	अभी अदायगी की तारीख नहीं आई है ।
४०	खेरी	२६,०००	शरणार्थियों के लिये दुकानों के निर्माण हेतु ।	जी हां ।
		५६,८७८	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	अदायगी की तारीख अभी नहीं आई है ।
४१	अलीगढ़	५०,०००	कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम देने के लिये ।	जी हां, पूरा ऋण अदा कर दिया गया ।
४२	उन्नाव	५०,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने के हेतु ।	जी नहीं ।
४३	प्रतापगढ़	३१,५००	कर्मचारियों को नये वेतन क्रम देने हेतु ।	जी नहीं ।
		२,२५,०००	अध्यापकों को नये वेतन-क्रम देने हेतु ।	जी नहीं ।
		१,६०,८७८	छोटे-छोटे पुल पुलिया निर्माण हेतु ।	जी नहीं ।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४७ पर)

जमुना नदी के तीन घाटों के नीलाम किये जाने का विवरण

घाट का नाम	कितनी बार नीलाम हुआ		रकम जितने के लिए नीलाम हुआ
१	२		३
			रु०
इटावा घाट	४	(१)	७५,६३६
		(२)	७५,६३६
		(३)	१,१२,९५१
		(४)	१,४३,०००
कचौरा घाट	१०	(१)	२०,१००
		(२)	२४,२५०
		(३)	२४,२५०
		(४)	१४,३५०
		(५)	१८,०००
		(६)	२२,५००
		(७)	२६,५००
		(८)	२४,५००
		(९)	२४,०००
		(१०)	२४,०००
ओर गढ़	४	(१)	३८,२५०
		(२)	४०,०००
		(३)	४०,१००
		(४)	६०,६००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४९ पर)

सूची

जिला सीतापुर में १ अप्रैल, १९५४ से ३० मार्च, १९५७ तक निर्मित सड़कों का विवरण

१—नई कंकड़ की सड़कें	.. .. ..	शून्य
२—वर्तमान कंकड़ की सड़कों को कोलतार का बनाना—		मील
(अ) लखनऊ–बरेली सड़क .. मील ६८ से ८० तक,	..	१३
(ब) सीतापुर–बहराइच सड़क .. मील ४ से ६ तक,	..	३
(स) सीतापुर–लखीमपुर सड़क ..	..	२
(मील २, ३, ४, ७, ८, १०, ११ तथा १६,)		८
(द) सीतापुर–मिसरिख सड़क .. (मील १ से १८ तक)	..	१८
योग	..	४२
३—वर्तमान कंकड़ की सड़कों को सीमेंट कंक्रीट का बनाना—		
सिधौली-बिसवां सड़क (मील १८)	.. ..	३/४
४—सीमेंट कांक्रीट ट्रैक्स—		२
(अ) बिसवां-बाड़ी-सिधौली सड़क (बिसवां से दूसरा मील)	..	३/८
(ब) महसोनिया–वजीरनगर सड़क (मील १ व २)	..	२
(स) हरगांव–दतेली सड़क (मील १ व २)	.. ..	१ ३/४
(द) हरगांव–लहरपुर सड़क (मील ३ से ६)	.. ..	३ ३/४
(य) महोली–बड़ागांव सड़क (मील ५)	..	५/८
योग	..	८ १/२

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५५ पर)

गोंडा जिले में विभिन्न स्थानों पर खोली गई सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों की तालिका

तहसील का नाम	वह स्थान जहां सस्ते गल्ले की दूकानें खुली हैं	दूकानों की संख्या
१	२	३
१—गोंडा ..	१—बानेपुर	१
	२—इंटिया थोक	१
	३—गोंडा	१
	४—बड़गांव	२
	५—खूरासा	१
	६—गोंडा (सिटी तहसील के निकट) ..	१
	७—फैजाबाद रोड (गोंडा सिटी)	१
	८—दुखहरन नाथ रोड ..	१
	९—रानी जामवन्ती कुवंर चौराहा (गोंडा सिटी)	१
	१०—कटरा	१
	११—फारबिसगंज	१
	योग ..	१२
२—तरबगंज ..	१—रगड़गंज	१
	२—वजीरगंज	१
	३—नवाबगंज	२
	४—तरबगंज	१
	५—सिधौटी	१
	६—बरौली	१
	७—खिरिया मझगवां	१
	८—पसका	१
	९—भौरीगंज	१
	१०—परासपट्टी अमौठी	५
	११—तुलसीपुर मांझा	१
	१२—करनल गंज ..	१
	१३—टिकरी	१
	१४—धनवां	५
	१५—परसपुर	१
	योग ..	१६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तहसील का नाम	वह स्थान जहां सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं	दूकानों की संख्या
१	२	३
३—उतरौला ..	१—रेहराबाजार	१
	२—मोतीगंज	१
	३—उतरौला	२
	४—छपिया	१
	५—असकनवा	१
	६—हथियागढ़	१
	७—साबुल्ला नगर	१
	८—मनकापुर	१
	९—घराघाट	१
	१०—सेरवुया बेंधियार	१
	योग ..	११
४—बलरामपुर ..	१—हरिहरगंज	१
	२—तुलसीपुर	२
	३—बलरामपुर	४
	४—भगौतीगंज	१
	५—श्रीनगर	१
	६—पचपेड़वा	१
	७—कटरा शंकरनगर ..	१
	योग ..	११
	दूकानों की कुल संख्या ..	५०

नोट—उक्त दूकानों में से तहसील बलरामपुर में हरिहरगंज की दूकान बन्द कर दी गई है क्योंकि वहां पर गल्ले की बहुत कम बिक्री हो रही है । अतः अब कुल ४९ दूकानें चल रही हैं ।

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर)

तालिका 'अ'

क्रम-संख्या	जिले का नाम	सन्, १९५१ की जनगणना के आधार पर स्टार ग्रिड फारमूला के अनुसार सड़कों की आवश्यकता		सड़कें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व थी मार्च ३१, १९५१		सड़कें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बनी		द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सड़कें		बेकारी निवारण योजना Unemployment Relief Scheme के अन्तर्गत बनने वाली सड़कें	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के पश्चात् सड़कों की स्थिति	
		कच्ची	पक्की	कच्ची	पक्की	कच्ची	पक्की	कच्ची अश्वमार्ग	पक्की	पक्की	कच्ची	पक्की
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	आगरा	६९९	३०६	४२५	२८८	..	११	..	२३ १/२	..	४२५	३२२ १/२
२	अलीगढ़	८९५	३३४	३५८	३०१	..	५	..	२१ ३/८	..	३५८	३२७ ३/८
३	इलाहाबाद	१,२९१	३६७	१,३७५	३४६	७	६	..	५४	८	१,३८२	४१४
४	अलमोड़ा	१,१०७	८३७	१,२२९	१४३	१०६	२५६	१२	१७६	१४५	१,३४७	७२०
५	आजमगढ़	१,६२३	३८२	४५५	३३१	१३	१४	..	११	..	४६८	३५६
६	बदायूं	७९६	३५८	४५८	१६०	..	१	..	६६ १/४	..	४५८	२२७ १/४
७	बहराइच	९३५	४५८	५७५	१२८	..	१७	..	६८	..	५७५	२१३
८	बलिया	८०८	२४८	५८५	११२	..	३०	..	३४ १/४	..	५८५	१७६ १/४
९	वाराणसी	१,२५०	१७१	७३७	२५४	१५२	३२	..	५६	४	८८९	३४६
१०	बांदा	५४६	४५९	५०३	१८१	..	४४	..	५७ ३/८	१६	५०३	२९८ ३/८
११	बाराबंकी	८६३	२१५	४७६	२०८	..	४	..	६१/२	..	४७६	२१८ १/२
१२	बरेली	७४३	१९६	१९०	१६१	..	..	..	२४	..	१९०	१८५

१३	बस्ती	१,९४३	४९४	५४६	२३८	२०	२३	..	१००		..	५६६	३६१
१४	बिजनौर	६१७	२४९	४६२	१६२	१०	७७	..	४७		..	४७२	२८६
१५	बुलन्दशहर	९०५	३४७	४८८	२५३	..	२	..	५४		९	४८८	३१८
१६	देहरादून	२०२	८४	२११	१५२	८०	५	९७	१६	१/२	..	३८८	१७३ १/२
१७	देवरिया	१,४६२	४०९	५३८	१२६	..	११२	..	११६		..	५३८	३५४
१८	एटा	७०३	३१७	४२९	२१९	..	..	..	३९	१/२	..	४२९	२५८ १/२
१९	इटावा	६३४	२४७	३५७	१९२	..	४४	..	१२		..	३५७	२४८
२०	फैजाबाद	१,०३८	२५५	६००	२१४	३	७	.	२४		..	६०३	२४५
२१	फर्रुखाबाद	६९८	२४८	७७५	१८६	..	२५	..	१२		..	७७५	२२३
२२	फतेहपुर	६११	३०१	३३६	२१७	..	..	..	२१		..	३३६	२३८
२३	गढ़वाल	९३९	४६३	१,१९४	१६६	४०४	६७	१३७	९८		१०	१७३५	३४१
२४	गाजीपुर	८४२	१६७	४२५	१३४	..	१३	..	११		..	४२५	१५८
२५	गोंडा	१,२६९	४४०	४२०	२२०	२४	२७	..	८२	१/४	१५	४४४	३४४ १/४
२६	गोरखपुर	१६०४	४५२	४२०	१९६	३५	५०	..	७७		१९	४५५	३४२
२७	हमीरपुर	४२९	४६७	४३०	२०३	..	४८	..	५६	१/२	१५ १/२	४३०	३२३
२८	हरदोई	८९२	४४८	४४०	१७१	..	१९	..	७४	१/२	..	४४०	२६४ १/२
२९	जालौन	३५८	२७०	५२९	१२०	१४	२९	..	४४	१/२	१३ १/२	५४३	२०७
३०	जौनपुर	१,१३०	२००	४४५	२५७	..	११	..	६		..	४४५	२७४
३१	झांसी	५१८	५४८	८८२	३९७	३९	३	..	३३		..	९२१	४३३
३२	कानपुर	८८८	२६०	७२९	२८२	४६	९	..	९	३/८	२३	७७५	३२३ ३/८
३३	खीरी	७२८	३०७	४४०	११७	..	२६	..	१४१		..	४४०	२८४
३४	लखनऊ	४३०	६६	२१३	१७४	७	..	..	९		४ ३/८	२२०	१८७ ३/८
३५	मैनपुरी	६४८	२८३	२२०	२३४	..	३५	..		१/२	..	२२०	२६९ १/२
३६	मथुरा	४९८	२६६	३०३	२२१	..	३१	..	१७		..	३०३	२६९
३७	मेरठ	१,१६२	५९४	३८५	२४९	..	६७	..	११४		१०	३८५	४४०
३८	मिर्जापुर	८१८	५५७	९३९	२५५	२१	४५	..	९७		..	९६०	३९७
३९	मुरादाबाद	९२७	३२९	३३०	१५७	२२	५७	..	६८		१०	३५२	२९२

क्रम संख्या	जिले का नाम	सन् १९५१ की जनगणना के आधार पर स्टार ग्रिड फारमूला के अनुसार सड़कों की आवश्यकता		सड़कें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व थी मार्च ३१, १९५१		सड़कें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बनी		द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सड़कें		बेकारी निवारण योजना (Unemployment Relief Scheme) के अन्तर्गत बनने वाली सड़कें	द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के पश्चात् सड़कों की स्थिति	
		कच्ची	पक्की	कच्ची	पक्की	कच्ची	पक्की	कच्ची अश्वमार्ग	पक्की	पक्की	कच्ची	पक्की
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
४०	मुजफ्फरनगर	६३६	४३९	२४९	१३२	..	५२	..	१२३	..	२४९	३०७
४१	नैनीताल ..	३६३	१२२	३०५	११६	९९	८२	..	९२	..	४०४	२९०
४२	प्रतापगढ़ ..	८२९	१९५	४८३	१९२	..	१२	..	१६	..	४८३	२२०
४३	पीलीभीत ..	३४१	१७३	२७०	४७	..	७	..	८८ ५/८	..	२७०	१४२ ५/८
४४	रायबरेली ..	७९७	२७२	३७३	२२८	८	१७	..	८ १/२	..	३८१	२५३ १/२
४५	रामपुर ..	३१०	७५९	१७७	१०५	१५७	७	..	२५ ३/४	..	३३४	१३७ ३/४
४६	सहारनपुर ..	७४४	२९९	२९७	२२१	..	३०	..	७१	७	२९७	३२९
४७	शाहजहांपुर ..	६६५	२५७	१९९	१३६	..	१०	..	७०	..	१९९	२२४
४८	सीतापुर ..	९४८	२९६	३५५	२२२	..	१५	..	४४	..	३५५	२८१
४९	सुल्तानपुर ..	९५७	२९१	७०९	१७५	..	३	..	३२	१६ १/२	७०९	२२६ १/२
५०	टेहरी	५३६	२६९	९१८	१६९	७३	..	१८१	८७	३२	१,१७२	२८८
५१	उन्नाव ..	७१४	३१९	३६६	१७८	..	२	..	४९	..	३६६	२२९
	योग ..	४२,३०७	१६,४८४	२५,५५३	१०,०४६	१,३४०	१,४९७	४२७	२,६८५ ३/४	३५७ ७/८	२७,३२०	१४,५८६ ५/८

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर)

तालिका—ब

गोरखपुर कमिश्नरी में सड़कें

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व		प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनीं				द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें बनने वाली हैं			
पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें	पक्की		कच्ची		पक्की		कच्ची	
मील	मील	नाम	मील	नाम	मील	नाम	मील	नाम	मील
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८९१	१९५९	जिला गोरखपुर देवरिया (१) गोरखपुर-देवरिया	२६–५	जिला गोरखपुर १–महराजगंज-फरेंदा	१०–०	जिला गोरखपुर चालू योजना– (१) सिसवा-शिवदत्त-छपरा	३–०	..	..
		जिला गोरखपुर (२) महराजगंज-निचलोल	१४–४	२–निचलोल-महराजगंज ३–नौतनवा-तुर्तीवारी-निचलोल	८–० ३–३	(२) सिसवा-खेली	२–०	..	..
		(३) फरेंदा-नौतनवा	११–०	४–निचलोल-सिसवा-बाजार		(३) बिशनपुर बहादुर-पकरी	६–०	..	..
		(४) पिपराइच-बरगाधी सी० सी० ट्रैक	३–०	५–मोहनपुर-फरेंदा	१३–५	(४) सराय-गुलरिया तुलसीदेव	२–०	..	..
		(५) पिपराइच-कुसमटी सी० सी० ट्रैक	३–०	६–मोहनपुर कोल्ही-नौतनवा		(५) पिपराइच-कुसमही	३–०	..	..

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व		प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनीं				द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें बननें वाली हैं			
पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें	पक्की		कच्ची		पक्की		कच्ची	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
				जिला आजमगढ़					
		(६) सराय गुलरिया-तुलसीदेव सी० सी० ट्रैक	३–०			(६) पिपराइच–बरगधी	२–०	..	..
		(७) सोनवरसा - पटवा इनार सी० सी० ट्रैक	४–०	७–घोसी-महमूदाबाद	१३–०	(७) फरेंदा-महराजगंज	१–२	..	..
		(८) फरेन्दा-महराजगंज सी० सी० ट्रैक	२–६	**जिला बस्ती**		(८) बेला कसया रोड	४–०	..	..
				८–मेहदावल-बनकटा बांसी	२०–०	(९) सोनवरसा–पटवाइनार	२–४	..	..
						(१०) चौरी-चौरा मोतीपाकर	२–५		
						नई योजना			
						कच्ची सड़कों को पक्की करना		..	..
						(११) महराजगंज-निचलौल	१–०	..	..
						(१२) फरेंदा-नौतनवा	१६–५	..	..
						(१३) सिसवा-निचलौल-तुर्तीबारी	१९–०	..	..
						बेकारी निवारण योजना के अन्तर्गत—			
जिला देवरिया									
		(९) सलीमपुर-तुर्तीपुर	१२–४	..					
		(१०) सलीमपुर-पर्तावल कैप्टनगंज-तमकोही	३९–०	..					
		(११) देवरिया-सलीमपुर	६–०	..					
		(१२) देवरिया की सड़कें (शहर में)	४–०	..					
		(१३) कसिया से बुद्ध की मृत्यु स्थान तक	२–१	..					

(१४)	सिसवा-हाटा	१२–३	..
(१५)	पनरिया-कवासर सी० सी० ट्रैक	०–७	..
(१६)	केप्टनगंज-सिकटा सी० सी० ट्रैक	२–२	..
(१७)	हाटा खार-कर्माहा सी० सी० ट्रैक	२–०	..
(१८)	भर्गवा से कसिया रोड तक सी० सी० ट्रैक	१–२	..
(१९)	कसिया फैक्टरी से कसिया कन्सी सी० सी० ट्रैक	०–६	..
(२०)	रामकोला-सिंघा सी० सी० ट्रक	२–०	..
(२१)	राम कोला कसिया सी० सी० ट्रैक	०–४	..
(२२)	फैक्टरी से किरकी या पुल सी० सी० ट्रैक	१–०	..
(२३)	देवरिया-पैकोली-पटकोल सी० सी० ट्रैक	३–६	..
(२४)	भेतालपुर-हिरन्दपुर-बैजनाथपुर सी० सी० ट्रैक	३–७	..

नई योजना
नया निर्माण

(१४)	चिल्लूपुर गोलाबाजार	७–०	..
(१५)	रुद्रपुर-खजनी उरवा-गोला बाजार	२४–०	..

जिला देवरिया चालू योजना

(१६)	शिकारपुर-पार्ताबल-कैप्टेन गंज (शाखा सड़कों सहित)	५–०	..
(१७)	जिला गोरखपुर तथा देवरिया में सिसवा-हाटा सड़क	१८–२	..
(१८)	देवरिया-भीकमपुर	१–७	..
(१९)	कैप्टनगंज-सिकटा सी० सी० ट्रैक	३–६	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व		प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनीं				द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें बनने वाली हैं			
पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें		पक्की		कच्ची	पक्की		कच्ची	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
मील	मील	नाम	मील	नाम	मील	नाम	मील	नाम	मील
				जिला आजमगढ़					
		(२५) घोसी-मधुबन		१–१	..	(२०) भारगव से गोरखपुर कसिया सड़क को जोड़ने वाली सड़क	७–१	..	..
		(२६) महमूदाबाद-चिरिया कोट		०–३	..	(२१) फैक्टरी रैटसिया कन्सर्न सी० सी० ट्रैक	१–६	..	..
		(२७) सरायखेता-जैगाहां–दीदारगंज		४–१	..	(२२) देवरिया-पकौली-पथकौनिया सी० सी० ट्रैक	४–२	..	..
		(२८) मधुबन-बिलथरा		८–३	..	(२३) छितौनी नौरंगिया सी० सी० ट्रैक	६–०	..	..
				जिला बस्ती					
					..	(२४) रामकोला-सिधा सी० सी० ट्रैक	४–०	..	..
		(२९) नौगढ़–शोहरतगढ़		१०–०	..	(२५) रामकोला-कसया सी० सी० ट्रक	५–४	..	..

अवध विधान सभा

(३०) खलीलाबाद–मेंहदावल ४–० .. ..

(३१) बस्ती–मेंहदावल २–१ .. ..

(३२) बस्ती–डुमरियागंज १–० .. ..

(३३) गोहचुरवा-मेंहदावल १–० .. ..

(३४) बबुनाव-हरैया ५–० .. ..

(२६) फैक्टरी से खिरकी पुल तक सी० सी० ट्रैक २–० .. ..

(२७) खेडा नेवबा सी० सी० ट्रैक ६–० .. ..

(२८) तुलसीबारी बाया धीबो से भरनी तक सी० सी० ट्रैक ५–० .. ..

(२९) पनहरिया-कीवासर सी० सी० ट्रैक ५–३ .. ..

(३०) रामबाग-लक्ष्मीगंज सी० सी० ट्रैक ६–० .. ..

(३१) रामपुर से हाटा रोड तक हाटा देवरिया सड़क पर रामपुर तक सी०सी०ट्रैक ६–० .. ..

(३२) खिरकी पुल से परारी सी० सी० ट्रैक ३–० .. ..

(३३) देवरिया से–बंजरिया सी० सी० ट्रैक ५–० .. ..

(३४) कठकुइयां सधिया सी० सी० ट्रैक ७–१ .. ..

(३५) बेतालपुर हिरन्दापुर बैजनाथ सी० सी० ट्रैक ४–१ .. ..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व		प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनीं				द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें बनने वाली हैं			
पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें	पक्की		कच्ची		पक्की		कच्ची	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
मील	मील	नाम	मील	नाम	मील	नाम	मील	नाम	मील
						नई योजना			
						कच्ची सड़कों को पक्का करना			
						(३६) बरहज लार रोड	१२–०	..	..
						(३७) लार गुठनीबाजार	४–०	..	..
						जिला आजमगढ़ नव निर्माण			
						(३८) मऊ यूसुफपुर	६–०	..	..
						जिला बस्ती चालू योजना			
						(३९) खलीलाबाद मुखलिसपुर सी०सी० ट्रैक	४–१	..	..
						(४०) बस्ती कलवारी सी० सी० ट्रैक	४–०	..	..
						(४१) बस्तीमें-हदावल सी० सी० ट्रैक	१०–०	..	..
						(४२) खलीलाबाद–मेहदावल सी० सी० ट्रैक	२–१	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(४३) मुन्डेखा-डंडवा सी० सी० ट्रैक	६–०	..	..
(४४) हरैया-समेर सी० सी० ट्रैक	६–०	..	..
नई योजना नव निर्माण			
(४५) टांडा-कलवारी सी० सी० ट्रैक	४–०	..	..
(४६) बस्ती-मेंहदावल (दुधारा मेहदावल सेक्शन)	१०–०	..	..
(४७) तलपुरवा इटावा तुलसीपुर	१६–०	..	..
(४८) बांसा-तलपुरवा	७–०	..	..
(४९) बस्ती-मेहदावल	४–०	..	..
अतिरिक्त योजना			
(५०) मेहसों महोली	१४–०	..	..
(५१) उस्का बृजमनगंज	५–१	..	..

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२१२ एल० ए०—१९५८—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा